₹25

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

दिसम्बर 2016



- क्या इस्लाम में महिलाएं उत्पीड़ित हैं ?
  –मौलाना अब्दुर्रशीद उस्मानी
- पवित्र क़ुरआन में मानवता की शिक्षा
  –विजय गोपाल मंगल
- सांप्रदायिकता : एक सामाजिक विश्लेषण
  –सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी
- ईशाज्ञा के अनुपालन की चन्द मिसालें
  –अबू मुहम्मद इमामुद्दीन रामनगरी

ESTD. 1996

M.M. MODEL SCHOOL

AN ENGLISH MEDIUM SCHOOL



- Alhamdolillah Now, we have total strength of 700+ students
- 100% Madhyamik Result since 2007
- Separate School timing for Boys & Girls
- Many Ex-students B.Tech, M.B.B.S. and Preparing for WBCS
- Stress on Islamic Studies and Salath, memorization, of Qur'an (Surah), Dua & Ahadees with meaning in English & Urdu
- Arrangements of Scholarships for needy students.
- Frequent Parents - Teacher meeting and career counseling.
- Faculty Development Program.

OUR PRIDE:



Fatma Firdous
85% in Madhyamik Parikshya - 2016



Abdul Aziz
IIT Hyderabad



Shadab Hussain
Rahmani-30

38, Imdad Ali Lane P.O. Park Street, Kolkata - 700 016 (India)
Phone : 033-22493816, Mobile : 9831296332
E-mail : mmmodelschool@gmail.com | www.mmmodel.weebly.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 26 अंक 6 दिसम्बर 2016

और जब उनसे कहा जाता है कि "ज़मीन में बिगाड़ पैदा न करो", तो कहते हैं : "हम तो केवल सुधारक हैं ।" जान लो ! वही हैं जो बिगाड़ पैदा करते हैं, परन्तु उन्हें एहसास नहीं होता । –कुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 50/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट 'मासिक कान्ति' के नाम से बनवाएं

ज़ंजीरें

आबाद रहेंगे वीराने, शादाब[1] रहेंगी ज़ंजीरें
जब तक दीवाने ज़िन्दा हैं फूलेंगी-फलेंगी ज़ंजीरें

आज़ादी का दरवाज़ा भी ख़ुद ही खोलेंगी ज़ंजीरें
टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी ज़ंजीरें

जब सबके लब सिल जाएंगे हाथों से क़लम छिन जाएंगे
बातिल[2] से लोहा लेने का ऐलान करेंगी ज़ंजीरें

अंधों-बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जोह करता है
माहौल सुनेगा, देखेगा जिस वक़्त बजेंगी ज़ंजीरें

जो ज़ंजीरों से बाहर हैं, आज़ाद उन्हें भी मत समझो
जब हाथ कटेंगे ज़ालिम[3] के, उस वक़्त कटेंगी ज़ंजीरें

ये तौर भी हैं सय्यादी[4] के, ये ढंग भी हैं जल्लादी के
सिमटें, सिकुड़ेंगी ज़ंजीरें, फैलेंगी, बढ़ेंगी ज़ंजीरें

मजबूरों को तरसाएंगी, यूं और हमें तड़पाएंगी
ज़ुल्फ़ों की याद दिलाएंगी, जब लहराएंगी ज़ंजीरें

ज़ंजीरें तो हट जाएंगी, हां उनके निशां रह जाएंगे
मेरा क्या है ज़ालिम तुझको बदनाम करेंगी ज़ंजीरें

ले दे के 'हफ़ीज़' इनसे ही थी उम्मीदे-वफ़ा दीवानों को
क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेंगी ज़ंजीरें ।

● हफ़ीज़ मेरठी

---

1. हरी-भरी 2. झूठ, असत्य 3. अत्याचारी 4. शिकार बनाने, शिकार करने ।



कहां क्या है ?

ज़ंजीरें (कविता)	–हफ़ीज़ मेरठी	3
क़ुरआन ज्योति		5
अल्लाह से अच्छी आशा (हदीस मंजरी)		6
मनुष्य का मूल स्वभाव और इस्लाम (संपादकीय)		7
चलते-चलते थम जाती है ज़िन्दगी (आपके पत्र)		8
हज़रत रमला बिन्त अबी सुफ़ियान (नेकी के सिपाही)	–डॉ॰ अब्दुर्रहमान राफ़त पाशा	11
पवित्र क़ुरआन में मानवता की शिक्षा (आस्था)	–विजय गोपाल मंगल	15
देश को खोखला कर रहा भ्रष्टाचार (सामयिकी)	–विद्या प्रकाश	18
ईशाज्ञा के अनुपालन की चन्द मिसालें (प्रेरणा)	–अबू मुहम्मद इमामुद्दीन रामनगरी	21
बेटियां (कविता)	–जय प्रकाश वाल्मीकि	25
दुनिया (कविता)	–अभिराम ज्योतिज्ञ जयशील	25
क्या इस्लाम में महिलाएं उत्पीड़ित हैं ? (विशेष आयोजन)	–मौलाना अब्दुर्रशीद उस्मानी	26-27
एक थी सुभद्रा (कहानी)	–शंकर लाल महेश्वरी	33
ग़ज़ल	–अहद प्रकाश	33
अल्कोहल मिली दवाएं (सवाल-जवाब)	–संपादन प्रभाग	35
सांप्रदायिकता : एक सामाजिक विश्लेषण (ज्वलंत सामयिक)	–सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी	37
बेटों की चाहत में होती बेटियों की भ्रूण हत्याएं (महिला जगत)	–डॉ॰ विभा सिंह	41
भारत पाकिस्तान ख़राब रिश्तों का असर खेलों पर भी (खेल-खिलाड़ी)	–ए॰ एन॰ शिब्ली	43
वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट क्यों ?	–डॉ॰ लाल ख़ान	45
पढ़ने की कला (पुस्तक समीक्षा)	–मुहम्मद इलियास हुसैन	47
ज़हरीली शराब का क़हर (मुद्दा)	–महेन्द्र अवधेश	49



(10) वहां उनकी आवाज़ यह होगी कि 'पाक है तू ऐ अल्लाह !'' उनकी दुआ यह होगी कि 'सलामती हो' और उनकी हर बात का अंत इस पर होगा कि 'सारी प्रशंसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है ।'[14]

(11) अगर कहीं[15] अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी उतनी ही जल्दी करता जितनी वे दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं, तो उनके काम की मोहलत कभी की समाप्त कर दी गयी होती । (मगर हमारा यह तरीक़ा नहीं है) इसलिए हम उन लोगों को जो हमसे मिलने की आशा नहीं रखते, उनकी उद्दंडता में भटकने के लिए छूट दे देते हैं । –क़ुरआन, 10 : 10,11

14. यहां एक सूक्ष्म शैली में यह बताया गया है कि नेमत भरी जन्नतों में पहुंच जाने के बाद यह नहीं होगा कि ये लोग बस वहां पहुंचते ही सुख-वैभव की सामग्रियों पर टूट पड़ेंगे, जैसा कि जन्नत का नाम सुनते ही कुछ टेढ़ी समझ वाले लोगों के मन में इसका चित्र घूमने लगता है, बल्कि वास्तव में सदाचारी ईमान वाले दुनिया में उच्च विचार और अच्छे चरित्र अपना करके, अपनी भावनाओं को संवारकर और अपने आचरण और चरित्र को पवित्र बनाकर जिस प्रकार के श्रेष्ठतम व्यक्तित्व अपने भीतर जुटा पाएंगे, वही दुनिया के वातावरण से भिन्न, जन्नत के पवित्रतम वातावरण में और अधिक निखरकर उभर आएंगे और उनके वही गुण, जो दुनिया में उन्होंने परवान चढ़ाए थे, वहां अपनी पूरी शान के साथ उनके चरित्र में दिखायी देंगे । उनका सर्वप्रिय कार्य वही अल्लाह का गुणगान और उसकी पावनता का बयान करना होगा जिससे दुनिया में उन्हें लगाव था, और उनकी सोसायटी में वही एक-दूसरे की सलामती चाहने की भावना काम कर रही होगी जिसे दुनिया में उन्होंने अपने सामूहिक रीति-नीति का उद्देश्य बनाया था ।

15. ऊपर के आरंभिक वाक्यों के बाद अब उपदेश और समझाने-बुझाने का व्याख्यान शुरू होता है । इस व्याख्यान को पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में दो बातें सामने रहनी चाहिएं–

एक यह कि इस व्याख्यान से थोड़े समय पहले वह ज़बरदस्त (भीषण अकाल) समाप्त हुआ था जिसकी विपदा से मक्का वाले चिल्ला उठे थे । इस अकाल के समय में क़ुरैश के घमंडियों की अकड़ी हुई गरदनें बहुत झुक गयी थीं । दुआएं करते और रोते थे, बुतपरस्ती में कमी आ गयी थी । एक अल्लाह की ओर रुजू बढ़ गया था और नौबत यह आ गयी थी कि अंततः अबू सुफ़ियान ने आकर नबी (सल्ल०) से विनती की कि आप अल्लाह से इस विपदा को टालने

(शेष पृष्ठ 9 पर)

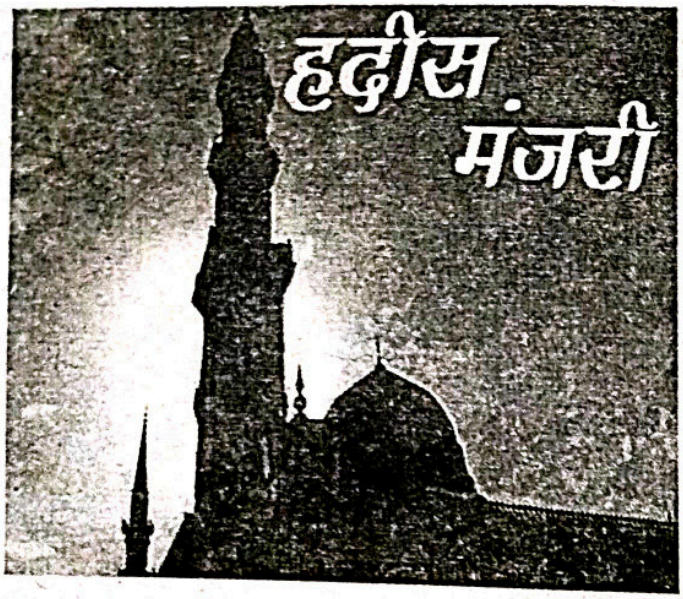

अल्लाह से अच्छी आशा

● हज़रत उबादह बिन सामित (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जिसने यह गवाही दी की अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वह अकेला है, और उसका कोई साझी नहीं और यह कि मुहम्मद (सल्ल॰) उसके बन्दे और उसके रसूल हैं और यह कि हज़रत ईसा अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं और वे अल्लाह का शब्द हैं जिसे मरयम की ओर डाला और उसकी ओर से एक रूह हैं और (यह गवाही दे) जन्नत और दोज़ख़ सत्य हैं, अल्लाह उसे जन्नत में दाख़िल करेगा चाहे उसके कर्म कैसे ही क्यों न हों ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

मुस्लिम की एक रिवायत में है : "जिस किसी ने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और यह कि मुहम्मद (सल्ल॰) अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने उस पर दोज़ख़ हराम कर दिया ।"

● हज़रत अबू ज़र (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "गौरव का स्वामी प्रतापवान अल्लाह कहता है : जो व्यक्ति एक नेकी करेगा उसे उसका दस गुना बदला मिलेगा और मैं और अधिक भी उसे प्रदान करूंगा । और जो बुराई करेगा उसे केवल एक बुराई का बदला मिलेगा या मैं क्षमा कर दूंगा । और जो मुझसे एक बित्ता निकट होगा, मैं उससे एक हाथ निकट हूंगा । और जो मुझसे एक हाथ निकट होगा मैं उससे दो हाथ निकट हूंगा । और जो मेरी ओर चलकर आएगा, मैं उसकी ओर लपकता हुआ आऊंगा और जो मुझसे धरती के बराबर गुनाह करके मिलेगा मैं उससे उसी जैसी क्षमा के साथ मिलूंगा, शर्त यह है कि उसने किसी को मेरा सहभागी न बनाया हो ।"

–मुस्लिम

● हज़रत जाबिर (रज़ि॰) कहते हैं कि एक ग्रामीण नबी (सल्ल॰) के पास आया और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (जन्नत और दोज़ख़ को) अनिवार्य करने वाली दो चीज़ें कौन-सी हैं ? आपने कहा : "जिस व्यक्ति की मृत्यु इस हाल में हो कि उसने किसी चीज़ को अल्लाह का साझी न ठहराया हो, वह जन्नत में प्रवेश करेगा । और जिसकी मृत्यु इस हाल में हो कि उसने किसी चीज़ को अल्लाह का साझी ठहराया, वह दोज़ख़ में दाख़िल होगा ।"

–मुस्लिम

● हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है कि हज़रत मुआज़ (रज़ि॰) सवारी पर नबी (सल्ल॰) के पीछे बैठे थे । आपने कहा: "ऐ मुआज़ ।" उन्होंने कहा : "ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपकी सेवा के लिए बारम्बार हाज़िर हूं । आपने कहा : "ऐ मुआज़ । "उन्होंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपकी सेवा के लिए बारम्बार हाज़िर हूं । आपने कहा : "ऐ मुआज़ । "उन्होंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपकी सेवा के लिए बारम्बार हाज़िर हूं । यह बात तीन बार कही गयी । फिर आपने कहा : "जो बन्दा सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और यह कि मुहम्मद उसके बन्दे और उसके रसूल हैं, अल्लाह अनिवार्यत: आग (दोज़ख़) को उस पर हराम कर देता है ।" उन्होंने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं इसकी ख़बर लोगों को न दे दूं कि वे खुश हो जाएं ? आपने कहा : "नहीं, वे इसी पर बस कर लेंगे ।" हज़रत मुआज़ (रज़ि॰) ने अपनी मृत्यु के समय गुनाह के भय से लोगों को यह बात बता दी ।

–बुख़ारी, मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

मनुष्य का मूल स्वभाव और इस्लाम

मानव का मूल स्वभाव और प्रकृति उसके जीवन की एक बड़ी सच्चाई है । मौलिक स्वभाव के अनुपालन की प्रेरणा हमें धर्मग्रंथों में मिलती है । मूल स्वभाव और प्रकृति पर जीने से मनुष्य बुराइयों एवं विकारों से बहुत ही सुरक्षित रहता है । वह अपने को उत्कर्षगामी बनाए रखता है । वह सामने के हर बंधन को काटता है और आगे बढ़ता जाता है । इसके लिए उसे मन, बुद्धि और इन्द्रिय-संयम की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा समाज की भेड़चाल उसे पतन की ओर ही ले जाती है । आज का भौतिकवादी समाज कुछ ऐसा ही है । मनुष्य के मूल स्वभाव पर न जीने से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है । हम सचेष्ठ और सावधान नहीं रहे, तो दानव बनने में कितनी देर है ?! अत: नकारात्मक बाह्य प्रभावों से अपने को बचाने अर्थात मूल स्वभाव पर बने रहने की बहुत ज़रूरत है । मूल स्वभाव पर बने रहने के लिए मन, बुद्धि और इन्द्रियों के संयम की अतीव आवश्यकता है । श्रीमद भगवद गीता में है–यततो ह्यीय कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यित:, इन्द्रियाणि प्रमथिनि हरन्ति प्रसभं मन: (2:60) अर्थात, हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये प्रमथन करने वाली इन्द्रियां बलात्कार से हर लेती हैं । अत: यह बड़ा कठिन कार्य हुआ । इसलिए भी नकारात्मक प्रभावों को हटाने और मूल स्वभाव बहाल की नितांत आवश्यकता है । इसके लिए गीता में उपाय बताए गये हैं । कहा गया है कि मूल स्वभाव पर आने के लिए प्रथम वाणी आदि इन्द्रियों का, फिर मन का संयम करना चाहिए (गीता 3:41-43, 2:93, 2:99, मनुस्मृति 2:93, 2:99, 2:88, 2:94, 2:100) अन्य धर्मग्रंथों में भी इसी प्रकार की बातें हैं और मनुष्य को मूल स्वभाव और प्रकृति पर जमे रहने का उपदेश दिया गया है ।

इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार, मनुष्य की जन्मजात प्रकृति और स्वभाव इस्लाम की प्रकृति के अनुरूप हैं । उसका सारा शरीर और शरीर का हर भाग इस्लाम की प्रकृति के अनुसार काम कर रहा है । इसके विपरीत जो इस्लाम से दूर है, बल्कि जो इन्कारी है, उसके चारों ओर सारी दुनिया इस्लाम पर चल रही हैं, परन्तु उसकी अक़्ल पर परदा पड़ा हुआ है । संपूर्ण संसार की ओर स्वयं अपनी प्रकृति उससे छिप गयी हैं । वह उसके विरुद्ध सोचता है और उसके विरुद्ध चलने की कोशिश करता है । अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इस्लाम का इन्कारी है, वह अपनी प्रकृति से कितनी दूर है । संसार में जितनी चीज़ें हैं सब ईश्वरीय आज्ञा के अधीन हैं और उनकी प्रकृति ही "इस्लाम" अर्थात ईश्वरीय विधि एवं नियम का पालन करना है । वास्तव में हर मनुष्य इस्लाम की प्रकृति पर पैदा होता है । स्वयं मनुष्य का संपूर्ण शरीर और उसका प्रत्येक भाग इसी प्रकृति के अनुरूप पैदा हुआ है । ईश्वर ने इन चीज़ों पर मनुष्य को शासन करने का थोड़ा-सा अधिकार तो अवश्य प्रदान किया है, परन्तु हर चीज़ की प्रकृति यह चाहती है कि उससे ईश्वरीय इच्छा के अनुसार काम लिया जाए । अपनी मूल प्रकृति से दूर रहने वाला मनुष्य अपने दिल में दूसरों की बड़ाई, प्रेम और भय को जगह देता है, हालांकि दिल की प्रकृति यह चाहती है कि उसमें ईश्वर की बड़ाई और उसका प्रेम और उसका भय हो । वह अपनी समस्त इन्द्रियों और अंगों से और दुनिया की उन सब चीज़ों से, जो उसके अधिकार में हैं, ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध काम लेता है । जो ईश्वर मनुष्य का वास्तविक उपकारकर्ता है, वास्तविक सम्राट है, सबसे बड़ा पालनकर्ता है यदि उसी के साथ मनुष्य ऐसी नीति अपनाए कि उसे ईश्वर ही न माने, उसकी बन्दगी से इन्कार करें और उसके आज्ञापालन से मुंह मोड़े, तो यह कितनी बड़ी कृतघ्नता है, जिससे हरहाल में बचा जाना चाहिए । मूल स्वभाव और प्रकृति के अनुगमन और अनुवर्तन से यह संभव है ।

चलते-चलते थम जाती है ज़िन्दगी की रफ़्तार

शहर में चलते-चलते कब, कहां और किस घड़ी रास्ता जाम हो जाए और ज़िन्दगी की रफ़्तार थम जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता । उ०प्र० के पूर्वांचल में स्थित ग़ाज़ीपुर, जौनपुर, सुलतानपुर, आज़मगढ़, मऊ, प्रतापगढ़ तथा वाराणसी सहित अन्यानेक शहरों में रास्ता जाम की समस्या आज आम हो गयी है जहां शायद ही कोई दिन ऐसा गुज़रता हो जब शहर के किसी न किसी हिस्से, किसी न किसी बाज़ार में लोगों को किसी न किसी शक्ल में रास्ता जाम का दंश न झेलना पड़ता हो ।

कभी-कभी तो शहरी सरहद में आने वाले ज़्यादातर रास्तों पर जाम ज़िन्दगी के वजूद को जकड़ कर झिंझोड़ डालता है कि आदमी का मन झुंझला कर रह जाया करता है । यह किसी एक दिन की स्थिति नहीं है । आये दिन इस तकलीफ़ को कमोबेश झेलना शहरी बाशिन्दों का नसीब बन गया है ।

पूर्वांचल के मुख़्तलिफ़ शहरों तथा बाज़ारों में रास्ता जाम की समस्या के प्रमुख कारणों में वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था की कमी, व्यावसायियों तथा भवन स्वामियों द्वारा सार्वजनिक मार्ग की पटरियों पर अतिक्रमण, अवैध वाहनों का संचालन, क्षतिग्रस्त तथा गड्ढेदार मार्ग वग़ैरह हैं ।

इनके अलावा इस समस्या के लिए सड़क की पटरी पर लगे इलेक्ट्रिक तथा टेलीफ़ोनिक पोल, आवारा मवेशियों के झुंड, संकरी सड़क, स्कूली बसों का आवागमन, तकनीकी तौर पर ग़लत ढंग से निर्मित चौराहे-तिराहे, संकेतक, डिवाइडर तथा गति अवरोधकों का अभाव, वाहन चालकों द्वारा गंतव्य पर शीघ्र पहुंचने की हड़बड़ी में यातायात संबंधी नियमों के बेख़ौफ़ उल्लंघन, गमनागमन प्रतिबंधित होने के बावजूद ओवरलोडेड मालवाहक ट्रकों-ट्रैक्टरों का ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को रिश्वत देकर शहर में बेख़ौफ़ प्रवेश वग़ैरह कारण ज़िम्मेदार हैं जिनके चलते शहर में यातायात प्रभावित होता है तथा न्यूनाधिक रास्ता जाम होता रहता है । जिसके परिणामस्वरूप इस समस्या की गिरफ़्त में जकड़ कर जीवन की रफ़्तार अचानक रुक जाया करती है तथा व्यक्ति अपाहिज की भांति रफ़्ता-रफ़्ता रेंग-रेंगकर कभी प्रशासनिक व्यवस्था तथा कभी अपनी भाग्य लेखा को कोसने को मजबूर हो जाया करता है । इस स्थिति में वह न आगे बढ़ पाता है और न पीछे लौट पाता है ।

इस परिस्थिति में उस व्यक्ति की मनःस्थिति का सहज अनुमान किया जा सकता है जिसको शीघ्र रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पकड़नी हो, निर्धारित समय पर परीक्षा केन्द्र में आयोजित वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होना हो, अथवा परिवार के गंभीर रूप से रोग पीड़ित सदस्य को शीघ्र चिकित्सालय में ले जाकर डॉक्टर को दिखाना हो ।

इस समस्या के समाधान तथा रास्ता जाम के मसले पर नियंत्रण हेतु पिछले अनेक वर्षों से प्रशासनिक स्तर पर कभी वनवे ट्रैफिक, कभी सेंट्रल पार्किंग की शक्ल में अनेकानेक व्यावहारिक प्रयोग किये जाते रहे मगर इन सबका परिणाम नकारात्मक ही निकला । समाधान की दिशा में ज़ितनी बार प्रयास किया जाता रहा, उतनी बार मामला टांय-टांय फिस्स हो गया । ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज़ संजीदा व लाइलाज होता

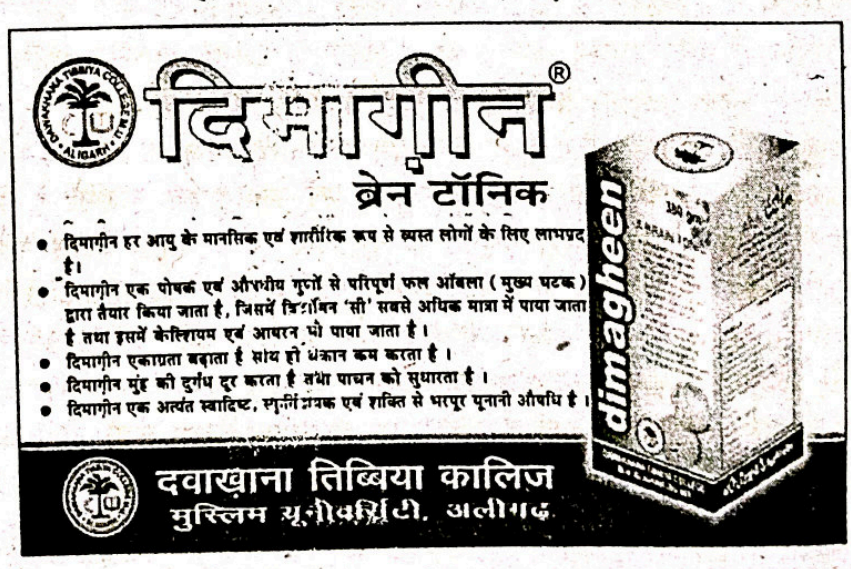

गया ।

तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी रास्ता जाम की समस्या शहरी बाशिन्दों तथा बाज़ारवासियों का पिंड छोड़ने का नाम नहीं ले रही है । आदमी शहर में अनिवार्य कार्य प्रयोजनवश आवागमन हेतु जिस राह पर चलता है, यह समस्या उसे तत्काल अपनी गिरफ़्त में ले लेती है तथा वह बेबस जलविहीन मीन की तरह छटपटा कर रह जाता है । वह भागकर जाए भी तो किस ठौर जाए ।

हर ठौर पर उसे इस समस्या से दोचार होना पड़ रहा है । कितना किंकर्तव्यविमूढ़, निरुपाय तथा असहाय हो गया है उसका जीवन । इस समस्या से निजात पाने की कोशिश में अनेक शहरों में बाइपास का भी निर्माण कराया गया मगर इससे भी स्थायी समाधान नहीं हो सका ।

विद्या प्रकाश

अचला घाट मार्ग, सिपाह जौनपुर (उ०प्र०)

तलाक़ की स्थिति

शादी और तलाक़ का कोई क़ानून उन पति पत्नी को एक नहीं कर सकता जब दोनों पक्ष यह तय कर लें कि उन्हें अब साथ ज़िन्दगी नहीं गुज़ारना है । ऐसे में अगर मुसलमान है तो तलाक़ देकर सदा के लिए अलग हो जाएगा अन्यथा बिना तलाक़ दिये उन्हें अलग-अलग ही रहना पड़ेगा जिस से उनके वैवाहिक जीवन का दाम्पत्य सुख प्रभावित होकर वे मानसिक और शारीरिक रूप से त्रस्त हो जाएंगे ।

2011 की जनगणना के आंकड़ों पर नज़र डालें तो उसके अनुसार देश में मुसलमानों की कुल जनसंख्या 17 करोड़ है और उनमें तलाक़ की दर 0.5 प्रतिशत बतायी गयी है । इस प्रकार 'तलाक़' से 8.5 लाख मुस्लिम लोग प्रभावित हैं । जबकि हिन्दुओं की जनसंख्या 100 करोड़ में से बिना तलाक़ के अलग रहने की दर 3.7 प्रतिशत है अर्थात बिना तलाक़ के अलगाव के मामले लगभग 3 करोड़ 70 लाख हैं ।

देखा जाए तो 'तलाक़' को यूं ही मुद्दा बना लिया गया है, जबकि 'तलाक़' के पक्ष मे मुस्लिम पुरुष और महिलाएं विभिन्न संगठनों के साथ एकजुट होकर आन्दोलन से जुड़ रहे हैं और वे केन्द्र शासन तथा सर्वोच्च न्यायालय को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी धर्म के पर्सनल लॉ से देश की एकता व अखंडता को कोई ख़तरा नहीं है और यह कि कामन सिविल कोड सिर्फ़ मुस्लिमों के लिए ही नहीं, अपितु हिन्दू, सिख, ईसाई तथा जैन धर्मावलंबियों के लिए भी अहितकारी है, उन सबकी धार्मिक भावनाएं इस प्रकार की कार्रवाई से आहत हो रही हैं ।

इसलिए आर्टिकल 24(1) (25बी) को सामने रखते हुए केन्द्र शासन को हलफ़नामा वापस ले लेना चाहिए, साथ ही धर्मनिरपेक्ष देश के लोकतंत्र की गरिमा को मज़बूत रखने के लिए आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करते हुए संविधान से आर्टिकल 44 को समाप्त करने का आदेश भी देना चाहिए ।

डॉ० एम० ए० रशीद

नागपुर

क़ुरआन ज्योति

(पृष्ठ 5 का शेष)

के लिए दुआ करें । मगर जब अकाल दूर हो गया, वर्षा होने लगी और खुशहाली का समय आया तो इन लोगों की वही उद्दंडताएं और दुष्कर्म और सत्य धर्म के विरुद्ध वही गतिविधियां फिर शुरू हो गयीं और जो दिल अल्लाह की ओर रुजू करने लगे थे, वे फिर अपनी पिछली ग़फ़लतों में डूब गये ।

दूसरे यह कि नबी (सल्ल०) जब भी इन लोगों को सत्य के इन्कार की सज़ा से डराते थे तो ये लोग उत्तर में कहते थे कि तुम अल्लाह के जिस अज़ाब की धमकियां देते हो, वह आख़िर क्यों नहीं आ जाता ? उसके आने में देर क्यों लग रही है ?

इसी पर फ़रमाया जा रहा है कि अल्लाह लोगों पर दया व कृपा करने में जितनी जल्दी करता है, उनको सज़ा देने और उनके पापों पर पकड़ लेने में उतनी जल्दी नहीं करता । तुम चाहते हो कि जिस तरह उसने तुम्हारी दुआएं सुनकर अकाल की विपदा जल्दी से दूर कर दी, उसी तरह वह तुम्हारी चुनौतियां सुनकर और तुम्हारी उद्दंडताएं देखकर अज़ाब भी तुरंत भेज दे, लेकिन अल्लाह का तरीक़ा यह नहीं है । लोग चाहे कितनी ही उद्दंडताएं किये चले जाएं, वह उनको पकड़ने से पहले संभलने का पर्याप्त अवसर देता है, जब रियायत की अति हो जाती है तब कर्म के बदले का नियम लागू किया जाता है ।

Human Welfare Foundation

(A national level NGO working for the socio-economic development of the weaker sections of the society focusing on Education, Healthcare, Community Development, Civil Rights Protection, Microfinance, Disaster Relief & Women Empowerment etc.)

Requires

Hardworking & highly motivated professionals

1. **Project Engineer**
   Qualification : B.Tech. / M Tech. (Civil) with experience.
2. **Junior Engineer**
   Qualification : Draughtsman (Civil) / Diploma in Civil Engg.
3. **Sr.Accountant**
   Qualification : B.Com/ M.Com with minimum 05 years experience in similar field.
4. **Executive(Accounts & Finance)**
   Qualification : B.Com/ M.Com with experience in similar field.
5. **Coordinator**
   Qualification : Graduate in any stream with good communication skills. (BSW/MSW will be preferred)
6. **Administrative Assistant :**
   Qualification : Graduate in any stream with strong written & Verbal communication skills. Proficiency in MS Office.

HOW TO APPLY : All Applications are invited for above mentioned post/ posts. Please send your applications along with updated CV to our below address or email us on jobs@hwfindia.org on or before 25th November'2016.

Manager Administration

HUMAN WELFARE FOUNDATION

E-89, 4th Floor, Hari Kothi Lane, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025 Telephone : 011-29945999, 65377706

Website : hwfindia.org

हज़रत रमला बिन्त अबी सुफ़यान

■ डॉ॰ अब्दुर्रहमान राफ़त पाशा

यह बात तो अबू सुफ़यान बिन हरब की कल्पना में भी नहीं आयी थी कि कुरैश का कोई फ़र्द उसके किसी फ़ैसले से बग़ावत या किसी महत्वपूर्ण मामले में उसका विरोध करने की जुर्रत करेगा। क्योंकि वह मक्का एक ऐसा सरदार और कुरैश का ऐसा लीडर था, जिसका हर आदेश हर हालत में स्वीकार्य समझा जाता था। लेकिन उसकी अपनी ही बेटी रमला ने–जो अपनी कुन्नियत उम्मे हबीबा के नाम से मशहूर थीं–उसके झूठे खुदाओं की खुदाई से इन्कार करके, उसके गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी। इसके साथ ही उसने और उसके शौहर उबैदुल्लाह बिन हजश ने एक खुदा पर ईमान और हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की रिसालत की तस्दीक़ का ऐलान करके उसकी चौधराहट का सारा भ्रम खोलकर रख दिया।

अबू सुफ़यान ने अपनी बेटी और दामाद को उनके दीन से फेरकर अपने पैतृक धर्म पर वापस लाने की बहुत कोशिश की। इसके लिए उसने ऐड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया, लेकिन उसकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गयी और वह अपने मक़सद में कामयाब न हो सका। क्योंकि जो ईमान रमला के दिल में गहरे पैठ चुका था, अबू सुफ़यान का क्रोध उसे उखाड़ तो क्या सकता, उसे हिला भी नहीं सका।

अबू सुफ़यान को रमला के मुसलमान होने का बहुत दुख था। अपनी बेटी को अपनी मर्ज़ी के अनुसार मजबूर करने और उसे तथा हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के अन्य अनुयायियों को इस्लाम से हटाने की कोशिशों में नाकामी के बाद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस मुंह से कुरैश का सामना करे।

जब कुरैश ने यह देखा कि अबू सुफ़यान रमला और उसके शौहर से नाराज़ है तो वे इन दोनों के दुश्मन हो गये। वे उन्हें कठोर यातनाएं देते, यहां तक कि उनके लिए मक्का में ज़िंदगी गुज़ारना दूभर हो गया। जब अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मुसलमानों को हब्शा की तरफ़ हिजरत करने की अनुमति दी तो रमला बिन्त अबू सुफ़यान, उनका शौहर उबैदुल्लाह बिन हजश और उनकी छोटी बच्ची हबीबा मुहाजिरों के उस क़ाफ़िले में अग्रणी थे जिसने अपने दीन व ईमान की हिफ़ाज़त के लिए हब्शा (वर्तमान इथोपिया) के बादशाह नज्जाशी का समर्थन प्राप्त किया था।

लेकिन मुसलमानों की इस छोटी-सी जमाअत उनके हाथ से बच निकलना और हब्शा में उसका सुकून रहना अबू सुफ़यान, उसके अनुयायियों और कुरैश के अन्य सरदारों को बहुत नागवार गुज़रा। इसलिए उन्होंने नज्जाशी को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने, उनकी वापसी की मांग करने और उसे यह जताने के लिए कि ये लोग ईसा इब्ने मरियम और उनकी माता हज़रत मरियम (अलैहि॰) के बारे में नापसंदीदा बात कहते हैं, अपने दूतों को हब्शा भेजा।

नज्जाशी ने मुसलमानों को बुलाया और उनसे उनके दीन (धर्म) की हक़ीक़त और इस बात की वास्तविकता पूछी जो वह ईसा मसीह और उनकी वालिदा के बारे में कहते हैं। उसने मुसलमानों के सामने अपनी यह इच्छा भी प्रकट की कि वे कुरआन के कुछ हिस्से उसे सुनाएं जो उनके नबी पर नाज़िल होता है। जब मुसलमानों ने उसके सामने इस्लाम की हक़ीक़त बयान की और कुरआन की कुछ आयतें उसे सुनायी तो वह इतना प्रभावित हुआ कि रोते-रोते उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गयी, फिर उसने मुसलमानों से कहा–'यह कलाम जो तुम्हारे नबी मुहम्मद (सल्ल॰) पर नाज़िल हुआ है और वह जिसे ईसा इब्ने मरियम लाए थे, दोनों एक ही नूर की किरणें हैं।'

फिर वह एक खुदा पर ईमान लाकर और हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की नुबूवत का इक़रार करके इस्लाम के दायरे में दाख़िल हो गया। इस मौक़े पर उसने मुसलमानों के लिए अपने समर्थन का ऐलान भी किया, जो हिजरत करके उसके देश में आये थे। इस मामले में उसने अपने सरदारों के विरोध की भी परवाह नहीं की, जिन्होंने इस्लाम अपनाने से इन्कार कर दिया और अपने पुराने धर्म ईसाइयत पर क़ायम रहे।

इसके बाद हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰) ने समझा कि लंबी परेशानियों के बाद अब हालात उनके लिए साज़गार हो गये हैं और उन्हें कठिनाइयों से मुक्ति मिल गयी है । मगर वे हालात उनकी निगाहों से छिपे हुए थे जिन्हें तक़दीर ने उनके लिए लिख रखा था ।

अल्लाह ने हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰) को एक ऐसे मुश्किल इम्तिहान में डालना चाहा जिसमें बड़े-बड़े प्रबुद्ध लोग भी हैरत में पड़ जाएं । लेकिन इसी के साथ उसने यह भी चाहा कि उन्हें इस कठिन परीक्षा में सफलता प्रदान करके उच्च स्थान प्रदान करे । एक रात हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰) ने सपना देखा कि उनके पति उबैदुल्लाह बिन हजश एक भयंकर भंवर में फंसे हुए हैं और उससे निकलने के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं और अत्यंत प्रतिकूल हालात से दो-चार हैं ।

भय और बेचैनी की वजह से उनकी आंख खुल गयी। इस सपने का उल्लेख वह अपने पति या अन्य किसी व्यक्ति से नहीं करना चाहती थीं । लेकिन यह ख़्वाब बहुत जल्द एक हक़ीक़त की शक्ल में उनके सामने आ गया । उस मनहूस रात की सुबह अभी शाम में तब्दील नहीं होने पायी थी कि उबैदुल्लाह बिन हजश ने अपने दीन को त्याग कर ईसाइयत अपना ली । इसके बाद उनका ज़्यादातर वक़्त शराबख़ाने में गुज़रने लगा । अधिकता से शराब पीने के बावजूद वह उससे तृप्त नहीं होता था । उसने हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰) को दो में से एक चीज़ चुनने को कहा और दोनों ही उन्हें सख़्त नापसंद थीं-यानी या तो तलाक़ ले लें या ईसाइयत अपना लें ।

हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰) ने ख़ुद को अचानक तीन मुश्किलों में घिरा हुआ पाया । या तो वह अपने पति की बात मान लें जो निरंतर उन पर ईसाइयत अपनाने के लिए दबाव डाल रहा था और इस तरह अपने दीन से फिर जाएं और दुनिया व आख़िरत की रुसवाई से दो-चार हों । और यह ऐसा काम था जिसे वह किसी हालत में भी नहीं कर सकती थीं, चाहे इसके नतीजे में उनके जिस्म का गोश्त लोहे की कंघियों के ज़रिए उनकी हड्डियों से खुरच कर अलग कर दिया जाए...अथवा वह मक्का में अपने वालिद के घर वापस चली जाएं और वहां ऐसी ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर हों जिसमें उन्हें अपने दीन पर अमल करने से रोक दिया गया हो । क्योंकि मक्का अभी तक कुफ़्र व शिर्क का गढ़ था, या फिर वह अकेले एवं असहाय हब्शा में ठहरी रहें । उन्होंने अल्लाह की रज़ा (प्रसन्नता) को अन्य विकल्पों पर तरजीह देते हुए तीसरे विकल्प को चुना और अल्लाह की तरफ़ से आसानी व अनुकूल हालात की उम्मीद रखते हुए हब्शा में ही ठहरने का फ़ैसला किया ।

हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰) ने अल्लाह से जिस आसानी की आशा बांधी थी, उसके लिए उन्होंने ज़्यादा दिनों तक इंतिज़ार नहीं करना पड़ा । इस्लाम से फिरने से कुछ अर्से बाद ही उनके पति की मौत हो गयी । अपनी इद्दत पूरी करने के फ़ौरन बाद ही अप्रत्याशित रूप से उनके पास उनकी ख़ुशनसीबी का पैग़ाम आ पहुंचा ।

एक दिन दोपहर के वक़्त जब दिन ख़ूब रोशन हो चुका था और सूरज की रुपहली किरणों ने ज़मीन को चांदी का लिबास पहना दिया, उनके दरवाज़े पर दस्तक हुई । जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अचानक अपने सामने हब्शा के सम्राट नज्जाशी की ख़ास सेविका 'अबरहा' को देखकर आश्चर्यचकित रह गयीं । अबरहा ने बड़े अदब से सलाम करके अंदर आने की इजाज़त मांगी और कहा–

'सम्राट आपको सलाम करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने आपको निकाह का पैग़ाम भेजा है और एक ख़त के ज़रिए उन्हें अपना वकील बनाया है, आप भी अपनी तरफ़ से किसी को वकील मुक़र्रर कर दीजिए ।'

यह सुनकर हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰) ख़ुशी से फूली नहीं मसाईं और बेसाख़्ता बोल उठीं–'अल्लाह तुम्हें ख़ुश रखे, अल्लाह तुम्हें ख़ुशख़बरी सुनाए ।'

फिर अपने एक-एक गहने उतारकर अबरहा को देने लगीं । उन्होंने अपने कंगन उतारकर अबरहा को दे दिए । फिर पाज़ेब (पायल), दोनों कानों की बालियां और अंगूठियां उसे दे दीं । अगर इस वक़्त उनके पास दुनिया के सारे ख़ज़ाने भी होते तो वे सब, यह ख़ुशख़बरी देने की वजह से, अबरहा को प्रदान कर देतीं । फिर उन्होंने कहा कि मैं ख़ालिद बिन सईद बिन आस को अपनी वकील बनाती हूं, क्योंकि वह मेरे क़रीबतरीन रिश्तेदार हैं ।

नज्जाशी का रिहायशी महल वृक्षों से आच्छादित एक ऊंचे टीले पर स्थित था और उसकी तलहटी में हब्शा का सबसे ख़ूबसूरत बाग़ उसके सौंदर्य को और भी बढ़ा रहा था । उसी महल के एक विशाल भव्य हाल में आप

(सल्ल॰) की ग़ैर-मौजूदगी में आप (सल्ल॰) के साथ हज़रत उम्मे हबीबा के निकाह की मजलिस का आयोजन किया गया । इस निकाह की मजलिस में, हब्शा में रह रहे बहुत से सहाबा कराम ने शिर्कत फ़रमाई, जैसे–हज़रत जाफ़र बिन अबी तलिब, हज़रत ख़ालिद बिन सईद बिन आस और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफ़ा सहमी (रज़ि॰) वग़ैरह । इस अवसर पर नज्जाशी ने, जो इस मजलिस के मुखिया थे, ख़ुत्बा देते हुए कहा–'मैं शुक्र अदा करता हूं, उस बुज़ुर्ग व बरतर ख़ुदा का जो हर क़िस्म के ऐबों से पाक है, अपने बंदों को अम्न व इत्मीनान बख़्शने वाला है और असीम ताक़त व कुव्वत वाला है...और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत (पूजा, स्तुति) का हक़दार नहीं और इस बात की गवाही कि मुहम्मद (सल्ल॰) उसके बंदे और रसूल हैं, और इस बात की कि हज़रत मुहम्मद वही पवित्र पैग़म्बर हैं, जिनके आगमन की पूर्व शुभसूचना (बिशारत) ईसा इब्ने मरियम ने दी थी ।'

'अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मुझे हुक्म दिया है कि उम्मे हबीबा बिन्त अबू सुफ़यान (रज़ि॰) को उनके निकाह में दे दूं । अत: मैं आप (सल्ल॰) के आदेश का पालन करता हूं और आप (सल्ल॰) की तरफ़ से उम्मे हबीबा (रज़ि॰) को 400 सोने के दीनार महर के रूप में अदा करता हूं ।'

फिर उन्होंने ये दीनार हज़रत ख़ालिद बिन सईद (रज़ि॰) के सामने डाल दिये । इसके बाद हज़रत ख़ालिद बिन सईद बिन आस खड़े हुए और उन्होंने अपने जवाबी ख़ुत्बे में फ़रमाया–'सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं । मैं उसका शुक्र अदा करता हूं । उसी से मदद मांगता हूं, उसी से इस्तिग़फ़ार (मुक्ति की कामना) करता हूं और उसी से हर प्रकार की आशाएं बांधता हूं । और गवाही देता हूं कि मुहम्मद (सल्ल॰) उसके बंदे और रसूल हैं । अल्लाह ने उन्हें हिदायत और हक़ (सत्य धर्म) देकर इसलिए भेजा है कि उसका वर्चस्व सर्वमेव स्थापित कर दें, चाहे यह बात सत्य का इन्कार करने वालों को कितनी ही नागवार लगे ।

'मैं अल्लाह के रसूल के हुक्म का पालन करता हूं और अपनी मुवक्कला उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफ़यान को आप (सल्ल॰) के निकाह में देता हूं । अल्लाह अपने रसूल वग़ै उनकी बीवी में बरकत अता फ़रमाए और उम्मे हबीब (रज़ि॰) को वह ख़ैर व बरकत (कल्याण, मंगल) मुबारक हो जो अल्लाह ने उनके मुक़द्दर में लिख दी थी ।'

फिर जब हज़रत ख़ालिद बिन सईद (रज़ि॰) दीनारों को उठाकर खड़े हो गये ताकि उन्हें हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰) के यहां पहुंचा दें और उनके साथ ही दूसरे सहाबा किराम (रज़ि॰) भी वापसी के लिए उठ खड़े हुए तो नज्जाशी (रज़ि॰) ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा–'आप सब हज़रत अभी तशरीफ़ रखें, क्योंकि नबियों की सुन्नत यह है कि जब वह निकाह करते हैं तो खाना खिलाते हैं ।'

फिर उन्होंने खाना मंगवाया और सब लोग उसे खाकर अपने निवासों की ओर लौट गये ।

हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰) कहती हैं–'जब महर की रक़म मेरे पास पहुंची तो मैंने उसमें से पचास मिस्क़ाल (एक मिस्क़ाल ढाई तोले का होता है) सोना अबरहा के वहां भेज दिया और साथ ही उसे यह भी कहला दिया कि ख़ुशख़बरी देते वक़्त मैंने तुम्हें जो कुछ दिया था वह इस हाल में दिया था कि मेरे पास उस वक़्त तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं था...थोड़ी देर अबरहा मेरे पास आयी और उसने वह सोना जो मैंने उसके पास भेजा था वापस कर दिया । फिर उसने एक डिब्बा निकाला जिसमें मेरे दिये हुए ज़ेवरात थे । उसने वे सारे ज़ेवरात भी यह कहते हुए मुझे लौटा दिये कि बादशाह ने मुझे आपसे कुछ लेने को सख़्ती से मना किया है । बादशाह ने अपनी सभी रानियों को हुक्म दिया कि उनके पास जितनी ख़ुशबू हो, वह सब आपके पास भेज दें । अगले दिन अबरहा मेरे पास ज़ाफ़रान, अवूद, अंबर लेकर आयी । फिर उसने कहा कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है । मेरे पूछने पर उसने बताया कि मैंने इस्लाम क़बूल करके हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के दीन की पैरवी अपना ली है, तो आप नबी करीम (सल्ल॰) को मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुकी हूं । इसे भूलिएगा मत । फिर उसने मेरी रवानगी का प्रबंध किया और मैं अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की तरफ़ रवाना कर दी गयी ।

जब मेरी मुलाक़ात अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से हुई तो मैंने निकाह की पूरी रूदाद आप (सल्ल॰) को सुनायी और जो कुछ मैंने अबरहा के साथ किया था, उससे भी आप (सल्ल॰) को आगाह किया और उसका सलाम भी आपको पहुंचा दिया । अल्लाह के रसूल ने उसकी बातें सुनकर निहायत ख़ुशी का इज़हार किया और उसके सलाम का जवाब दिया ।

"फ़ने तालीम व तर्बियत" भाग-1 का हिन्दी में पहला संस्करण

शिक्षण-प्रशिक्षण कला

(भाग-1)

अफ़ज़ल हुसैन

एम०ए०एल०टी

इस पुस्तक में बच्चों की मनोस्थिति, शिक्षा के नियम, शिक्षक के गुण, प्रधानाचार्य के दायित्व, शिक्षण के तरीक़े, प्रशिक्षण के दंग, पाठशाला की व्यवस्था, शिक्षा संस्थाओं की सफलता की शर्तें और सहयोग प्राप्त करने के स्वरूपों पर विचार से प्रकाश डाला गया है ।

इसमें माता-पिता और शिक्षकों के लिए सरल और सुगम भाषा में बच्चों के इस्लामी दृष्टिकोण से शिक्षण और प्रशिक्षण के नियम बयान किये गये हैं । आशा है कि उर्दू संस्करण ही की तरह इसे भी आसामान्य लोकप्रियता प्राप्त होगी ।

साइज : $\frac{23 \times 36}{16}$ कुल पृष्ठ : 552 मूल्य : 325-00

MMI PUBLISHERS

D-307,Dawat Nagar,Abul Fazl Enclave,Jamia Nagar
New Delhi-110025 • Phone: 26981652,26984347
• Fax: 26987858 • E-mail: mmipublishers@gmail.com
• website: www.mmipublishers.net

पवित्र क़ुरआन में मानवता की शिक्षा

■ विजय गोपाल मंगल

आरम्भे तदनुध्यानं भक्ता भक्तै निर्सेवितम् ।
मार्गदर्शनं मनुष्याणां प्रेषितैर्गूढ़ शोधनम् ॥

सर्वप्रथम मैं उस एक ईश्वर (अल्लाह) का ध्यान करता हूं जिसकी भक्ति कर भक्तों ने जीवन सफल किया । जिसने मनुष्यों को इन्सानियत (सदाचार) की शिक्षा दी और पैग़म्बरों के द्वारा रहस्यों का गूढ़शोधन (स्पष्टीकरण) कराया ।

कुरआन का सार उसके प्रथम अध्याय सूरा फ़ातिहा में मौजूद माना जाता है । यह श्लोक उसी की भावाभिव्यक्ति है । यद्यपि पवित्र कुरआन मुसलमानों का जातीय धर्मग्रंथ समझा जाता है किंतु वास्तव में यह समस्त मानवजाति की आध्यात्मिक धरोहर है । इसमें दिया गया ज्ञान अल्लाह ने स्वयं अपने ख़ास फ़रिश्ते जिबरईल की मारफ़त हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के हृदय में उतारा था इसलिए इसे भी वेदों की तरह ईश्वरीय कहा जाता है । स्वयं कुरआन में लिखा है–

"निस्संदेह पवित्र कुरआन किताबे-लौह में महफ़ूज़ है जब तक शुद्ध न हो, उसे मत छुओ । यह लोक-परलोक के स्वामी के पास से उतरा है ।" (कुरआन, 56:78-80)

सर्वप्रथम हिरा की गुफ़ा में "इक़्-र बिसमिरब्बि-क (कुरआन, 96:1)" "पढ़ो अपने रब (पालनहार) के नाम के साथ" यह आयत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के हृदय में उतरी । फिर उनकी उम्र के चालीसवें वर्ष से लेकर तिरेसठवें वर्ष तक यानी 23 वर्षों तक थोड़ा-थोड़ा करके कुरआन में दिया गया यह ज्ञान उनके हृदय में उतरा ।

कुरआन का जो संस्करण हमें लिलता है वह 653 ई० के लगभग ख़लीफ़ा उस्मान (रज़ि०) के समय तैयार हुआ था । कुरआन 30 पारों या खंडों में बंटा है । कुरआन की कुछ आयतें मक्का में और कुछ आयतें मदीना में उतरीं, इसलिए उसके 114 अध्याय मक्की और मदनी दो भागों में बंटे हैं, किंतु इनको उतरने के क्रम में नहीं रखा गया है । प्रारंभिक अध्यायों की अपेक्षा बाद में अध्याय प्रायः छोटे हैं । अध्याय को 'सूरा' का नाम दिया गया है । इसकी भाषा शैली अरबी का सर्वश्रेष्ठ नमूना है जो मधुर, सरल एवं कवितामय होने से गेय है ।

तत्कालीन परिवेश

तत्कालीन अरब प्रदेश की परिस्थितियों एवं हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के जीवनदर्शन को समझने के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के साथी हज़रत जाफ़र (रज़ि०) ने हब्शा के राजा से जो कुछ निवेदन किया था, ध्यान देने योग्य है । उन्होंने कहा–

"हे सम्राट । हम एक युग से असभ्यता और पथ-भ्रष्टता के अंधकार में भटक रहे थे । अल्लाह (परमेश्वर) को भूलकर प्रतिमाओं की पूजा करते थे । मरे हुए जीवों का मांस खाते थे । पर-स्त्रीगमन, लूटमार, चोरी और दूसरों पर अत्याचार करना हमारे दैनिक जीवन का अंग बन चुका था । प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल को अपनी महत्वाकांक्षा का शिकार बना लेने पर वर्ग करता था । तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन जानवरों और हिंसक पशुओं से भी बदतर हो चुका था । ईश्वर ने हम पर कृपा की और हममें से ही एक व्यक्ति ऐसा उत्पन्न किया जिसे उसने अपना रसूल (पैग़म्बर) बनाया । हम उसके क़बीले और जीवन-वृत से भली-भांति परिचित हैं । वह अत्यंत शिष्ट, सदाचारी, अमानतदार और पुण्यात्मा है । उसकी शिष्टता और सज्जनता की मित्र और शत्रु दोनों प्रशंसा करते हैं । उसी ने हमें इस्लाम का उपदेश दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन करना ।

उसने कहा कि हम मूर्तिपूजा छोड़कर केवल अल्लाह को अपना उपास्य तथा प्रभु बनाएं । उसने हमें शिक्षा दी है कि हम सच बोलें और हत्या एवं तोड़-फोड़ का मार्ग त्याग दें । अनाथों की संपत्ति को न हड़पें । उसने कहा कि पड़ोसियों की सहायता करो और पर-स्त्रीगमन आदि दुष्कर्मों का परित्याग करो, नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, ईश्वर की राह में

ज़कात दो, शिक्षुओं और निर्धनों की सहायता करो ।''

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का परिचय

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का जन्म 570 ई० में अरब के मक्का नगर में हुआ । जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके माता-पिता का देहांत हो गया था । अत: उनका पालन-पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया । जब वे बड़े हुए तब उन्होंने एक धनी विधवा ख़दीजा के यहां नौकरी कर ली । बाद में 25 वर्ष की उम्र में उनसे ही विवाह कर लिया । उस समय अरब में मूर्ति-पूजा प्रचलित थी, अकेले काबा में 360 मूर्तियां थीं और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का क़बीला कुरैश ही उसका पुरोहित था । किंतु हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ईसाई भिक्षुओं की भांति हर वर्ष कुछ दिनों के लिए हिरा की गुफ़ा में एकांत सेवन और ईश्वर-स्मरण के लिए जाया करते थे ।

चालीस वर्ष की उम्र में 610 ई० में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को पहला इलहाम हुआ । उसके बाद मुहम्मद साहब को एक के बार एक कई इलहाम यानी ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुए । उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और वे स्वयं अल्लाह के एक पैग़म्बर हैं । ईश्वर का दिव्य संदेश प्राप्त कर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने एक ईश्वर की उपासना और सदाचरण का उपदेश सुनाना आरंभ किया ।

संसार में समाज सुधारक का कार्य वस्तुत: बहुत कठिन होता है । संसार में प्रचलित पाखंडों और दुष्कृत्यों की यदि समालोचना की जाती है तो जनसमुद्र अपनी चिरस्थापित नीति की तरंगों में गत्यावरोध देखकर उसके प्रतिकार में लग जाता है और इसके लिए अपने निस्सीमाधिकार एवं शक्ति का प्रयोग करता है । बड़ी-बड़ी तरंगों की तो बात ही क्या है, तुच्छ से तुच्छ समुदाय भी अपने स्वरूप का विचार न करके उस समय उसके सिर पर पाद-प्रहार करना आरंभ कर देता है, किंतु निश्चल नीति सत्यमनस्क सुधारक भर्तृहरि के इस नीति वाक्य के अनुसार–

निन्दंतु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु यथेटम् ।
अद्यै वा मरणमस्तु युगांतरे वा,
न्याय्यात्पथ: प्रबिचलंति पद न धीरा: ।।

अर्थात समाज-सुधारक अपना सर्वस्व स्वाहा करते हुए उस संक्रुद्ध जनसमूह की कुछ भी परवाह न कर हिमालय की भांति अपने स्थान पर स्थिर रहत है ।

पारंपरिक विश्वास रखने वाले बहुत से लोग हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के शत्रु हो गये किन्तु उन्होंने इसकी परवाह नहीं की । 622 ई० में एक दिन कुरैशियों ने हत्या के उद्देश्य से उनका घर चारों ओर से घेर लिया । किंतु ईश्वरीय प्रेरणा से उन्हें इस साज़िश का पता पहले ही चल चुका था, इसलिए उन्होंने मदीने की ओर प्रस्थान (हिजरत) किया । हिजरी संवत् का प्रारंभ इसी दिन से होता है । मदीनावासियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) मदीना में कुछ ही समय बिता पाये थे कि वहां भी पहुंचकर कुरैश और उनकी कुमंत्रणा में पड़े लोग हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और उनके साथियों को कष्ट पहुंचाने लगे । अंत में आत्मरक्षा का कोई अन्य उपाय न मिल सकने की स्थिति में विवशत: हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को उन दृष्टाचारियों के ख़िलाफ़ अनेक युद्ध करने पड़े जिनकी समाप्ति मक्का-विजय और काबा को मूर्तिरहित करने पर हुई ।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) उन विशिष्ट व्यक्तियों में से थे जिनका स्थान अपने आसपास के धरातल से ऊंचा होता है । विद्वानों ने इस बात को माना है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने लाचार होकर आत्मरक्षा के लिए शस्त्रधारण किया था, किन्तु बाद में कितने ही लोगों ने इसका ग़लत अर्थ निकाला तथा इसे धर्म के प्रचार का साधन कहकर दुष्प्रचार किया । यद्यपि वास्तविक तथ्य यह है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ज़बरदस्ती धर्म बदलवाने के पक्ष में नहीं थे । जैसा कि कुरआन में लिखा है–

''धर्म के मामले में किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए ।'' (कुरआन, 2:256)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने व्यर्थ के ख़ून-ख़राबे को कभी भी उचित नहीं समझा । कुरआन कहता है–

अल्लाहु, ला-युहिब्बुल-फ़साद ।
''ईश्वर कलह व बिगाड़ पसन्द नहीं करता है ।''
(कुरआन, 2:205)

लकुम-दीन-कुम वलिय दीन ।
''तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए और मेरा धर्म मेरे लिए ।''
(कुरआन, 109:6)

वाक़ई यह आयत धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से क़ाबिले-तारीफ़ है ।

इस्लाम एक सनातन मान्यता

कुरआन में बार-बार निर्णायक और स्पष्ट शब्दों में इस बात का ऐलान है कि कुरआन किसी नयी मज़हबी गरोहबन्दी का संदेश लेकर संसार में नहीं आया, बल्कि वह लोगों को उसी मार्ग पर बुलाता है जो सनातन से चला आ रहा है और जिसकी ओर ईश्वर के भेजे हुए सभी संदेशवाहकों ने मनुष्य को बुलाया है । चाहे ये संदेशवाहक किसी भी जाति, देश या क्षेत्र में आये हों । कुरआन में कहा गया है–

"खुदा ने तुम्हारे लिए वही धर्म निर्धारित किया जिसकी ताकीद उसने नूह को की थी । और वह (जीवंत आदेश) जिसकी प्रकाशना हमने तुम्हारी ओर की है और वह जिसकी ताकीद हमने इबराहीम और मूसा और ईसा को की थी यह है कि 'धर्म को क़ायम करो और उसके विषय में अलग-अलग न हो जाओ' ।" (कुरआन, 42:13)

इसलिए कुरआन के उपदेश की पहली बुनियाद यह है कि ईश्वर की ओर से आये हुए सभी संदेष्टाओं और सब ईश्वरीय ग्रंथों का समान रूप से आदर किया जाए । यानी यह विश्वास किया जाए कि वे सब सत्य पर थे, सब ईश्वर का संदेश पहुंचाने वाले थे । और सभी ने एक ही सत्य और एक ही नियम की शिक्षा दी और उन सबकी सर्वसम्मत शिक्षा के अनुसार चलना ही हिदायत और कल्याण का मार्ग है ।

इस्लाम में एक ईश्वर की धारणा

कुरआन में कहा गया है कि खुदा एक है और उसकी सच्चाई एक है । खुदा की सच्चाई उसकी अन्य सब बातों की तरह उसकी विश्वव्यापी देन है । वह न तो किसी युग विशेष से संबंध रखती है और न ही किसी वंश, जाति या संप्रदाय विशेष से । वह खुदा के सूरज की तरह प्रत्येक स्थान पर चमकती है और मनुष्य को रोशनी पहुंचाती है । मनुष्य को किसी ख़ास जाति, भाषा और तरह-तरह की गरोहबन्दी का उपासक न होकर केवल खुदा का उपासक होना चाहिए । कुरआन कहता है कि सबका परवरदिगार एक है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मानुसार ही फल मिलते हैं । मेरी शिक्षा इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है कि ईश्वर की उपासना और सदाचरण ही मनुष्य का कर्तव्य है, मैं हर ईशदूत का समान रूप से समर्थन करता हूं और उन सबकी सामान्य और सर्वमान्य शिक्षा ही मेरी शिक्षा है । अगर तुमने धर्म की वास्तविक शिक्षा पर सच्चाई से अमल कर लिया तो मेरा काम पूरा हो गया, क्योंकि मेरा संदेश कोई नया संदेश नहीं है बल्कि वही सनातन और सार्वभौमिक संदेश है, जो समस्त ईशदूतों ने दिया है ।

ईशपरायणता और मानव के साथ मानवीय व्यवहार ही यथार्थ धर्म है । धर्म का उद्देश्य एकेश्वरवादी अवधारणा से पूर्ण मानवता की पूर्ति है । प्रत्येक मनुष्य में इन्सानियत की भावना विद्यमान होती है । यह भावना वैयक्तिक स्तर पर अलग-अलग प्रत्येक मानव में न्यूनाधिक विद्यमान होती है, किंतु समष्टीय स्तर पर मानवीय मूल्यों की कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिनके अच्छे होने में सभी सहमत हैं और कुछ ऐसी हैं जिनके बुरे होने में सबकी एक राय है । समाज में मानव के उन कार्यों को सदैव सराहा जाता है जो अन्य लोगों के लिए लाभकारी तथा मानवता की परिधि में आते हैं, जैसे–माता-पिता की सेवा, पड़ोसियों से सद्व्यवहार, अनाथों व दरिंदों की ख़बरगीरी करना, पीड़ितों की सहायता करना । ये सब अच्छे काम हैं और इनके विपरीत अन्याय एवं अत्याचार बुरे कार्य हैं । समाज में दया, उदारता, विशाल हृदयता और सहानुभूति को सदैव सराहा गया है तथा कृपणता, पाषाण-हृदयता, स्वार्थपरता और संकीर्ण भावना को कभी भी उच्च स्थान नहीं मिला ।

कहने का उद्देश्य यह है कि मानवता ने उन्हीं लोगों को अपना समझा है जो संमार्ग पर चलने वाले और सत्यनिष्ठ हों, जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनका अंतर और बाह्य समान हो, वाणी और कर्म में एकता हो, जो अपने कर्तव्य-मार्ग पर दृढ़ और दूसरों के प्रति अपने धर्म का पालन करने में उदार हों, जो स्वयं शांतिपूर्वक रहें तथा दूसरों को भी शांतिपूर्वक रहने दें । अर्थात ये वे बातें हैं जिनकी अच्छाई आमतौर पर जानी-बूझी है और जिनके विरुद्ध चलना आमतौर पर उचित नहीं समझा जाता । संसार के सभी धर्म, संसार के सभी आचार-विचार, संसार के सभी समाज दूसरी अनेक बातों में चाहे जितना मतभेद रखते हों लेकिन जहां तक इन मानवीय मूल्यों का संबंध है, सब एक मत हैं ।

सार्वभौमिक मान्यताएं

कुरआन में कहा गया है कि ईश्वरीय धर्म उन्हीं कार्यों को मनुष्य के लिए आवश्यक कर्तव्य क़रार देता है जिनकी अच्छाई आमतौर पर मनुष्य-समाज ने समझ ली है । इसी तरह उन सब कार्यों को ईश्वरीय धर्म के विरुद्ध और निषिद्ध क़रार देता है, जिन्हें आमतौर पर लोग अस्वीकार करते हैं और जिन्हें बुरा कहने में सभी धर्म सहमत हैं । यह बात

चूंकि धर्म का मौलिक तत्व थी इसलिए इसमें मतभेद न हो सका और विविध मज़हबी गरोहों में अगणित भ्रांतियों के होते हुए तथा अनेक सच्चाइयों को भुला देने पर भी यह सच्चाई सदा प्रकट और सर्वमान्य रही । इन कार्यों की अच्छाई और बुराई पर संसार के सभी धर्म और सभी क़ौम के लोग सभी युगों में सहमत रहे हैं । इसी से इन बातों का ईश्वर की ओर से मनुष्य के प्रति आदेश होना साबित होता है । क्योंकि कुरआन ईश्वरप्रदत्त विधान है इसी लिए वह भी स्पष्टत: नेकी (भलाई) यानी "मारूफ़" की आज्ञा देता है और बुराई यानी 'मुनकर' से रोकता है ।

इस्लाम एक स्वाभाविक धर्म है

कुरआन में कहा गया है कि यही कर्म-मार्ग (मानवता) मनुष्य समाज के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित प्राकृतिक धर्म है । इसी का नाम कुरआन की भाषा में "अल-इस्लाम" है जिसका अर्थ है ईश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन करना । यह ठीक है कि मानवीय आचारसंहिता सर्वमान्य तथ्य है और समस्त मानवजाति जानती भी है और कुरआन ईश्वर द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए कहता भी है, किंतु प्रश्न उठता है कि कुरआन में इन नियमों को लागू करने वाली वह कौन-सी नियामक शक्ति है जिसके बल पर वे प्रचलित हों तथा वे कौन-सी प्रेरक शक्तियां हैं जो मनुष्य को उस नैतिक क़ानून के पालन के लिए तैयार करें और पाबन्द बनाएं ?

मनुष्य ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है

कुरआन में मान्यता है कि ईश्वर एक है । ईश्वर ही इस ब्रह्माण्ड का स्रष्टा, एकमात्र प्रभु, शासक और पालक है और उसी की इच्छा से समस्त क्रिया-कलाप हो रहा है । वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष से अवगत है । मनुष्य उसका मात्र सेवक है, उसका कार्य यही है अपने स्रष्टा की सेवा और आज्ञापालन करे ।

सामयिकी

देश को खोखला कर रहा भ्रष्टाचार

■ विद्या प्रकाश

भ्रष्टाचार आज देश की ऐसी सर्व प्रमुख समस्या है जो आतंकवाद से किसी भी दृष्टि से कम ख़तरनाक और भयावह नहीं है मगर इस समस्या के निस्तारण की दिशा में अपेक्षित गंभीर तथा कारगर कार्रवाई के अभाव में दिन-प्रतिदिन इसकी जड़ देश की ज़मीन में गहरी होती जा रही है जो समाज के लिए अशुभ संकेत है । इसका हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा इसकी वजह से विकास योजनाओं का संपूर्ण एवं वास्तविक लाभ समाज को नहीं मिल पा रहा है तथा हमारी राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया बाधित हो रही है ।

इससे बढ़कर देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या होगी कि विभागीय कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के परिचारक से लेकर मंत्री तक सभी अपनी-अपनी औक़ात के अनुसार अपने-अपने दायरे में लूट-खसोट में लिप्त हैं । चपरासी की कार्यालय में जितनी और जो हैसियत है, वह उसी में सौ-पचास रुपये की ऊपरी आमदनी आसानी से कर ले रहा है । उसी दफ़्तर में लिपिक चार छह सौ रुपया रोज़ाना कमा ले रहा है जबकि अधिकारी हज़ारों में खेल रहा है और मंत्री की ऊपरी आमदनी की कोई इन्तिहा नहीं है । वह बहती गंगा में हाथ धोकर लाखों-करोड़ों का वारा-न्यारा कर रहा है तथा अपने ख़ानदान की अगली कई पीढ़ी के लिए वैधावैध तरीक़े से चलाचल संपत्ति संचित कर ले रहा है ।

हमारे देश में पिछले कुछ दशकों के दौरान बोफोर्स कांड, चारा घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला वग़ैरह बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के अनेक मामले प्रकाश में आये मगर इन प्रकरणों में या वे आरोपियों के लंबे हाथ, सियासी असर रसूख़ तथा पकड़ के आगे क़ानून लाचार बेबस हो गया या दोष सिद्धि के बाद दोषीजन के ख़िलाफ़ हुई भी तो बराए नाम । आश्चर्य होता है कि चारा घोटाला में नाम आने के बावजूद बिहार के लालू यादव को पता नहीं कैसे चुनाव में टिकट मिल गया । पता नहीं कैसे मतदाताओं ने ऐसे भ्रष्ट को चुनाव में मत देकर जिता दिया और पता नहीं कैसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देकर उसे रेल मंत्री बना दिया गया । अदालतन दोष सिद्धि के बावजूद आज भी बिहार की रियासती सियासत में उसकी अप्रत्यक्ष रूप से अहम असरदार

भूमिका है ।

कुछ साल पूर्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उ०प्र० के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के ख़िलाफ़ आयाधिक संपत्ति अर्जित तथा संचित करने के मामले का पर्दाफ़ाश हुआ था जो उनकी लखनऊ से दिल्ली तक दौड़-धूप के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया तथा उनके ख़िलाफ़ जांच, आरोप निर्धारण तथा दंड की प्रक्रिया टांय-टांय फिस्स हो गयी । अधिक साल नहीं गुजरे जब समाचार पत्रों में विश्व के सर्वाधिक संपन्न धनाढ्य लोगों के नामों की फ़ेहरिस्त साया हुई थी जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी नाम सम्मिलित था । इससे जनसाधारण में ग़लत संदेश जाता । इस कारण सोनिया ने अपने सियासी असर का ग़लत फ़ायदा उठाकर फ़ेहरिस्त में से अपना नाम कटवा तथा निकलवा दिया । हाल के एक ताज़ातरीन आंकड़े के अनुसार वर्तमान लोकसभा में 300 से अधिक ऐसे सांसद हैं जो करोड़पति हैं ।

सवाल है समाजवाद के नाम पर गांधी के देश में चुनाव जीतने वाले ऐसे बदकिरदार बदअख़्लाक़ जन प्रतिनिधियों के पास इतनी विपुल धन संपदा आयी तो कहां से ? चन्द सालों में वे एकाएक लक्ष्मीपति बन भी गये तो कैसे तथा कहां से ? उ०प्र० की पूर्व मुख्यमंत्री तथा बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के ख़िलाफ़ लोकसभा व विधानसभा के चुनाव में रुपया लेकर टिकट वितरण तथा दल के सिंबल पर उम्मीदवार की घोषणा के आरोप लगते रहे हैं तथा उन्हें दलित नहीं, दौलत की बेटी कहा जाता रहा है, मगर किसी की हिम्मत कहां जो उनके ख़िलाफ़ जांच कर इस प्रकरण में दूध का दूध, पानी का पानी कर दिखाये ।

हाल में उ०प्र० के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह रहस्योद्घाटन कर सबको चौंका दिया था कि सूबे में वर्तमान सपा शासन में 70 लाख रुपया प्रदान करने पर अधिकारियों को ज़िले में डी०एम० के पद पर तैनाती मिलती है । 70 लाख रुपया प्रदान कर जो अधिकारी किसी ज़िले में डी०एम० का पद ग्रहण करेगा ज़ाहिर है वह ज़िले में जायज़ नाजायज़ तरीक़े से प्रत्येक छल-छद्म अपनाकर उससे कई गुना ज़्यादा कम लेने में पीछे नहीं रहेगा और न चूकेगा । उक्त अधिकारी को सच बोलने की सज़ा मिली तथा ग़लत आरोप लगाकर उसे निलंबित कर दिया गया ।

किसी ने सत्य ही कहा है–क़ानून वह मकड़जाल है जिसमें छोटी कमज़ोर मक्खियां ही फंसती है तथा ताक़तवर हाथी उसे नोच-नोचकर आगे निकल जाता है । खेत की पैमाइश तथा विरासत दर्ज करने के नाम पर चार-पांच हज़ार रुपया रिश्वत लेने पर एंटी करप्शन टीम लेखपाल के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर देती है, मगर करोड़ों-अरबों में खेलने वाले भ्रष्ट सियासतबाज़ों तथा मंत्रियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती । कार्रवाई करे भी कौन और क्यों करे । जिन अधिक़ारियों पर कार्रवाई करने की ज़िम्मेदारी है, उनके सामने रोटी का चार-छह नेवाला पहुंच जाता है या उन पर इतना दबाव डाला जाता हैं कि वे झुक जाने को मजबूर हो जाया करते हैं ।

अब तो न्यायालयों में भी फ़ैसले बिकने लगे हैं । इजलास में मुंसिफ़ के सामने सरेआम उसका पेशकार वादकारियों से तारीख़ पेशी के नाम पर बीस-बीस रुपये की वसूली करता है तथा मुवक्किल शौक़ से भी दिया करते हैं । यदि मुंसिफ़ उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे भी तो सायंकाल उसके बंगले में दो किलोग्राम देशी घी के काजू बादाम मिश्रित मिठाई, बर्थ डे पर बच्चों को गिफ्ट पैक तथा साहबाइन को महंगी साड़ी कैसे पहुंचेगी । इसलिए वे सब जानकर भी स्वार्थवश इस तरफ़ अनदेखी कर जाते हैं । चकबन्दी विभाग में मनचाहा चक काटने, शिक्षा विभाग में नियुक्ति तथा घर के क़रीब मनचाहे विद्यालयों में स्थानांतरण के नाम पर विभागाधिकारियों द्वारा कम वसूली नहीं की जाती । योजना में फ़र्ज़ीवाड़ा कर, आंकड़ों में हेरा-फेरी कर कम कमाई नहीं की जाती । थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करानी हो तो रुपया, मनमाफ़िक़ रिपोर्ट लिखवानी हो तो रुपया, राशन कार्ड बनवाना हो तो रुपया कोई भी विभाग इस मर्ज़ से मुक्त नहीं है । आपने रुपया नहीं दिया तो काम कराने हेतु सालों दौड़ते रहिए । जूते की तल्ली घिस जाएगी । आप कहां तक किससे कब तक इन्साफ़ के लिए फ़रियाद करते रहिएगा । आपकी कमज़ोर आवाज़ नक्कारख़ाने में तूती की आवाज़ बनकर रह जाएगी ।

देश के लिए यह स्थिति चिंताजनक है । यह घुन तथा दीमक की तरह हमारी अर्थव्यवस्था को अन्दर-अन्दर खोखला कर डाल रही है । इससे हमारी विकास प्रक्रिया बाधित हो रही है । इस समस्या के निराकरण तथा सही मायने में मुल्क की बेहतरी, ख़ुशहाली व तरक़्क़ी हेतु आज रचनात्मक क्रांति की आवश्यकता है ।

मुनअम पब्लिक स्कूल

(इंगलिश मिडियम, सी॰बी॰एस॰ई॰, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त)

महाराजगंज, पो॰ दादपुर, ज़िला हज़ारीबाग, (झारखण्ड)

नामांकण सूचना : एल के जी से कक्षा नवम् तक

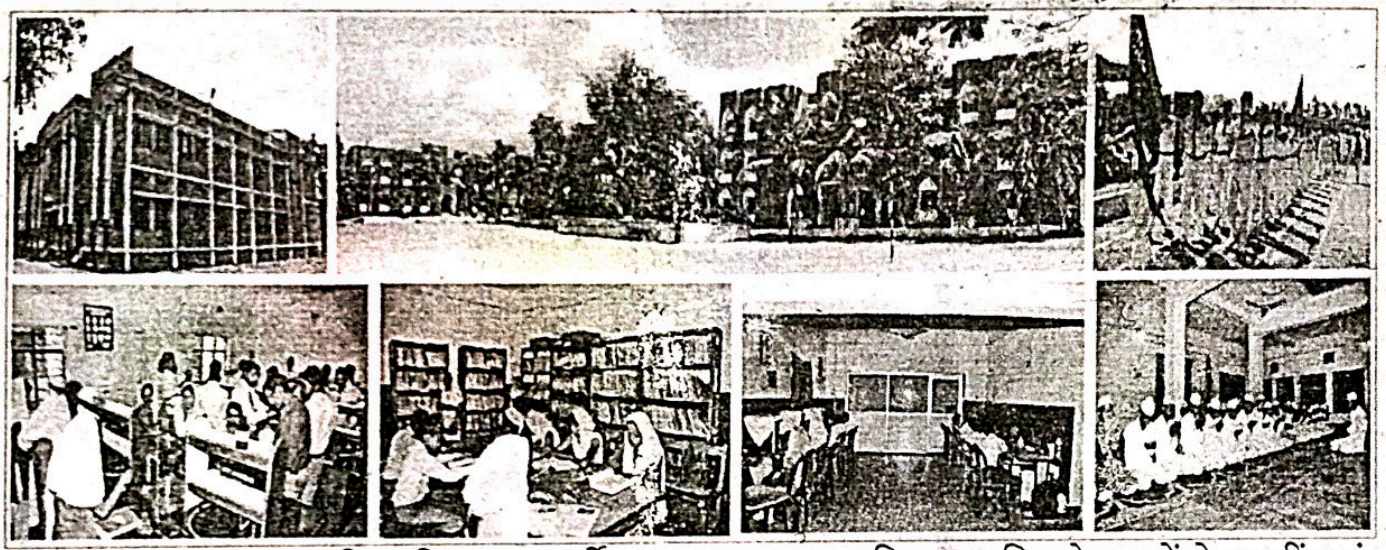

इस्लामी नहज पर आधुनिक शिक्षा का पूर्वी भारत का एकमात्र विद्यालय जिसके छात्रों ने दसवीं एवं बारहवीं के बोर्ड परीक्षा में शानदार कामयाबी हासिल की।

उपलब्ध सहूलियतें

विशाल कैंपस, भव्य इमारतें, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग आरामदेह साफ़-सुथरे छात्रावास की व्यवस्था, साइंस एवं कंप्यूटर लैब, ज्ञानवर्धक किताबों से भरपूर पुस्तकालय, स्पोर्ट्स एवं पी॰टी॰ के लिए विशाल खेल मैदान, सभी विषयों के लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम, नमाज़ पंजगाना के लिए ख़ूबसूरत मस्जिद।

नामांकण फ़ार्म मिलने की अंतिम तिथि : 15 मार्च 2016

एस॰एम॰ नईम	साद राशिद ख़ान नदवी	वकील अहमद
एम.ए., बी.एड.ए (अर्लीग.)	फ़ाज़िल नदवा, लखनऊ	एम.एस.सी., बी.एड.
निदेशक	छात्रावास अधिक्षक	प्राचार्य

विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें

मोबाइल : 09431530878/7739748279, वेबसाइट : munammission.org

ई॰मेल : hmpt.mission@gmail.com

ईशाज्ञा के अनुपालन की चंद मिसालें

■ अबू मुहम्मद इमामुद्दीन रामनगरी

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के समय हज़रत मालिक बिन सालबा (रज़ि०) एक धनी मुसलमान थे। एक दिन अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) क़ुरआन की एक आयत पढ़ रहे थे, जिसका अर्थ यह है, "जो लोग सोना और चांदी संचित करके रखते हैं और उसे धर्म के कामों में ख़र्च नहीं करते उनको दुखदायी दंड की पूर्व सूचना दे दो।" संयोगवश उधर से मालिक बिन सालबा (रज़ि०) का गुज़र हुआ। यह आयत सुनकर वे बेहोश हो गये। होश में आये तो आप (सल्ल०) की सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया, "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! मेरे माता-पिता आप पर क़ुरबान हों, क्या यह आयत उन लोगों के बारे में अवतरित हुई है जो सोना-चांदी संचित करते हैं ? आपने उत्तर दिया, "हां" उन्होंने कहा, तब संध्या होने तक मालिक के पास एक दिरहम और एक दीनार भी न होगा। अत: संध्या तक उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी।

जब क़ुरआन की यह आयत उतरी, "तुम लोग जब तक अपनी अत्यंत प्रिय वस्तुओं को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ख़र्च न करोगे कदापि कल्याण नहीं पा सकते।" तो हज़रत अबू तलहा (रज़ि०) हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की सेवा में उपस्थित हुए और कहा, "क्या ईश्वर हमारा धन मांगता है ? आप गवाह रहिए कि अरेहा नामी स्थान में मेरी जो भूमि है उसे मैं ईश्वर की राह में अर्पित करता हूं।" हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा, "उसे अपने (निर्धन) संबंधियों में बांट दो" (तुम्हें दान ही का पुण्य प्राप्त होगा)।

इस्लाम से पूर्व अरब देश की स्त्रियां दुपट्टा ओढ़ती थीं तो आधुनिक फैशन की भांति सीना तथा सिर खुला रखती थीं। इसके विरोध में एक आयत उतरी, जिसमें यह आदेश हुआ, "स्त्रियों को चाहिए कि अपनी ओढ़नियों को सीने पर डाले रहें।"

(क़ुरआन, 24:31)

इस आयत का यह प्रभाव हुआ कि स्त्रियों ने अपने सिरों और सीनों को छिपाना शुरू कर दिया। एक बार क़ुरआन की एक आयत उतरी जिसमें कहा गया, "कौन है जो ईश्वर को अपनी इच्छा से ऋण दे ?" अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपना धन धर्म-कार्य में दान दे ? इस पर एक व्यक्ति जो अपने बाग़ में ठहरा हुआ था, अपनी पत्नी से बोला, बाग़ से निकलो। यह बाग़ मैंने ईश्वर को क़र्ज़ दे दिया। फिर उन्होंने वह बाग़ निर्धनों को दान कर दिया।

इस्लाम से पहले अरब के गिने-चुने व्यक्ति ही मदिरा पान से बचे थे, अन्यथा सभी इसके रसिया थे। जब तक ईश्वर की ओर से क़ुरआन में मद्यपान की निषेधाज्ञा नहीं आयी थी मुसलमानों में भी इसका प्रचलन था। जिस समय मदिरा-पान निषेध की आयत उतरी लोग जहां-तहां शराब पी रहे थे। हज़रत अनस (रज़ि०) का वर्णन है कि मैं अबू तलहा (रज़ि०) के घर में लोगों को शराब पिला रहा था, सहसा हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने मदिरा निषेध की घोषणा करायी। अबू तलहा (रज़ि०) ने कहा, निकल के देखो कैसी आवाज़ है ? मैंने बाहर निकल कर देखा और पलट कर कहा, घोषणा हो रही है कि मदिरा निषिद्ध हो गयी। अबू तलहा (रज़ि०) ने कहा, तो शराब गिरा दो। उस दिन इतनी शराब गिराई गयी कि मदीना की गलियों में वर्षा के पानी की तरह बहती हुई दिखायी देती थी। आज्ञापालन का यह हाल था कि जिसके होंठों से प्याला लग चुका था, घोषणा सुनते ही उसने प्याला हटा लिया और जो मदिरा का घूंट मुंह में ले चुका था उसने उगल दिया। एक बूंद भी गले के नीचे न उतर सकी।

क़ुरआन की एक आयत है जिसका अर्थ यह है-"पुण्यात्मा लोग अपने भोजन निर्धनों, अनाथ बालकों और बन्दियों को खिला देते हैं यद्यपि उन्हें स्वयं उसकी इच्छा रहती है।" एक सज्जन जिनका नाम रबीअ था, इस ईश्वरीय आज्ञा का इस तरह पालन करते थे कि जो वस्तु आपको अधिक प्रिय होती वही दान करते थे। कोई भिखारी आता तो उसे चीनी देते। लोग कहते कि उसके लिए चीनी से अच्छा दान रोटी का होता। आप उत्तर में ऊपर की आयत

सुनाते । एक दिन आपको किसी विशेष खाने की इच्छा हुई । आपने अपनी पत्नी से उसकी फ़रमाइश की । पत्नी ने पति की इच्छा पूर्ति के लिए बड़े प्रबंध से वह पकवान तैयार किया । मगर उन्होंने उसे स्वयं न खाया, जाकर मुहल्ले के एक पागल को खिला दिया । घर आये तो पत्नी ने पूछा जो चीज़ मैंने इतने परिश्रम और ख़र्च और प्रबंध से बनायी, आपने उसे ले जाकर ऐसे व्यक्ति को क्यों खिला दिया जो यह भी नहीं जान सकता कि उसने क्या खाया ? उन्होंने उत्तर दिया, ईश्वर तो देखता है ।

ईश्वर-भय

हज़रत उमर (रज़ि॰), हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के द्वितीय उत्तराधिकारी थे । वे रात-रात भर नमाज़ पढ़ते । नमाज़ में कुरआन की ऐसी आयतें पढ़ते जिनमें ईश्वर की महानता और प्रताप का वर्णन होता, और उनसे इतने प्रभावित होते कि रोते-रोते हिचकी बंध जाती । हज़रत हसन (रज़ि॰) कहते हैं–

"निस्संदेह तेरे पालनकर्ता का प्रकोप आकर रहेगा, उसको कोई दूर करने वाला नहीं ।" (कुरआन, 52:7-8)

इतने प्रभावित हुए कि रोते-रोते आंखें सूज गयीं । इसी प्रकार उन्होंने एक बार ऐसी आयत पढ़ी, जिसमें नरक की दुर्दशा का वर्णन था तो ऐसे भयभीत हुए कि जो व्यक्ति यह न जानता होता कि ऐसी आयतों का उन पर ऐसा ही प्रभाव होता है, वह समझता कि अब इसी अवस्था में उनके प्राण पखेरू उड़ जाएंगे ।

एक बार एक व्यक्ति से पूछा–"हम अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के साथ इस्लाम लाए, देश छोड़ा, जिहाद जैसे पुण्य कार्य किये, क्या तुम्हें पसन्द है कि इन सबके बदले हम नरक से बच जाएं और दंड और पुरस्कार बराबर हो जाए ?"

उस व्यक्ति ने कहा–"ख़ुदा की क़सम ! हमने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के बाद भी रोज़ा रखा, नमाज़ पढ़ी, बहुत से पुण्य कार्य किये और हमारे द्वारा बहुत से लोगों ने इस्लाम क़बूल किया, इन कार्यों से हमें बड़ी-बड़ी आशाएं हैं ।"

हज़रत उमर (रज़ि॰) ने फ़रमाया, "उस ख़ुदा की क़सम, जिसके हाथ में मेरा जीवन है, मुझे तो यही पर्याप्त जान पड़ता है कि हम दंड से बच जाएं और हमारे पाप-पुण्य बराबर हो जाएं ।"

एक बार एक तिनका उठा लिया और कहने लगे, "काश ऐसा होता कि मैं भी तिनका और घास होता, काश ऐसा होता कि मैं पैदा ही न होता, काश ऐसा होता कि मेरी माता मुझे जन्म ही न देती !"

ईश-विश्वास ने जनसाधारण पर भी अत्यंत प्रभाव डाला था । हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि॰) हज़रत उमर (रज़ि॰) के बेटे थे और सत्य पुरुष और ईश भक्त थे । वह एक बार मदीना के बाहर गये । मैदान में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था । वह भोजन करने लगे तो चरवाहे को भी बुलाया, उसने कहा–"मैं रोज़े से हूं ।"

हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि॰) ने उसकी परीक्षा के विचार से कहा, "तुम एक बकरी हमारे हाथ बेच दो, हम क़ीमत भी देंगे और खाने के लिए गोश्त भी ।"

चरवाहे ने कहा, "बकरियां मेरी नहीं है मेरे मालिक की हैं ।"

उन्होंने कहा, "तुम्हारा मालिक क्या करेगा ।"

चरवाहे ने यह सुनकर पीठ फेर ली और आकाश की ओर उंगली उठा कर कहा, "ख़ुदा कहां चला जाएगा ।" हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि॰) यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गये और चरवाहे के वाक्य को बार-बार दुहराने लगे । चरवाहा दास था । मदीना आकर हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि॰) ने उसको बकरियों समेत उसके मालिक से ख़रीद लिया और उसको गुलामी से भी मुक्त कर दिया और सब बकरियां भी उसको दे दीं ।

ईशदूत पर विश्वास का प्रभाव

हज़रत उमर (रज़ि॰), जो अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के दूसरे ख़लीफ़ा थे । खाने में, पहनने में, उठने-बैठने में, हर बात में हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के अनुकरण का ध्यान रखते थे । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने इस अवस्था में भी कि सारा अरब आपके अधिकार में था कष्टमय और दुखपूर्ण ही जीवन व्यतीत किया । हज़रत उमर (रज़ि॰) भी जिनके शासन का पताका शाम, ईरान, मिस्र और अफ़्रीक़ा तक फहराता था, (फटे) पुराने वस्त्र पहनते थे और रुखा-सूखा खाते थे । उनके शरीर पर बारह-बारह पेवन्द का कुर्ता होता, फटी पगड़ी और फटे हुए चप्पल होते और इसी अवस्था में वे रूम और शाम (सीरिया) के राजदूतों से भेंट करते थे ।

हज़रत आइशा (रज़ि॰) हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की

पत्नी थीं और हज़रत हफ़्सा (रज़ि॰) हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की दूसरी पत्नी और हज़रत उमर (रज़ि॰) की बेटी थीं । उन दोनों ने एक दिन हज़रत उमर (रज़ि॰) से कहा, अब तो ख़ुदा ने ख़ुशहाली प्रदान कर दी है । आपके पास राजदूत और अबर के प्रतिनिधि आते रहते हैं । इसलिए अब आपको अपने रहन-सहन में परिवर्तन करना चाहिए ।

हज़रत उमर (रज़ि॰) ने कहा, खेद की बात है कि तुम मुझे सांसारिक सुख-विलास के लिए प्रेरित कर रही हो । आइशा ! तुम ख़ुदा के रसूल (सल्ल॰) की उस अवस्था को भूल गयीं कि तुम्हारे घर में केवल एक कपड़ा था जिसे ख़ुदा के रसूल (सल्ल॰) दिन को बिछाते थे और रात को ओढ़ते थे । हफ़्सा ! तुमको याद नहीं कि एक बार तुमने कंबल को दुहरा कर बिछा दिया था तो ख़ुदा के रसूल (सल्ल॰) उसकी नरमी से रात भर सोते रहे और सुबह जब बिलाल की अज़ान पर आंख खुली तो आपने फ़रमाया, हफ़्सा ! तुमने यह क्या किया कि कंबल को दुहरा कर बिछा दिया ? मैं सुबह तक सोता रह गया । मुझे सांसारिक सुख से क्या संबंध ? तुमने कंबल को नर्म करके मुझे अचेत क्यों कर दिया ?''

हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि॰) बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे । उनके अंतिम दिनों में हज़रत सअद (रज़ि॰) उनसे मिलने गये । उनकी आंखों में आंसू आ गये । हज़रत ने रोने का कारण पूछा । उन्होंने उत्तर दिया, ख़ुदा की क़सम! मैं न मरने से डरता हूं और न घबरांता हूं और न मेरी कोई सांसारिक लालसा बाक़ी है । रोने का कारण यह है कि मैंने हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) से प्रतिज्ञा की थी कि हमारा सांसारिक सामान एक यात्री की यात्रा सामग्री से अधिक न होगा, इसके विपरीत मेरे घर में इतने सांप हैं ।

हज़रत सलमान (रज़ि॰) ने जिन वस्तुओं को सांप कहा वह केवल तीन बर्तन थे–एक बड़ा प्याला, एक लगन और तसला । आपका संपूर्ण जीवन ऐसा ही था । जब वे मदायन के गवर्नर हो गये और पांच हज़ार दिरहम (चांदी का सिक्का) वार्षिक वेतन पाते थे जब भी उनके पास केवल एक अबा (लंबा अंगरखा) थी जिसमें लकड़ियां जमा करते और सोते तो उसी को आधा बिछाते और आधा ओढ़ते ।

हज़रत अबू उबैदा (रज़ि॰) बड़े पुण्यात्मा थे । आपकी अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि आप शाम (सीरिया) की इस्लामी सेना के प्रधान सेनापति थे । एक दिन एक आदमी उनसे मिलने गया तो देखा वे बिलख कर रो रहे हैं । उस आदमी ने रोने का कारण पूछा, आपने कहा, ''एक दिन ख़ुदा के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने मुसलमानों की आगामी विजय और समृद्धि का वर्णन करते हुए शाम (सीरिया) की चर्चा की और फ़रमाया, ''अबू उबैदा ! यदि उस समय तक तुम्हारा जीवन शेष रहे तो तुम्हारे लिए तीन सेवक पर्याप्त होंगे, एक तुम्हारे कामों के लिए, एक तुम्हारी बीवी-बच्चों के लिए और एक तुम्हारे साथ यात्रा में जाने के लिए । इसी प्रकार तीन जानवर पर्याप्त होंगे, एक तुम्हारे लिए, एक गुलाम के लिए और एक अस्बाब और सामान के लिए, लेकिन अब देखता हूं कि मेरा घर गुलामों से और अस्तबल घोड़ों से भरा हुआ है । हाय ! मैं (मृत्यु के पश्चात) ख़ुदा के रसूल (सल्ल॰) को क्या मुंह दिखाऊंगा ? आपने फ़रमाया था कि मेरे समीप वह मनुष्य सबसे अधिक प्रिय होगा जो उसी अवस्था में मुझसे मिलेगा जिस अवस्था में मैं उसे छोड़ जाऊंगा ।''

एक सहाबी का एक व्यक्ति पर क़र्ज़ था, वे तक़ाज़े को गये तो उस व्यक्ति ने बांदी से कहलवाया कि वे घर में नहीं हैं । उन्होंने आवाज़ सुन ली और कहा कि, ''बाहर निकलो मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है ।'' वह बाहर निकला, उन्होंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया ? उसने उत्तर दिया, ''ग़रीबी से मजबूर होकर ।'' उन्होंने कहा, ''यदि ऐसा है तो मैंने क़र्ज़ माफ़ कर दिया ।'' मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से सुना है कि जिसने ग़रीब को मुहलत दी या क़र्ज़ माफ़ कर दिया वह क़ियामत के दिन ख़ुदा की छाया में होगा ।''

एक दिन भूख का मारा हुआ एक व्यक्ति ख़ुदा के रसूल (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुआ । उस समय आपके घर में पानी के अतिरिक्त और कोई वस्तु न थी, इसलिए आपने फ़रमाया, आज की रात इस मेहमान का आदर-सत्कार कौन करेगा ?

एक सहाबी जिनका नाम अबू तलहा (रज़ि॰) था वहां मौजूद थे । उन्होंने कहा, ''ऐ ख़ुदा के रसूल (सल्ल॰)! मैं तैयार हूं ।'' इसके उपरांत वे उसको लेकर घर आये, पत्नी से पूछा कि कुछ खाने को है ? वह बोलीं, केवल बच्चों का भोजन है ।'' उन्होंने कहा, बच्चों को किसी प्रकार बहलाओ और सुला दो, जब मैं मेहमान को ले आऊं तो दीया बुझा देना और मैं उस पर यह प्रकट करूंगा कि हम भी साथ खा रहे हैं । उन्होंने इसी विधि के अनुसार कार्य किया, प्रातः

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की सेवा में उपस्थित हुए तो रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया, "रात खुदा तुम्हारे सुव्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ और इसके उपरांत रसूल (सल्ल०) ने इस आशय की आयत पढ़ी, "वह अपने ऊपर दूसरों को प्रधानता देते हैं यद्यपि वे स्वयं दीन दशा में होते हैं ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत उमर (रज़ि०) के अतिरिक्त एक और उमर हुए हैं जो अब्दुल अज़ीज़ के पुत्र थे, यह अति विशाल इस्लामी सल्तनत के शासक होते हुए भी साधुओं के समान जीवन व्यतीत करते थे । उनके हृदय में ईश्वर का इतना भय था कि रात की नमाज़ के बाद मस्जिद में बैठकर रोते और प्रार्थना करते । इसी अवस्था में आंख खुलती तो फिर रोना और प्रार्थना करना आरंभ कर देते । कभी-कभी घर में भी एकांत में ऐसा करते । एक दिन पत्नी ने देख लिया और इसका कारण पूछा, पहले तो आपने टाला, किन्तु जब पत्नी ने बहुत आग्रह किया और कहा कि मैं भी उपदेश प्राप्त करना चाहती हूं तो कहा कि मैंने अपने संबंध में विचार किया कि मैं प्रजा के प्रत्येक छोटे-बड़े समस्त कार्यों का उत्तरदायी हूं । इसलिए जब मैं असहायों, निर्धनों, भिखारियों, बन्दियों और इसी प्रकार के दूसरे मनुष्यों के बारे में सोचता हूं जो सारे देश में फैले हुए हैं और जिनका दायित्व मुझ पर है और उनके प्रति खुदा मुझ से प्रश्न करेगा और खुदा के रसूल (सल्ल०) उनके संबंध में मुझे पर दावा करेंगे । यदि मैं खुदा के सामने उनका कोई उत्तर और अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के सम्मुख कोई दलील उपस्थित न कर सका तो क्या होगा ? मुझे इस बात का भय उत्पन्न हो जाता है और आंसू निकल जाते हैं और मैं इन बातों पर जितना विचार करता हूं उतना ही मेरा हृदय भयभीत होता है ।

दूसरे समाज के लोगों को जहां तक अवसर मिलता है लाभ और सुख के लिए नियम विरुद्ध कार्य करते हैं और दंड का भय होने पर उसे छिपाते हैं । इसके विपरीत इस्लामी समाज के लोग पहले तो नियम-विरुद्ध कार्य करने से बचने की पूरी चेष्टा करते हैं, लेकिन यदि मानव स्वभाववश उनसे कोई अपराध हो जाता है तो दंड से बचने के लिए उसे छिपाते नहीं । क्योंकि इस्लामी समाज का हर नियम ईश्वरीय नियम समझा जाता है और ईश्वर के संबंध में यह विश्वास रखा जाता है कि उससे कोई बात छिप नहीं सकती वह सर्वज्ञ है और इस बात पर भी विश्वास होता है कि यहां पाप को छिपा कर कोई दंड से बच भी जाए तो परलोक दंड से नहीं बच सकता । इसलिए इस्लामी समाज का अपराधी स्वयं राज अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित होकर अपना अभियोग स्वीकार करता है ।

एक बार एक व्यक्ति ने रोज़े के महीने में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि एक महीने तक अपनी पत्नी से संभोग न करेंगे, लेकिन एक रात पत्नी उनकी सेवा कर रही थी, उन्होंने उससे संभोग कर लिया । यह बात प्रतिज्ञा के विरुद्ध थी । इसलिए उन्होंने पहले अपने घर वालों से कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की सेवा में ले चलो, लोगों ने इन्कार किया तो स्वयं उपस्थित हुए । आप (सल्ल०) ने फ़रमाया, "तुम और ऐसा काम ?" उन्होंने कहा, "हां, ऐ अल्लाह के रसूल ! मुझ से यह अनुचित कार्य हो गया, जो निर्णय हो वह दीजिए मैं उस पर दृढ़ रहूंगा ।"

इसी प्रकार एक और सहाबी थे उन्होंने रोज़े के दिन में पत्नी से संभोग कर लिया और यह आज्ञा विरुद्ध है । अतः उन्होंने खुदा के रसूल (सल्ल०) की सेवा में उपस्थित होकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया ।

दायित्व का यह भाव इतना विस्तृत हो गया था कि जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे तो सभ्य नागरिक थे लेकिन रेगिस्तान की रहने वाली एक स्त्री को अनुचित गर्भ रह जाता है और इस्लाम में इस अभियोग का दंड बड़ा कठोर है, यह जानते हुए भी स्त्री स्वयं आती है और प्रार्थना करती है कि उसे दंड दिया जाए । उससे कहा जाता है कि बच्चा जनने के बाद आना । बच्चा जनने के बाद वह फिर उपस्थित होती है और दंड दिये जाने की प्रार्थना करती है । उससे कहा जाता है जाकर बालक को दूध पिला, जब दूध पिलाने की अवधि समाप्त हो जाए तो आना, वह फिर मरुस्थल की ओर लौट जाती है । दूध पिलाने की अवधि समाप्त करने के बाद वह फिर आती है और प्रार्थना करती है कि उसे दंड देकर पाप मुक्त कर दिया जाए ।

तनिक विश्वास की इस प्रबलता पर विचार कीजिए । न उससे ज़मानत मांगी गयी, न मुचलका दिया गया, न किसी पुलिस की नियुक्ति हुई, फिर भी वह बार-बार आयी और दंड दिये जाने की प्रार्थना की । इस अवधि में कभी भी उसके मन में जीवन का मोह उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि पाप की व्यथा ही उसे व्यथित करती रही । जिससे दंड भोग कर ही उसे शांति मिली ।

बेटियां

प्रात:काल घर के आंगन में
चिड़ियाएं आकर चहकती हैं ।
वैसे ही तीज त्योहारों पर
बेटिया आकर हंसती-खिलखिलाती है ।
पक्षियों का मधुर कलरव
सुबह को मधुर बनाता है
वैसे ही बेटियों का आगमन
घर को भरा-पूरा बनाता है ।
घर की दीवारें
निखार लेती है, अपना रूप
आंगन में निकल आयी
जैसे सर्दी की सुहानी धूप
रसोई भी उस दिन हरसाती
मीठे, तीखे पकवानों से महकने लगती है
पिता के झुर्रियों भरे चेहरे को सहला कर
मां के गले मिल, भाभी को मुस्करा कर
भैया को कुछ सीख देकर
स्नेह का दाना चुग कर वे उड़ जाती है
घर में फिर से अमावस्या-सी रात छा जाती है ।

जय प्रकाश वाल्मीकि

शास्त्रीनगर, जयपुर (राज०)





दुनिया

उलझी-सी यह फ़ानी दुनिया,
कैसी है दीवानी दुनिया
कुछ भी न तुम लिख पाओगे
यह तो बहता पानी दुनिया
सारे मंज़र हांप रहे हैं,
हर्फ़-हर्फ़ बेमानी दुनिया ।

आह, अश्क ओ मायूसी की,
लंबी एक कहानी दुनिया
और अजनबी होती जाती,
किसकी है पहचानी दुनिया ।

तेरे 'बोल' ही रह जाएंगे
आनी दुनिया, जानी दुनिया
'बेटी' है तो शेष बची है,
वर्ना तो वीरानी दुनिया
पूर्वजों के पदचिह्नों की
खोज रही 'निशानी' दुनिया
हर पल नूतन होती जाए
फिर कैसी पुरानी दुनिया ।

● **अभिराम सत्यज्ञ जयशील**

क्या इस्लाम में महिलाएं उत्पीड़ित हैं?

■ मौलाना अब्दुर्रशीद उस्मानी



इन्सानी ज़िन्दगी की गाड़ी दो पहियों पर आश्रित है– पुरुष और स्त्री । इन दोनों पहियों के अस्तित्व ओर संतुलन की बुनियाद पर ही गाड़ी सही तौर पर चल सकती है । अगर इनमें से किसी एक में ख़राबी, कमज़ोरी का असंतुलन आ जाए तो ज़िन्दगी में अव्यवस्था पैदा हो जाती है । इस स्थिति में या तो गाड़ी सही दिशा से भटक जाएगी या एक ही जगह ठहर कर जड़ता का शिकार हो जाएगी ।

इतिहास इस बात का गवाह है कि जब मर्द और औरत ने अपनी ज़िम्मेदारियां सही ढंग पर पूरी कीं तो इन्सान की व्यक्तिगत एवं सामूहिक ज़िन्दगी अम्न व शांति का गहवारा बन गई, और जब ज़िम्मेदारियों की अदायगी में कोताही हुई तो व्यक्तिगत और सामूहिक ज़िन्दगी को ख़राबियों, नाकामियों और तबाहियों का सामना करना पड़ा । इन्सान के सामाजिक जीवन, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सभ्यता और संस्कृति को बहुत नुक़्सान उठाना पड़ा ।

औरत के साथ अनुचित व्यवहार

औरत हक़ीक़त में आधी मानवता है । हमें इस पर विमर्श करना चाहिए कि जीवन के निर्माण एवं विकास में वह क्या भूमिका निभा सकती है । और उसकी हैसियत व मक़ाम (समाज में स्थान) क्या है? अतीत के लंबे इतिहास में यह तथ्य सुस्पष्ट है कि औरत को उसका सही और जाइज़ मक़ाम बहुत ही कम दिया गया है और उसे अपमानित किया गया है । इन्सान की यह कमज़ोरी है कि वह शैतान के फ़रेब व चाल में जल्द फंस जाता है । आदिकाल से लेकर वर्तमान तक के इतिहास में इन्सान सामान्यतया इंद्रिय इच्छाओं और मनोकामनाओं (नफ़्सानी ख़्वाहिशात) का गुलाम रहा है । शैतान ने इन नफ़्सानी ख़्वाहिशात को इस तरह सुसज्जित कर रखा है कि इन्सान इन्हीं की और झुकता है । अल्लाह और उसके रसूलों की इताअत (आज्ञापालन) तथा नैतिक मर्यादाओं की वह ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है ।

नबियों ने जब भी अपनी दावत (आह्वान) का आग़ाज़ किया और लोगों को तौहीद (एकेश्वरवाद) और शरीअत की पैरवी की तड़प को उभारा तो कुछ ही मुद्दत के बाद इन्सानों ने इसकी अवहेलना कर दी । शिर्क, बुतपरस्ती और दुनिया के कामों में अपनी ख़्वाहिशों की पैरवी की । इसके साथ ही एक बड़ी कमज़ोरी यह सामने आई कि औरत को नफ़्सानी ख़्वाहिशों का निशाना मनाया और उसकी इज़्ज़त, मान-मर्यादा और अस्मिता को तार-तार किया गया । उसकी हैसियत एक खिलौने की सी रही ।

पुरुष ने जब चाहा उससे आनंद प्राप्त किया और जब चाहा उसे छोड़ दिया । उसके साथ वे तमाम हरकतें की गई जिन्हें पढ़कर और जानकर इन्सानियत के रौंगटे खड़े हो जाते हैं । औरत मज़्लूमियत (अत्याचार पीड़िता) का साक्षात रूप नज़र आती है । हिन्दू धर्म हो या यहूदी धर्म व ईसाई धर्म, रोम व ईरान की सभ्यता हो या अरब के अज्ञानकाल की परम्पराएं–हर जगह औरत जुल्म व सितम का निशाना बनी रही–और दुनिया की बड़ी बदनसीबी है कि आज के दौर में,

मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति



भी यह जुल्म व सितम जारी है । बल्कि यह कहना ग़लत न होगा कि यह प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा को पहुंच चुकी है ।

आधुनिक सभ्यता ने इस आधी दुनिया के साथ जो अभद्र सुलूक किया है और कर रही है, उसने माज़ी की दास्तानों का मात कर दिया है । आज औरत कल के मुक़ाबले में इंतिहाई ज़िल्लत और पस्ती की घाटी में पहुंच चुकी है । होटल हो या क्लब, हवाई जहाज़ का सफ़र हो या महफ़िल की रौनक हर जगह औरत अर्धनग्न नज़र आती है । टी०वी० के चैनल उस वक़्त तक अपने दर्शकों को संतुष्ट नहीं कर पाते जब तक औरत को वासनापूर्ण आकर्षक रूप में न दिखाया जाए । साबनु की एक मामूली टिकिया के विज्ञापन के लिए अर्धनग्न औरत का चित्रण आवश्यक है । इसके बग़ैर न तो साबुन बिक सकता है और न एक टूथपेस्ट ।

विभिन्न धर्मों में महिला का स्थान

इस्लाम दुनिया के आम इन्सानों के लिए निज़ामे रहमत (कल्याणकारी व्यवस्था) है, लेकिन औरतों के हक़ में उकसी रहमत बहुत व्यापक है । अफ़सोस इस बात का है कि इस्लाम के बारे में ग़लतफ़हमियां मौजूद हैं और उनमें बढ़ोत्तरी हो रही है । इनका निकारण अभी तक नहीं हो सकता । हमारे देश में आमतौर पर यह बात फैलाई गई है कि इस्लाम औरतों के प्रति पुरुषों को सख़्त रवैया अपनाने के निर्देश देता है और एक मुस्लिम महिला कठोर कठिनाइयों में फंसी हुई है । इस्लामी शरीअत उसे चहारदीवारी में बंद रखने का हुक्म देती है । मर्द मनचाहे अन्दाज़ से उसके साथ व्यवहार करते हैं । औरतों की फ़रियाद को कोई सुनने वाला नहीं है और उन्हें किसी क़िस्म के इख़्तियारात और अधिकार प्राप्त नहीं हैं ।

हक़ीक़त यह है कि इस्लाम ने औरत को वह ऊंचा मक़ाम दिया है कि जो उसे पहले कभी हासिल नहीं था । अन्य धर्मों में उसे पापों का केन्द्र विष की गांठ समझा गया और घृणा, तिरस्कार, दमन और ज़ुल्म का निशाना बनाया गया । हिन्दू धर्म में उसकी हैसियत क्या थी इसे मनुस्मृति में स्पष्ट किया गया है–'महिला बचपन में अपने पिता के अधीन रहे, युवावस्था में पति के अधीन और विधवा होने पर अपने पुत्रों के अधीन रहे, आत्मनिर्भर कभी नहीं रहे ।

चाणक्य, जिनकी शिक्षाओं के अनुरूप शासन-व्यवस्था चलती थी, महिलाओं के बारे में कहते हैं–'नदी, सशस्त्र सैनिक, पंजे और सींग रखने वाले जानवर, सम्राट और महिला पर भरोसा नहीं करना चाहिए ।' (आग, पानी, अज्ञानी, सांप, शाही परिवार और महिला ये सब चीज़ें विनाश का कारण हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए ।)

ये और इस तरह की बहुत-सी मान्यताएं हिन्दू सभ्यता और दर्शन में विद्यमान है । सती-प्रथा स्वयं में महिला के लिए भयंकर अत्याचार थी । विधवा महिला को मनहूस जानकर अपने मृतक पति के साथ ज़िंदा जलाने पर मजबूर

किया जाता था । विभिन्न सुधारवादी आन्दोलनों के बाद यह रस्म ख़त्म हुई । आज भी अगर कोई ज़िंदा महिला अपने मृतक पति के साथ चिता में जलकर जान देती है तो बहुत-से शिक्षित हिन्दू उसकी प्रशंसा करते हैं । राजस्थान की रूपकंवर नाम की नवविवाहिता ने अपने पति की चिता में खुद को जलाकर मार डाला तो भारत के बहुत-से महंत इस महिला की प्रशंसा करते रहे और आज भी उसकी समाधि पर धार्मिक अनुष्ठान किये जाते हैं । महिलाओं पर हिन्दू धर्म के अत्याचार इतने कठोर हैं कि उन्हें बयान करने और पढ़ने से इन्सान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ।

यहूदियत जिसमें हज़रत मूसा (अलैहि०) जैसे महान पैग़म्बर को बहुत महत्व प्राप्त है और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का उपदेश देती है, उसमें भी महिला को बहुत ही नीचा और पस्त स्थान दिया गया है । अविश्वसनीय, मक्कार और नाफ़रमान बताया गया है–और यह बताया गया है कि इसी ने पुरुष को बहका कर नाफ़रमानी (ईश्वर की अवज्ञा) पर उकसाया । 'ओल्ड टेस्टामेंट' में है–'आदम जन्नत में राहत की ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे, वह अल्लाह के आज्ञाकारी और नेक बंदे थे, लेकिन उनकी पत्नी हव्वा ने उन्हें नाफ़रमानी पर उभारा और एक ऐसा फल खिलाया कि वह अल्लाह की रहमतों से वंचित हो गये और ज़िल्लत व पस्ती की ज़िन्दगी गुज़ारने पर मजबूर हुए ।' इस संबंध में और भी बहुत-सा विवरण तौरेत में मौजूद है ।

ईसाइयत ने भी, जिसका दावा है कि वह ईसा (अलैहि०) को नुबूवत और अल्लाह का बेटा होने का स्थान देती है, औरत को पतित माना है । इसका अंदाज़ा ईसाइयत के मशहूर धर्म-गुरु तरतोलेन के इन शब्दों से किया जा सकता है–'महिलाओं तुम नहीं जानती कि तुममें से हर एक हव्वा. ..तुम शैतान का दरवाज़ा हो । तुमने ही आसमान से खुदा की तस्वीर यानी पुरुष को विनष्ट किया ।'

सेंट पॉल के एक पत्र का उद्धरण देखिए–औरत को चुपचाप उच्च आज्ञापालन से सीखना चाहिए और मैं अनुमति नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए । क्योंकि पहले आदम (अलैहि०) बनाया गया, इसके बाद हव्वा । और आदम फ़रेब में नहीं पड़ा, बल्कि औरत फ़रेब खाकर गुनाह में पड़ी ।' (तीमुथियुस के नाम प्रेरित पौलुस का पहला पत्र)

औरतों पर जुल्म व सितम का यह इतिहास तो धार्मिक ग्रथों से लिया गया है, इससे किसी तरह भी इन्कार नहीं किया जा सकता । इन धर्मों के ज़िम्मेदारों ने औरतों के साथ जो सुलूक किया है उसकी भी एक दर्दनाक दास्तान है । आज के भारत में देवदासियों के नाम पर औरतों पर जो जुल्म हो रहे हैं वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं ।

आधुनिक सभ्यता और औरत

आज की आधुनिक सभ्यता ने औरत के साथ जो सुलूक किया है और होता रहा है, उसका भी सरकारी जायज़ा लेने की ज़रूरत है । अतीत में औरतों के साथ जो कुछ हुआ उससे कई गुना ज़्यादा जुल्म आज 'महिला मुक्ति' के ध्वजावाहक औरतों पर कर रहे हैं । स्टेज पर आकर गाना, नाचना, थिरकना, अश्लील हरकतें करना, जिस्म की नुमाइश करना, लोगों की वासनाओं को भड़काना, फ़िल्मों के ज़रिए नग्नता दर्शाना, सौंदर्य प्रतियोगिताओं के ज़रिए जिस्म की नुमाइश करना, टी०वी० और रेडियो के ज़रिए अभद्रता एवं अनैतिकता को हवा देना, जिस्मफ़रोशी के लिए औरत की इज़्ज़त को लूटना–आज यह सब कुछ हो रहा हैं, जिसे 'प्रगतिवादिता' और 'महिला स्वतंत्रता' का नाम दिया जा रहा है । बड़े-बड़े होटलों में धन-दौलत के सहारे किसी की बेटी, किसी की बहन और किसी की बहू की इज़्ज़त व आबरू पर नफ़्सपरस्तों के डाके पड़ते हैं । इन्सानियत रुसवा हो रही है । आज इन्सानियत का दर्द रखने वाले बुद्धिजीवी परेशान हैं कि इस सभ्यता से किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए । यूरोप, अमेरिका और अन्य विकसित देश तथा उनका अनुसरण करने वाले मदहोशी के आलम में इस 'आधी मानवता' को–अंजाम से बेपरवाह होकर अश्लीलता और नग्नता के सैलाब में बहा ले जा रहे हैं और पूरी इन्सानियत की तबाही व बर्बादी के साधन जुटा रहे हैं ।

> तुम्हारी तहज़ीब खुद अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी जो शाख़े नाज़ुक पर आशियाना बनेगा नापायदार होगा ।

इन जुल्मों के मुक़ाबले में इस्लामी शिक्षाओं का जायज़ा लें तो साफ़ मालूम होगा कि इस्लाम ने औरत को मज़लूमियत से निकाल कर आज़ाद और बड़ी हद तक स्वायत्त और

ख़ुदमुख़्तार बनाया है । आइए हम यह देखें कि इस्लाम ने औरत को क्या मक़ाम और क्या अधिकार दिये हैं ।

अमल और अज्र में फ़र्क़ नहीं

इस्लाम औरत और मर्द दोनों को सम्मान की दृष्टि से देखता है और उन्हें एक-दूसरे का पूरक मानता है । इन्सानी ज़िन्दगी के लिए दोनों को अपरिहार्य और समान मानता है।

क़ुरआन में आया है–'लोगो ! अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिये । उस ख़ुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक-दूसरे से अपने हक़ मांगते हो । और रिश्ते व समीपता के संबंधों को बिगाड़ने से बचो । यक़ीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है ।' (सूरह निसा, आयत-1)

यह आयत स्पष्ट करती है कि जिन तत्वों से पुरुष की सृष्टि हुई है, महिला का संबंध भी उन्हीं से है । इस तरह दोनों बराबर है, न कोई निम्न है और न कोई उच्च । इन दोनों के आपसी मिलन से असंख्य स्त्री-पुरुष वजूद में आये । और रिश्तेदारी और समीपता के एतबार से अधिकारों और इख़्तियार में कोई अंतर नहीं है । हर एक अपने अमल का ख़ुद ज़िम्मेदार है ।

अल्लाह ने क़ुरआन में फ़रमाया है–'जो शख़्स भी नेक अमल करेगा चाहे वह मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वह मोमिन हो, उसे हम दुनिया में पवित्र जीवन व्यतीत कराएंगे और (आख़िरत में) ऐसे लोगों को उनके अज्र उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक़ बख़्शेंगे ।'

(सूरह नह्ल, आयत-97)

इस्लाम में यह भी स्पष्ट किया है कि तमाम इन्सान एक ख़ुदा के बंदे हैं और एक ही मां-बाप के संतान हैं । इन्सान होने के नाते उनमें कोई फ़र्क़ नहीं है । हां अगर फ़र्क़ हो सकता है तो इस आधार पर कि कौन ख़ुदा से कितना डरता है । क़ुरआन में है–'लोगो ! हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और फिर तुम्हारी क़ौमें और समुदाय बना दिये ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो । दरहक़ीक़त अल्लाह के निकट तुममें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वह है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, यक़ीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाख़बर है ।'

(सूरह हुजुरात, आयत-13)

मुस्लिम औरत ज्ञान के मैदान में

इस्लाम ने इल्म को बड़ी अहमियत दी है और उसे प्राप्त करने की प्रेरणा दी है । इस मामले में औरत-मर्द में कोई फ़र्क़ नहीं है । इतिहास बताता है कि औरत इल्म के मैदान में बहुत आगे बढ़ी है । हज़रत आइशा (रज़ि॰) का इल्म के मामले में दर्जा बहुत पसंद है । क़ुरआन की आयतों के नाज़िल होने का इल्म, दीनी फ़राइज़, साहित्य और अरब इतिहास का वह बहुत गहरा इल्म रखती थीं । हदीसें बयान करने में हज़रत आइशा (रजि॰) का स्थान बहुत उच्च है । चिकित्सा के मैदान में भी उन्हें दक्षता प्राप्त थी । हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि॰), हज़रत हफ़्सा (रज़ि॰), हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰), हज़रत अस्मा बिन्त अबूबक्र (रज़ि॰), ख़ौला आदि औरतों ने इल्म की दुनिया में अपना नाम रोशन किया और बाद के काल में भी मुस्लिम औरतों ने ज्ञान-विज्ञान में बहुत तरक़्क़ी की ।

जीवन के अन्य क्षेत्रों में

इस्लाम ने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करने से महिलाओं को रोका नहीं है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के काल में औरतें अपने ख़ानदान के पुरुषों के साथ काम करती थीं । हज़रत सह्ल बिन सअद (रज़ि॰) एक महिला का उल्लेख करते हैं, वह अपनी ज़मीन से चुकंदर की खेती करती थीं । जब सहाबा किराम (रज़ि॰) उनके खेत पर जाते तो वे चुकंदर से बने हुए हलवे से उनकी ख़ातिर करती थीं । इसी तरह अन्य महिलाएं भी कृषि से दिलचस्पी रखती थीं, लेकिन इस्लामी सीमाओं का पूरा पालन करती थीं ।

व्यापार के क्षेत्र में भी औरतें आप (सल्ल॰) के ज़माने में हिस्सा लिया करती थीं । एक औरत ने आप (सल्ल॰) से कहा कि मैं विभिन्न चीज़ें ख़रीद कर बेचती हूं, मैं तिजारत करती हूं । तिजारत के बारे में उन्होंने आप (सल्ल॰) से बहुत-सी बातें पूछीं । अस्मा बिन्त उमैस (रज़ि॰) इत्र का कारोबार किया करती थीं । इस तरह की और भी बहुत-सी औरतों का उल्लेख आप (सल्ल॰) के दौर में मिलता है । कुटीर उद्योगों में भी औरतें हिस्सा लेती थीं । हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि॰) की पत्नी एक

अच्छी कारीगर महिला थीं । विभिन्न चीज़ें तैयार करके उन्हें बेचती थीं और अपने घर वालों की ज़रूरतों की पूर्ति करती थीं ।

औरत जंग के मैदान में

इस्लाम ने राज्य की सरहदों की रक्षा और दुश्मनों से सुरक्षा की ज़िम्मेदारी औरतों पर नहीं डाली है । लेकिन अगर वे पुरुषों के साथ इस फ़र्ज़ को निभाने के लिए आगे बढ़ें तो इस्लाम ने उन्हें मना नहीं किया है । जंगे उहुद में जब मुसलमानों के पैर उखड़ गये तो हज़रत उम्मे अम्मारा (रज़ि॰) ने बड़ी दृढ़ता और साबितक़दमी का प्रदर्शन किया। आप (सल्ल॰) के पास पहुंच कर आप (सल्ल॰) की सुरक्षा के लिए तीर और तलवार का इस्तेमाल करने लगीं । आप (सल्ल॰) फ़रमाते हैं कि दाएं-बाएं जिस ओर भी मैंने रुख़ किया उम्मे अम्मारा को अपनी सुरक्षा में लड़ते देखा । हज़रत उम्मे अम्मारा (रज़ि॰) पर नेज़े (भाले) और तलवार के 12 ज़ख़्म आ चुके थे, और एक ज़ख़्म तो इतना गहरा था कि उसके भरने में एक साल लग गया ।

हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद (रज़ि॰) के हाथों जंगे यरमूक में नौ रूमी फ़ौजी मारे गये । हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि॰) ने ख़ेमे का एक डंडा लेकर दुश्मन पर वार किया और सात लोगों को मार दिया ।

हुज़ूर (सल्ल॰) की फूफी ने जो उस क़िले में महफ़ूज़ थीं जिसमें मुस्लिम औरतों को जंगे ख़ंदक़ के मौक़े पर महफ़ूज़ किया था, एक यहूदी क़िले पर चढ़ आया और उसे हज़रत सुफ़या (रज़ि॰) ने क़त्ल कर दिया ।

हज़रत रबीआ बयान करती हैं कि हम नबी (सल्ल॰) के साथ जिहाद पर जाती थी । मुजाहिदों को पानी पिलाना, उनकी देखभाल करना, जंग में ज़ख़्मी होने वाले और शहीद होने वालों को मदीने पहुंचाने का काम हमारे सुपुर्द किया । इनके अलावा कितनी ही मुजाहिद औरतों ने जंगों में अपनी सेवाएं अर्पित कीं । मुजाहिदों के सामान की निगरानी, उनके लिए खाना तैयार करना, घायलों का इलाज, मरहम-पट्टी और बीमारों की देखभाल उनके ज़िम्मे होती थी ।

जंगे उहुद में हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ज़ख़्मी हुए तो हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) ने ही ज़ख़्म को चटाई की राख से भरा था । जंगे उहुद में हज़रत आइशा (रज़ि॰) और उम्मे सलीम (रज़ि॰) ने मुजाहिदों की ख़िदमत की । ये सेवाएं मुस्लिम औरतें अपने रब की ख़ुशनूदी के लिए करती थीं । जबकि ये कार्य उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल नहीं थे ।

इस्लाम में औरत का वास्तविक स्थान

इन तमाम वाक़यात और हालात से यह बात वाज़ेह होती है कि इस्लाम ने औरत पर किसी तरह का ज़ुल्म व ज़्यादती नहीं की है । और उनकी तरक़्क़ी के रास्ते में रुकावट नहीं डाली । अलबत्ता इस्लाम ने जो ज़िम्मेदारी औरत पर डाली है, वह उसके घर का मैदान है और ख़ानदान की भीतरी व्यवस्था को बेहतर बनाना है । यह औरत के अपमान और पस्ती का स्थान नहीं है और न ही औरत के साथ अन्याय है । औरत का कार्य-क्षेत्र घर की भीतरी व्यवस्था है और पुरुष का कार्य-क्षेत्र घर के बाहर के मामलात व मसाइल हैं ।

क़ुरआन मजीद की हिदायत है कि 'और अपने घरों में सुकून से रहो ।' (सूरह अहज़ाब, आयत-33) हज़रत अनस (रज़ि॰) फ़रमाते हैं कि कुछ औरतों ने नबी (सल्ल॰) से अर्ज़ किया कि मर्द तो फ़ज़ीलत वाले आमाल और जिहाद का सवाब हासिल करते हैं, हम क्या करें कि हमें भी सवाब हासिल हो । इस पर नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया—तुममें से जो औरत घर में बैठी रहे तो वह अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों का सवाब पाएगी ।

मर्द और औरत जब अपने-अपने मैदान में अमल करेंगे तो आपसी मेल-मिलाप नहीं होगा । दोनों को सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण ज़िंदगी गुज़ारने का मौक़ा मिलेगा । अगर मर्द और औरत को एक साथ जीवन के समस्त क्षेत्रों में काम करने के अवसर दिए जाएं तो वही कुछ होगा जो आज हमारा समाज भुगत रहा है । बाज़ारों में स्त्री-पुरुष एक साथ लेन-देन कर रहे हैं । क्लबों और पार्कों में एक साथ सैर व तफ़रीह हो रही है । स्कूल और कॉलेजों में सह-शिक्षा का रिवाज है । कारख़ानों, फैक्ट्रियों और दफ़्तरों में एक साथ काम किये जा रहे हैं । इन सबकी पहली मार महिला की मान-मर्यादा पर पड़ती है । निरंतर एक साथ रहने के नतीजे में स्त्री और पुरुष बेक़ाबू हो जाते हैं—और फिर वह सब कुछ होता है जिससे समाज में ख़राबियां पैदा होती हैं, जिसे आज का समाज भुगत रहा है । अब इसका सुधार बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है ।

आज इस बात को तारीफ़ की निगाह से देखा जाता है कि हर मैदान में औरत को मर्द के साथ काम करने के लिए आमादा किया जाए । लेकिन परिणाम हमारे सामने हैं । किसी भी क्षेत्र में औरत पुरुष का मुक़ाबला नहीं कर पाती और यह मायूसी का शिकार हो जाती है । इसकी अस्ल वजह यह है कि औरत से वह काम लिया जाता है जो उसके कार्य-क्षेत्र से बाहर का है ।

इस्लाम में औरत के अधिकार

औरतों के अधिकारों के सिलसिले में इस्लाम ने औरतों को बहुत-सी सुविधाएं दी हैं । उनका विवाह उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता और अगर उसके 'वली' (संरक्षक) की ओर से ज़्यादती हो तो वह इसका विरोध कर सकती है और अपने मसले को अदालत के सामने रख सकती है । पुरुष को अगर तलाक़ देने का अधिकार है तो औरत को 'खुलअ' (पति से संबंध विच्छेद) लेने का हक़ हासिल है ।

विरासत के मामले में इस्लाम ने औरत को पिता, पति और बेटे की विरासत में हक़दार ठहराया है । औरत को अपनी आमदनी और अपनी दौलत के मामले में खुदमुख़्तार बनाया है । उसकी संपत्ति पर उसके होते हुए कोई क़ब्ज़ा नहीं कर सकता । मां, पत्नी और बेटी की हैसियत से उसके अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं । इनमें किसी क़िस्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता । मां-बाप की ख़िदमत, पत्नी के महर और ज़रूरतों की पूर्ति और बेटी की शिक्षा-दीक्षा के लिए पुरुषों को विशेष निर्देश दिये गये हैं । इनकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करने वाले पुरुष के सिलसिले में बाक़ायदा आदेश जारी किये गये हैं ।

इस्लाम की यह शिक्षा है कि महिला की मान-मर्यादा की रक्षा सबसे पहले की जाए और कुकर्म एवं व्यभिचार से दूर रहने की नसीहत की जाए । क़ुरआन की शिक्षा है कि 'ज़िना (व्यभिचार) के क़रीब भी न फटको, यह एक अश्लील कृत्य है ।' (सूरह बनी इसराईल, आयत-32)

स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट भी भिन्न-भिन्न है । औरत के साथ कुछ दिक़्क़तें लगी हुई हैं, वह महीने के तीस दिन चुस्त-दुरुस्त नहीं रह सकती । हर महीने कुछ दिन अनिवार्य रूप से उसे तकलीफ़ से गुज़ारने पड़ते हैं, मासिक धर्म का सिलसिला जारी रहता है । इस दौरान औरत की कैफ़ियत एक बीमार की-सी हो जाती है । गर्भ-काल उसके लिए बहुत कष्टप्रद होता है । बच्चे को जन्म देने के बाद भी उसे बहुत-सी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है । बच्चों की परवरिश और दूध पिलाना उसकी ज़िम्मेदारी होती है ।

इन सब दायित्वों के बावजूद उससे यह कहना कि वह नौकरी करे, फैक्ट्रियों में काम करे, पुरुषों का दिल बहलाने के लिए स्टेज भी सजाए...आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यह उस पर कितना ज़ुल्म और उसके साथ कितना अन्याय है।

इस्लाम ने उसे इस ज़ुल्म से मुक्ति दिलायी है । पर्दे के सुसंस्कृत निर्देश और अन्य शरीअत के आदेश उसके हक़ में बहुत लाभप्रद और कारगर हैं । वास्तविकता तो यह है कि इन आदेशों को अमलीजामा पहनाकर समाज में औरत के स्थान को उच्च से उच्चतर किया जा सकता है ।

महिलाओं में सुधारवादी कार्य करने वाली संस्थाओं और उनके कार्यकर्ताओं के लिए यह विचारणीय बिंदु है । औरत के पक्ष में इस्लाम ने जो अधिकार और सुविधाएं सुनिश्चित की हैं, उनका अध्ययन करने की ज़रूरत है । अब आपको खुद यह फ़ैसला करने का अधिकार है कि आधुनिक सभ्यता की चमक-दमक, हिन्दू-मत, यहूदियत और ईसाइयत के अत्याचार औरत के पक्ष में हितकारी हैं और इस्लाम की शिक्षाएं ?

UNITED ELECTRONIC SPARES

Deals :
Electronic Spare Parts,
TV, DVD, DTH & All Types of Remote,
CFL Glass & CFL Kit, USB Set, Fan,
Iron, Mixer, Mobile Accessories,
0-25 KVA To 10 KVA Stabiliser &
Inverter, CFL Inverter &
12 V 7.2AH Battery

Shop No-8, Hotel Ashoka Complex,
L.T. Road, Ramgarh Cantt, Jharkhand

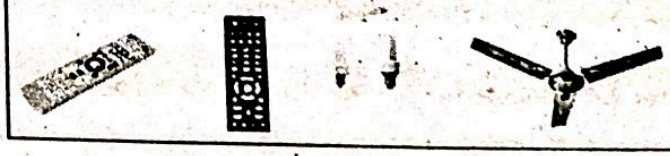

قال اللہ تعالیٰ

احل اللہ البیع وحرم الربوا (القرآن)

اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔

HALAL

INVESTMENT & FINANCE

Eat Halal Earn Halal

HALAL

INVESTMENT & FINANCE

Best Concept For Bright Future & Best Economic Conditions

Nihal Co-Operative Credit Society Ltd.

Eat Halal Earn Halal
INTEREST FREE INVESTMENT & FINANCE

Regd No. TNA/(TNA)/RSR/1029 Year : 1998/99
Regd. Office : 3rd Floor, Nihal House,
N. H. School Road, Opp. Ideal Tower, Mira Road (E)

Chairman
Mohammadhanif Nihaluddin Shaikh

Contact Us : 9022665544, 9869641648

एक थी सुभद्रा

■ शंकर लाल माहेश्वरी
(भीलवाड़ा, राज०)

इन दिनों वह गुमसुम सी, खोई-खोई और अनमनी सी रहने लगी । उदास और हताश, बेजान सी दिखाई देती थी । अधिक समय सुनसान और नीरव, नि:शब्द और एकान्त चाहने लगी । कुण्टाग्रस्त, तनाव और उत्पीड़न को झेलते हुए उसका जीवन बीतने लगा । समस्त खुशियां सदा-सदा के लिए तिरोहित हो गई । वह अपनों को लम्बे समय तक एक टक देखती रहती । चिड़चिड़ापन और खीज भरी आवाज़ में कभी-कभी बतियाती और लम्बी मौन धारण कर लेती । परिजनों और पास पड़ोसियों को संदेह भरी नज़रों से देखती । आपने कभी स्नेहासिक्त वाणी में बतियाना भी शुरु कर दिया तो उसे भी दिखावा मान कर आंखे फेर लेती । अधिक समय तक एकान्तवास अकेलपान उसे अधिक भाता था । अपनी सखी सहेलियों से भी कन्नी काट जाती । सदैव उत्पीड़न की अवस्था ही बनी रहती । दुश्चिन्ता का आलम छाया रहता । समाज से दूरियां बना ली । वह नैराश्य नद में गोते लगाने लगी । सामने से अपना कोई गुज़रता तो उसे टुकुर-टुकुर देखा करती तभी दो बून्द आंसू छलक जाते । विश्वास खो सा गया । टूट सी गई भीतर से वह । उसे पराये तो पराये पर अपने भी पराये ही लगने लगे । भीतर से बिखर गई, सिमट सी गई ।

पहले तो वह दान-पुण्य को लालायित रहती । व्रत उपवास, तीर्थाटन में विशेष रुचि रखती किन्तु अब सब कुछ समाप्त सा हो गया । भ्रमित और आशंकित रहना, आक्रोश और अधूरापन की अवस्था बलवती हो गई । वाणी में कड़वाहट आ गई । समूह में बैठने की आदत समाप्त हो गई । अविश्वास बढ़ गया । आत्मविश्वास जाता रहा । एकाकी जीवन जीना ही उसने अपना लक्ष्य बना लिया । अपने आप को असहाय समझ बैठी । अज्ञात भय सालने लगा । सोच में नकारात्मक दृष्टि का अविर्भाव हो गया । घर परिवार की व्यवस्थाओं से मुंह मोड़ लिया । अन्यमनस्क की सी स्थिति हो गई । बच्चों से घबराहट, बड़ों से भय लगने लगा । वह पूर्णत: अन्तर्मुखी हो गई । उसका स्वाभाव किसी मरोरोगी के समान हृदय विदारक बन बया ।

जो दौड़-दौड़ कर परिजनों की सेवा सहायता करती, मेहमानों की आवभगत करती, पड़ौसियों की सहायता करती, समाज सेवा में अग्रणी रहती, दीन-दुखियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहने वाली हंसती मुस्कराती जीवन जीने वाली सुभद्रा ने भीड़-भाड़, जाति-बिरादरी, रिश्ते नाते, सगे संबंधी, घर परिवार, बेटे बहु सभी से नाता तोड़ लिया । माया मोह से परे रहकर अज्ञात को आसरा बना लेने वाली सुभद्रा अब जीवित लाश बन कर रह गई । सुभद्रा के जीवन में यह झंझावाती तूफान आया कैसे? तो सुनिये ।

सुभद्रा रईस ख़ानदान की एक विदुषी महिला थी । पति दीनानाथ नगर सेठ थे । लम्बा चौड़ा कारोबार था । नौकर-चाकर सब कुछ थे । बड़ी हवेली के मालिक थे । गाड़ी-घोड़ों की भरमार थी । सेठ जात बिरादरी में आदर सम्मान था । घर गृहस्थी ठीक-ठाक चल रही थी, कि अचानक व्यापार में भारी घाटा हो गया । बस इसी से सेठ

ग़ज़ल

उनके हमारे बीच, न पुल है न नाव है
वे फिर से आ रहे हैं बहुत रख-रखाव है
हम लोग जल रहे हैं स्वयं अपनी आग में
मित्रों यह उनके वास्ते बढ़िया अलाव है
पीछे बंधे हुए हैं सभी निर्धनों के हाथ
जो लोग हैं लठैत यहां उनका भाव है
क्या इन्क़िलाब आएगा उस मुल्क में जहां
हर आदमी के पास में अपना ही घाव है
नेता के घर में चैन है आकाश में है वो
कैसे भला बताए कहां क्या अभाव है ।

● अहद 'प्रकाश'

दीनानाथ सड़क पर आ गये । घर, गहने, खेती-बाड़ी, गाड़ी घोड़े, मकान, दुकान सब कुछ चले गये फिर भी क़र्ज से मुक्ति नहीं मिली । इसी सदमें में सुभ्रदा के पति का साठ की उम्र में ही देहांत हो गया । सुभद्रा पर मानो पहाड़ टूट गया । दोनों बेटे अशोक और अमित पढ़ाई छोड़ मेहनत-मज़दूरी में लग गये । अभी इनकी उर्म ही क्या थी । बीस को भी पार नहीं कर पाये थे । दोनों भाइयों ने कड़ी मेहनत की और अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों पर ले आये । आमदनी बढ़ी तो एसी कि पुराने दिन लौट आये । धीरे-धीरे बढ़ती आमदनी के साथ हीं भाइयों का भाईचारा घटने लगा । दोनों भाई अलग हो गये । धंधे का भी बंटवारा हो गया और मां भी बंटवारे में 15-15 दिनों के लिए दोनों भाइयों में बट गई । कोई महीना इकतीस का हुआ तो संदिग्धावस्था का वह दिन उसके लिए उपवास का होता था । बस इसी दिन की मनहूस घड़ी में वह किंकर्तव्य-विमूढ़ होकर उत्पीड़न की शिकार हो गई ।

बड़े बेटे अशोक का कारोबार ठीक चल गया, तो उसने एक परदेसी महिला के प्रेमपाश में फंस कर शादी रचा ली । महिला ने शादी इसी शर्त पर की कि मां सुभद्रा न तो उसके पास रहेगी न हम उसके पास रहेंगे । अमित का कारोबार अब समाप्त हो गया । उसे शहर छोड़कर रोज़ी-रोटी के लिए बाहर जाना पड़ा । अब तो सुभद्रा की सुध लेने वाला कोई भी न था । अब वह पड़ोसियों की दया पर ही जी रही थी । किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं । आंसुओं की घूंट पीकर किसी तरह जी रही थी, क्योंकि वह मर भी नहीं सकती थी । आत्महत्या उसके लिए महापाप था ।

आज अशोक के प्रेम विवाह की प्रथम वर्ष गांठ थी । घर-आंगन को खूब सजाया गया । फूल-पत्तियों की बन्दनवार और गोटा किनारी वाले पर्दे लगोय गये । बैण्ड बाजों की धूम मची । शहनाई की स्वर लहरियां उठ रही थी पकवान भी कई तरह के बनाये गये । मेहमानों की अपार भीड़ थी । बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था । मेहमान नवाजी परवान पर थी । सब कुछ था किन्तु मां सुभद्रा ढूंढने पर भी नहीं थी ।

आज सुभद्रा का उपवास था । पिछले दो दिनों से भी उसने खाया-पिया नहीं । रक्तचाप बढ़ा तो ऐसा बढ़ा कि वह चक्कर खाकर धराशायी हो गई । सिर में गहरी चोट भी लगी । पड़ोसी मातादीन उसे अस्पताल ले जा रहा था । रास्ते में बैण्ड बाजों की धुन सुनकर वह ठिठक गई । उससे रहा नहीं गया । पूछ ही लिया यहां यह क्या हो रहा है? बताया गया, माताजी! यह घर दीनानाथ के बड़े बेटे अशोक का है । उसकी शादी की पहली वर्ष गांठ पर यहां उत्सव मनाया जा रहा है । लाचार और पथराई आंखों से वह दृश्य देखकर उसने कहा "सदा सुखी रहो" और अस्पताल में पहुंची ही थी कि उसके प्राण पखेरु उड़ गये । उधर वर-वधू को पुष्पाहार पहनाये जा रहे थे और इधर सुभद्रा की अर्थी पर फूल चढ़ाये जा रहे थे ।

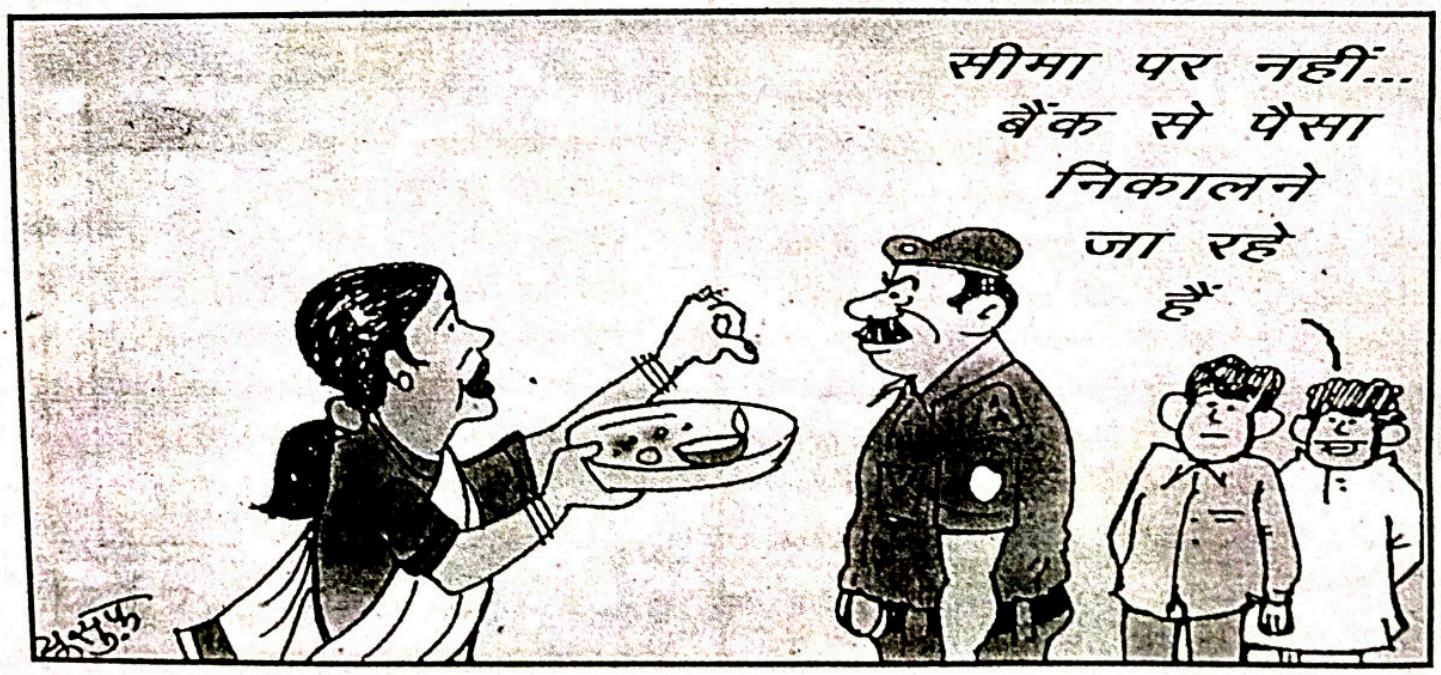

अल्कोहल मिली दवाएं

■ **अल्कोहल का इस्तेमाल दवा आदि जीवन के लिए उपयोग चीज़ों के बनाने में किया जाता है । इस्लाम की दृष्टि में इससे बनी चीज़ों का सेवन क्या जायज़ और धर्मविहित है ?**

–एक पाठक

जवाब : शराब को इस्लामी शरीअत ने हराम और निषिद्ध ठहरा दिया है और शराब पीने वाले के लिए सज़ा भी निर्धारित की है । शरीअत का सामान्य नियम यह है कि जो चीज़ें हराम हैं उनकी ख़रीद और बिक्री भी इसी प्रकार मुसलमानों के लिए नाजायज़ होगी और इनसे प्राप्त आय भी हलाल (विहिप और वैध) नहीं होगी । चूंकि शराब का नाजायज़ होना शरीअत की दृष्टि से प्रमाणित है इसलिए सभी फ़क़ीहों ने आम सहमत से इसकी ख़रीद एवं बिक्री को मुसलमानों के लिए नाजायज़ क़रार दिया है । अल्लामा इब्ने क़दामह लिखते हैं–

''इब्ने अल-मुंज़िर का कथन है कि सभी अहले इल्म (ज्ञानवान) इस पर एकमत हैं कि शराब बेचना जायज़ नहीं है ।''

लेकिन ''ख़म्र'' (नशेवर चीज़) की हक़ीक़त क्या है ? इसके बारे में फ़क़ीहों की विभिन्न राएं हैं । इमाम अबू हनीफ़ा (रह०) के यहां शराब वास्तविक अर्थों में वह है जो अंगूर से निचोड़ी जाए, अर्थात कुरआन में जिस ''ख़म्र'' का उल्लेख है, उससे अभिप्राय अंगूर का वह कच्चा रस है जिसमें झाग और शिद्दत पैदा हो गयी हो और वह नशीला बन गया हो । इसको ख़रीदना और बेचना भी उसी प्रकार नाजायज़ है जिस प्रकार पीना । लेनिक इमाम अबू हनीफ़ा (रह०) भी नशा पैदा करने वाली प्रत्येक चीज़ का इस्तेमाल हराम क़रार देते हैं ।

इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद (रह०) अंगूर के इस रस को उसी हुक्म में सम्मिलित करते हैं, जिसको पका लिया गया हो । उसी प्रकार खजूर और किशमिश का वह पानी भी जो नशीला हो ख़म्र ही के हुक्म में सम्मिलित करते हैं । इनकी ख़रीद और बिक्री भी इसी प्रकार नाजायज़ और हराम होगी । यदि कोई मुसलमान इन्हें बेचना और ख़रीदना चाहे, तो इस्लामी शरीअत के अनुसार नहीं बेच सकता (फ़त्हुलक़दीर)।

जहां तक दूसरे फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) इमाम मालिक (रह०), इमाम शाफ़ई (रह०) और इमाम अहमद बिन हंबल की रायों का संबंध है, तो इनके यहां नशा पैदा करने वाला हर पेय पदार्थ ''ख़म्र'' (शराब) है, चाहे उसे अंगूर से निचोड़ा गया हो अथवा किसी और चीज़ से । इन सबकी ख़रीद और बिक्री समान रूप से नाजायज़ और हराम होगी ।

फ़ुक़हा (इस्लाम शरीअत के जानकारों) का इसमें कोई मतभेद नहीं है कि नशा पैदा करने वाली चीज़ का इस्तेमाल हराम और नाजायज़ है चाहे वह किसी चीज़ से भी तैयार की गयी हो । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा, ''जिस चीज़ की अधिक मात्रा नशा पैदा करे उसकी थोड़ी मात्रा भी हराम है ।'' यह हदीस एक सामान्य नियम पेश करती है ।

इमाम अबू हनीफ़ा की राय से भी यह समझना ग़लत है कि अंगूर के अतिरिक्त दूसरी चीज़ों को शराब उनके यहां जायज़ है । जहां तक अल्कोहल के संबंध में शरीअत के आदेश का प्रश्न है, तो उपयुक्त विवरण के आलोक में यह जानना आवश्यक है कि इसकी तैयारी में किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है ? हमारी जानकारी की हद तक अल्कोहल को शराब का मूलतत्व कहा जा सकता है । शराब बनाने में इसके विभिन्न प्रकार के सत प्रयुक्त किये जाते हैं । केवल अल्कोहल यदि कुछ अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी उसी प्रकार नशा आता जिस प्रकार दूसरी शराबों से ।

अब वस्तुस्थिति यह है कि विभिन्न दवाओं विशेष रूप से टॉनिकों में और कुछ भोज्य पदार्थों में भी अल्कोहल का इस्तेमाल अत्यंत सामान्य बात हो गयी है । अपितु कुछ

दवाओं की तैयारी भी इसी के द्वारा की जाती है अथवा इनके द्वारा दवा का आधार बनाकर उसकी सुरक्षा का काम लिया जाता है । दूसरी ओर परफ़्यूम्स की विभिन्न उपलब्ध क़िस्मों में स्पिरिट का इस्तेमाल आम है, जो अल्कोहल ही की तरह का तत्व है और लगभग वही गुण भी रखता है जो अल्कोहल का है ।

अब प्रश्न यह है कि इनके इस्तेमाल के संबंध में इस्लामी शरीअत का क्या हुक्म होगा ? क्या ऐसी दवाओं और भोज्य-पदार्थों का इस्तेमाल पूर्णतः हराम और नाजायज़ होगा, जिनमें अल्कोहल की कोई मात्रा पड़ी हुई हो ? इसी प्रकार इत्र और परफ्यूम्स की वे क़िस्में जिनमें स्पिरिट की कुछ मात्रा शामिल हो उनके इस्तेमाल पर शरीअत का हुक्म क्या होगा ?

उपर्युक्त विवरणों से यह अंदाज़ा हुआ होगा कि इस मसले में यदि इमाम अबू हनीफ़ा की राय ली जाए तो इस लिहाज़ से लोगों को सहूलत हो सकती है कि उनकी दृष्टि में अंगूर के अतिरिक्त दूसरी चीज़ों से तैयार अल्कोहल की मात्रा जिससे नशा न पैदा हो, आवश्यकतानुसार दवा आदि में इस्तेमाल करने की गुंजाइश होगी । अतएव कुछ फ़क़ीहों (धर्मशास्त्रियों) ने अल्कोहल और स्पिरिट के मिश्रण से तैयार होने वाली दवाओं एवं इत्र के बारे में फ़त्वा का आधार इसी पर रखा है और कहा है कि "अल्कोहल" की तैयारी चूँकि अंगूर की शराब से नहीं होती, इसलिए इसकी ख़रीद और बिक्री एवं उन दवाओं के इस्तेमाल की हद तक गुंजाइश है, जिनमें अल्कोहल की कुछ मात्रा सम्मिलित हो बशर्ते इसकी शरई ज़रूरत हो । इसी प्रकार स्पिरिट का हुक्म भी है ।

लेकिन हमारे नज़दीक यह कहना सही नहीं है कि अंगूर से अल्कोहल तैयार नहीं किया जाता । इंसाइक्लोपीड़िया ऑफ़ ब्रिटानिया के 1985 ई० के एडीशन में अल्कोहल के शीर्षक से जो विवरण प्रकाशित किया गया है उसमें जहां और दूसरी चीज़ों का उल्लेख है जिनमें अल्कोहल तैयार किया जाता है, उनमें दूसरे ही नम्बर पर अंगूर का भी उल्लेख है । (देखिए जिल्द-1, पृ० 437)

अतः इसको फ़त्वा का ठोस आधार नहीं बनाया जा सकता । सामान्य कठिनाइयों को देखते हुए फ़त्वों में सुगमता का पहलू अपनाया जा सकता है, क्योंकि–

(1) आम तौर पर दवाओं में इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है, जिसमें नशा पैदा करने की शक्ति नहीं होती है और उसकी हैसियत दवा और दूसरे तत्वों के मुक़ाबले में नगण्य होती है ।

(2) रासायनिक परिवर्तनों के कारण शराब होने का मूल-तत्व शेष नहीं रहता और जिस प्रकार शराब सिरका बन जाने के पश्चात अपना मालिक गुण खो देने की वजह से पाथ और हलाल हो जाता है, वही हुक्म उन तमाम सूरतों का होना चाहिए, जिनमें रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप मौलिक गुण शेष नहीं रह गया हो । लेकिन स्पिरिट, टिंचर, अल्कोहल–इन सबके इस्तेमाल की केवल उसी सूरत में गुंजाइश होगी, जबकि आवश्यकता हो और इनका कोई विकल्प विद्यमान न हो ।

दवाओं में हराम चीज़ों के इस्तेमाल के लिए भी एक नियम है, जिसके अंतर्गत विद्वान डॉक्टर की सहमति ज़रूरी है और यह भी इनका बदल उपलब्ध न हो । लेकिन अल्कोहल की इतनी साधारण मात्रा जो दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर अपना गुण खो देता हो, इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जहां वह अपने मौलिक गुण और प्रभाव के साथ शेष न रहता हो, तो इसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं । बाह्य शरीर पर इस्तेमाल होने की सूरत में केवल संदेह के आधार पर पाकी का हुक्म भी नहीं लगाया जाएगा ।

अलबत्ता मुसलमान के जीवन की कार्यशैली यह होनी चाहिए कि जहां तक नाजायज़ और संदिग्ध चीज़ों से बचना संभव हो, बचने की कोशिश करनी चाहिए, जिस प्रकार आदरणीय फ़क़ीहों के लिए उचित यह है कि जब तक उसूल का उल्लंघन न होता हो सामान्य लोगों के लिए आसानी का पहलू अपनाएं ।

अंत में फ़िक़्ह शाफ़ई का यह अंश भी उद्धरित कर देना उचित है कि जितनी हराम पेयें हैं सिर्फ़ दवा के रूप में भी उनका इस्तेमाल जायज़ नहीं, लेकिन इनको किसी दूसरी दवा के साथ उसी प्रकार मिला दिया गया हो, जिससे उनकी भेदपरक हैसियत समाप्त हो गयी हो, तो इस सूरत में इनके इस्तेमाल की इजाज़त होगी, जबकि इससे फ़ायदे की आशा हो एवं दूसरी दवा उपलब्ध न हो ।

● संपादन प्रभाग

सांप्रदायिकता : एक सामाजिक विश्लेषण

■ सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी
(उपाध्यक्ष, जमाअत इस्लामी हिन्द)

सांप्रदायिकता भारत की एक बड़ी और स्थायी समस्या है । इस समस्या को जनसंख्या के सिद्धांतों और दृष्टिकोणों के आंधार पर समझने की और इसका हल तलाश करने की कोशिशें बौद्धिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में निरंतर होती रही हैं । इस लेख में इन कोशिशों का संक्षिप्त जायज़ा लिया जा रहा है ।

चूंकि इस समस्या का गहरा संबंध समाज और इतिहास के बुनियादी दृष्टिकोणों से है, इसलिए सांप्रदायिकता के कई दृष्टिकोण हमको समाजशास्त्र की पुस्तकों में मिलते हैं ।



सांप्रदायिकता का परिचय, इसका इतिहास और इसके लिए ज़िम्मेदार जनसमूह, इन सब पर समाजशास्त्र के विशेषज्ञों के मध्य विभिन्न और कभी-कभी एक-दूसरे से टकराने वाले विचार पाये जाते हैं । दृष्टिकोण ही पर निवारण की निर्भरता होती है । अतः जब लोग सांप्रदायिकता को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हल भी अलग-अलग तरह से सुझाते हैं । इसलिए जो लोग अम्न व शांति के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि इन विभिन्न दृष्टिकोणों का जायज़ा लें ।

इस लेख में साम्प्रदायिकता से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक और तुलनात्मक जायज़ा लिया जाएगा । इस समस्या से संबंधित इस्लामी दृष्टिकोण भी पेश करने की कोशिश की जाएगी और इस जायज़े की रोशनी में समाधान के सिलसिले में भी कुछ सैद्धांतिक बातों की ओर संकेत किया जाएगा ।

सांप्रदायिकता के दृष्टिकोण से आशय वे दृष्टिकोण हैं, जिनमें सांप्रदायिकता का परिचय निर्धारित करने की कोशिश की गयी । भारत की सांप्रदायिकता की जड़ों और उसके कारणों को तलाश करने की कोशिश की गयी है और इन बहसों की रोशनी में इसका हल ढूंढ़ा एवं प्रस्तावित किया गया है ।

सांप्रदायिकता को देखने का एक दृष्टिकोण वह है, जिसे पदार्थवाद (Essentialism) या परंपरागत (Primordialism) दृष्टिकोण कहा जाता है । इस दृष्टिकोण का सारांश यह है कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं शेष दुनिया की परंपराओं से बिल्कुल अलग हैं । ये परंपराएं एक विशिष्ट सामूहिक प्रकृति पैदा करती है, जो शेष दुनिया की प्रवृत्ति से अलग होती है ।

इस की एक विशेषता यह होती है कि वह धार्मिक आस्था के सिलसिले में सहिष्णु होती है और सारी धार्मिक परंपराओं को अपने अन्दर समोने और उनका समान रूप से सम्मान करने की क्षमता रखती है । लोग धर्म के बजाय सभ्यता व सांस्कृतिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के आधार पर एक-दूसरे से जुड़ते हैं और सारी धार्मिक आस्थाओं को एक ही समय में ठीक समझते हुए उनका सम्मान करते हैं ।

जब भारत में विदेशी धर्म आये, तो वह अपने साथ कुछ

ऐसी परंपराएं व प्रकृति लेकर आये, जो यहां की प्रकृति से टकराते थे । किसी विशिष्ट पुस्तक को विशुद्ध रूप से हक़ समझना और उसी को जीवन का आधार बनाना और सामाजिक परंपराओं और सभ्यताओं के लिए भी उसे बुनियाद बनाना, भारतीय समाज के स्वभाव से टकराता था । इसी की वजह से विदेशी धर्म अर्थात इस्लाम और ईसाइयत के मानने वाले यहां के समाज का हिस्सा नहीं बन सके । उनकी सर्वोच्च धार्मिक भावना ने इनके और स्थानीय समाज के मध्य हमेशा दूरी को बनाए रखा ।

इसी टकराव ने सांप्रदायिकता को जन्म दिया । इसी तरह सांप्रदायिकता इनके निकट वास्तव में देशी व विदेशी प्रकृतियों और प्रवृत्तियों के टकराव की पैदावार है और भारत में सांप्रदायिकता के जन्म का इतिहास वही है, जो पहले मुस्लिम हमले का इतिहास है । मध्यकाल या मुस्लिम शासनकाल इनके निकट सांप्रदायिकता का स्रोत है । ये लोग कुछ अन्य विचारकों के विरुद्ध सांप्रदायिकता को आधुनिकतावाद (Modernism) की पैदावार नहीं ठहराते, बल्कि इसकी जड़ें इनके निकट मध्यकाल से जुड़ी हुई हैं । इनके निकट अकबर और राणाप्रताप, औरंगज़ेब और शिवाजी की लड़ाइयां सांप्रदायिक लड़ाइयां थीं ।

इस सोच के नतीजे में सांप्रदायिकता का जो हल सामने आता है, वह यह है कि मुसलमान और ईसाई खुद को, अपनी धार्मिक परंपराओं को और अपने सामूहिक प्रकृति को इस देश के देसी प्रकृति के अनुकूल कर लें । अपनी और धार्मिक परंपराओं को ज़रूर थामे रखें, लेकिन यह स्वीकार कर लें कि उनकी आस्था देश की अन्य आस्थाओं के साथ ईश्वर तक और सच्चाई तक पहुंचने का एक रास्ता है । न अपनी आस्था को एकमात्र सच्चाई ठहरा दें और न दूसरी आस्थाओं को ग़लत कहें ।

इस देश के निवासियों को जोड़ने वाली चीज़ यहां की सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इसलिए इन परंपराओं को अपनाएं । इस देश ने बहुत-सी स्थानीय आस्थाओं और धर्मों को एक सभ्यता की लड़ी में सफलता के साथ पिरो दिया है और इन्हें एक क़ौम बनाया है ।

मुसलमान और ईसाई भी इस माला का हिस्सा बन सकते हैं, अगर वे 'एक ही सच्चा धर्म' वाले 'विदेशी स्वभाव' और विदेशी सांस्कृतिक परंपराओं से विलग जा जाएं । जब तक ऐसा नहीं होगा वे इस देश के वातावरण का हिस्सा नहीं बन सकेंगे और टकराव बना रहेगा । यह आर०एस०एस० और उसके सहयोगी दक्षिणपंथी विचारकों का दृष्टिकोण है । वे सांप्रदायिकता को इसी दृष्टि से देखते हैं । इस दृष्टिकोण के अनुसार, सांप्रदायिक अम्न व शांति का संबंध अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से ईसाइयों और मुसलमानों के मानसिक परिवर्तन से है, इसलिए इसकी पूरी ज़िम्मेदारी अल्पसंख्यकों पर ही लागू होती है । वे बहुसंख्यकों पर ही लागू होती है । वे बहुसंख्यकों पर सांप्रदायिक अम्न की कोई ज़िम्मेदारी नहीं डालते और बहुसंख्यक वर्गों की ओर से अत्याचार और प्रतिक्रिया को अल्पसंख्यकों के उपर्युक्त 'अपराध' का तार्किक और सहजपरिणाम समझते हैं ।

एक दृष्टिकोण वह है, जिसे रचनात्मकता कहा जाता है । इसके अनुसार सांप्रदायिकता वास्तव में एक कृत्रिम रूप से पैदा की गयी दशा है, जिसका उद्देश्य ग़रीबों और मज़दूरों का शोषण है । समाज के विशिष्ट वर्ग ग़रीबों और मज़दूरों के शोषण के लिए इन्हें धर्म के आधार पर बांटते हैं और धार्मिक पहचान को ज़रूरत से ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं ।

सांप्रदायिकता और धार्मिक चेतना को पुख़्ता करते हैं, ताकि अपने अच्छे-बुरे अधिकारों की पहचान कमज़ोर हो जाए, इसके लिए उद्योगपतियों और धार्मिक नेतृत्व के मध्य एक नापाक गठजोड़ स्थापित किया जाता है । धार्मिक नेता सांप्रदायिक व धार्मिक जुनून पैदा करके इस कैफ़ियत को पुख़्ता करते हैं और पूंजीपति और प्रशासक वर्ग इसका लाभ उठाकर अपनी शोषणात्मक पकड़ को मज़बूत करते हैं । इस तरह सांप्रदायिकता के लिए धर्म ज़िम्मेदार बन जाता है । उनकी दृष्टि में धर्म बिगाड़, उपद्रव और ख़ूनख़राबे की अस्ल जड़ है ।

इसी से मिलता-जुलता एक और दृष्टिकोण यह है, जिसे उपकरणवाद (Instrumentalism) कहा जाता है । अर्थात सांप्रदायिकता वास्तव में राजनीतिक वर्ग, उद्योगपतियों और मध्य वर्ग के लिए लाभ प्राप्ति का एक माध्यम होता है । अंग्रेज़ों ने अपने हितों को साधने के लिए इस माध्यम को ईजाद किया और आज़ादी के बाद कभी इसे चुनाव जीतने का आसान रास्ता समझा गया, तो कभी अपनी हुकूमत को बाक़ी रखने या कभी विरोधियों की सरकार को कमज़ोर करने या गिराने का । कभी इसे बाज़ार से अपने

प्रतियोगियों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो कभी ज़मीन-जायदाद पर क़ब्ज़े के लिए । इस तरह इस दृष्टिकोण के अनुसार, सांप्रदायिकता कोई स्थायी दशा नहीं रह जाती, बल्कि केवल एक सामयिक माध्यम बन जाती है ।

सांप्रदायिकता से संबंधित एक और दृष्टिकोण है, जिसे समानाधिकारवादी दृष्टिकोण (Egalitarian perspective) कहा जाता है । इस दृष्टिकोण में बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता में अन्तर किया जाता है । इसके अनुसार सांप्रदायिकता केवल मानसिक दशा का नाम नहीं है, बल्कि इसका संबंध हानि पहुंचाने की क्षमता से भी है । अपने समुदाय से प्रेम करना और उसको लाभ पहुंचाने के बारे में सोचना एवं कोशिश करना बुरी बात नहीं है । बुरी बात दूसरे समुदाय को नुक़सान पहुंचाने की कोशिश है और नुक़सान पहुंचाने के लिए क्षमता और ताक़त की भी ज़रूरत होती है ।

सांप्रदायिकता को देश में एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य हितों के लिए और वास्तविक समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जाती रहीं और दंगे भी कराये जाते रहे हैं, लेकिन बातचीत यह है कि इस वक़्त जिस सांप्रदायिकता का सामना है वह इतनी सादा नहीं है । इस विचार में गुरुता है कि इसके गहरे सैद्धांतिक आधार हैं और यह एक तरह का फासीवाद ही है । सामयिक उद्देश्यों और हितों को प्राप्त करने के लिए हमेशा सामयिक संसाधनों को इस्तेमाल किया जाता रहा है ।

किसी धर्म-स्थल को अपवित्र करना, कहीं मंदिर-मस्जिद का मसला, किसी लड़की से छेड़छाड़, भारत-पाक क्रिकेट मैच में विघ्न इत्यादि जैसी घटनाएं आमतौर पर सांप्रदायिक उत्तेजना भड़काने के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं । इस तरह की घटनाओं से पैदा होने वाली उत्तेजना सामयिक होती है । भावनाएं भड़कायी जाती हैं, हिंसा होती है, इससे वांछित लाभ प्राप्त कर लिए जाते हैं, फिर आग ठंडी हो जाती है और जन-जीवन सामान्य हो जाता है और दोनों समुदाय फिर मिल-जुलकर रहने लगते हैं ।

पिछले दो सौ सालों से सांप्रदायिक तनाव का आमतौर पर यही इतिहास रहा है, लेकिन अब दोनों समुदायों के मध्य दूरी के लिए स्थायी बुनियादें तलाश की जा रही है । इतिहास और पाठ्य-पुस्तकों को नये सिरे से लिखने की बड़ी योजनाएं बन रही हैं । वैश्विक राजनीति को एक विशिष्ट रंग से पेश करने के लिए मीडिया की पूरी ताक़त झोंकी जा रही है । आतंकवाद की घटनाएं पैदा करने और उन्हें एक ख़ास रंग देने के लिए सुनियोजित और संगठित प्रयास हो रहे हैं । ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, जिसके नतीजे में देहातों तक की जनसांख्यकी बदली जा रही है । हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य स्थायी बुनियादों पर मानसिक व भावनात्मक भेदभाव भी पैदा किया जा रहा है और अमलन भी उनकी आबादियों को अलग-अलग किया जा रहा है । इससे मालूम होता है कि सांप्रदायिकता अब एक बड़ी 'परियोजना' बन चुकी है ।

सांप्रदायिकता की जड़ें जब गहरी हो जाती हैं, तो सरकारें भी बेबस होने लगती हैं । लोकतांत्रिक राजनीति में निर्वाचित सरकारों के सामने न्याय व इन्साफ़ के तक़ाज़ों और प्रशाकीय ज़िम्मेदारी से ज़्यादा राजनीतिक समस्याएं होती हैं और इनके फ़ैसलों पर सार्वजनिक रुझानों और इसके ज़रिये बनने वाला राजनैतिक दबाव प्रभावशाली होता है । इसलिए अगर समाज सांप्रदायिक हो जाए और सांप्रदायिक संस्था निजी रूप धारण कर ले, तो सेकुलर और बज़ाहिर न्यायप्रिय राजनीतिक संगठन और राजनीतिज्ञ भी खुद को बेबस पाते हैं और उनकी राजनीतिक समस्याएं उनको सांप्रदायिक फ़ैसलों और उस पर क़दम उठाने के लिए मजबूर करती हैं ।

इसलिए सांप्रदायिकता का केवल राजनीतिक स्तर पर मुक़ाबला काफ़ी नहीं हो सकता और किसी राजनीतिक संगठन के हार जाने या जीत जाने से यह समस्या ख़त्म नहीं होती । इस रोग का अस्ल निवारण सामाजिक स्तर पर ही हो सकता है । सामाजिक स्तर पर सांप्रदायिकता के निवारण के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय दोनों समुदायों के मध्य तालमेल, बातचीत और आम सामाजिक संबंधों के वातावरण को परवान चढ़ाना है ।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफ़ेसर आशुतोष वार्ष्णेय अमेरिका की ब्राउन यूनीवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं और भारत में सांप्रदायिक संबंधों पर अपने शोध के लिए सुख्यात हैं । प्रोफ़ेसर वार्ष्णेय ने उन इलाक़ों का गहरा अध्ययन किया है, जहां सांप्रदायिक तनाव रहता है या अगर है भी तो

हिंसात्मक रूप धारण नहीं करता । उनके शोध का सार यह है कि इन दोनों तरह के क्षेत्रों में मूल अंतर सामाजिक संबंधों का है, जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ की तुलना केरल के शहर कालीकट से की है । कालीकट के अपेक्षाकृत शांतिप्रिय होने की वजह उनके निकट यह है कि यहां 82 प्रतिशत हिन्दू और मुसलमान सामाजिक रीति-रिवाज और उत्सवों में एक साथ खाना खाते हैं, 90 प्रतिशत परिवारों में बच्चे दूसरे समुदायों के बच्चों के साथ खेलते हैं और 84 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं, जिनके दूसरे संप्रदायों के परिवारों के साथ दोस्ताना संबंध हैं और वे एक-दूसरों के घरों में आते-जाते हैं ।

अलीगढ़ में यह अनुपात अपेक्षाकृति काफ़ी कम है । कालीकट में विभिन्न समुदाय के लोगों को एक-दूसरे से क़रीब लाने में वहां की समितियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है । व्यापारियों की संस्थाएं, लायंस और रोटरी क्लब, चर्चों से जुड़ी संस्थाएं, रिक्शा चलाने वालों के संगठन, आर्ट को पसंद करने वाले की संस्था, कहने का तात्पर्य यह है कि तरह-तरह की संस्थाएं विभिन्न समुदाय के लोगों को एक-दूसरे के क़रीब लाती हैं । सांप्रदायिक भावना की चिंगारियां पैदा भी हों, तो ये सामाजिक संबंध उन्हें भड़कने नहीं देते । दैनिक जीवन के रिश्ते ग़लतफ़हमियों के निवारण में सहायक बनते हैं ।

अलीगढ़ और कालीकट में एक और अंतर जो प्रो॰ वार्ष्णेय जी ने नोट किया है, वह दोनों शहरों की आर्थिक ज़िन्दगी और आर्थिक संबंध हैं । कालीकट में हिन्दुओं और मुसलमानों के व्यापार और आर्थिक सरगर्मियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं । एक मुस्लिम व्यापारी, हिन्दू होलसेलर से लाखों का माल क़र्ज़ पर लेता है और उसे बाज़ार में बेचता है । दोनों की एक-दूसरे पर निर्भरता भी है और भरोसा भी । सांप्रदायिक टकराव दोनों के लिए हानिकारक हो जाता है । ऐसा समाज तनाव व शिकायतों को दूर करने के तरीक़े ख़ुद ढूंढ़ लेता है ।

सांप्रदायिक अम्न-शांति पूरे समाज की सामूहिक ज़रूरत बन जाती है । सांप्रदायिक तनाव और हिंसा अधिकतर शहरों से ख़त्म हो रही है । देहात आमतौर पर शांतिमय हो रहे हैं । दंगों का इतिहास बताता है कि दंगे या तो शहरों में होते हैं या शहरों में भड़कने वाली आग आसपास के देहातों को अपनी लपेट में लेते हैं । इसका कारण यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों के लोगों के मध्य सामाजिक संबंध भी होते हैं और आर्थिक ज़िन्दगी भी एक-दूसरे पर निर्भर होती है । जो क़ौमें सांप्रदायिकता फैलाना चाहती हैं, उनका मूल लक्ष्य यही है कि सामाजिक संबंध कम से कम हो और दोनों समुदायों की एक-दूसरे पर निर्भरता भी कम से कम हो । सामाजिक संबंधों में दैनिक जीवन के आम मेलजोल का भी महत्व है और ऐसी संस्थाओं और प्लेटफार्मों की भी जो दोनों समुदायों को मिला सकें ।

जर्मन समाजशास्त्री जर्गन हाबरमास ने 'सार्वजनिक परिक्षेत्र' का दृष्टिकोण पेश किया था । सार्वजनिक परिक्षेत्र, सामाजिक जीवन का वह हिस्सा है जिसमें लोग एक-दूसरे के क़रीब आते हैं, जनसमस्याओं पर बातचीत करते हैं, एक-दूसरे की सोच पर प्रभाव डालते हैं और इस तरह राजनीतिक अमल को भी प्रभावित करते हैं । हाबरमास के अनुसार "जीवन-संसार' वह संबंध और बातचीत है, जो आम और दैनिक इन्सानी मेल-जोल के द्वारा अंजाम पाती है । इनमें देहातों में चौपालों की और शहरों में चायख़ानों की बैठकें, बच्चों के मध्य खेल के संबंध, पारिवारिक उत्सवों, मेले और त्योहारों के अवसरों पर मेलजोल आदि शामिल हैं ।

सांप्रदायिकता से मुक़ाबले के लिए इन दो स्तरों पर काम ज़रूरी है । एक बड़ी ज़रूरत यह है कि दैनिक जीवन में समुदायों के मध्य मेल-जोल और संबंधों को बढ़ाया जाए। अल्पसंख्यकों को सामाजिक जीवन से अलग-थलग करना, संस्थागत सांप्रदायिकता और फासीवाद का अहम लक्ष्य होता है । अलग निवास क्षेत्र, अलग राजनीतिक संगठन, अलग शैक्षिक व आर्थिक संस्थाएं, अलग व्यावसायिक इलाक़े व बाज़ार, इस तरह अलग-थलग करके और उनकी पृथक आबादियां बनाकर अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के मध्य मेल-जोल को कम से कम कर दिया जाता है और इससे सांप्रदायिकता की जड़ों को मज़बूत करने में मदद मिलती है और अफ़वाहें फैलाकर, ग़लत मीडिया दुष्प्रचार के ज़रिये और ग़लतफ़हमियों के प्रचार-प्रसार के ज़रिये भावनाओं को भड़का कर हिंसा के अवसर भी आसानी से पैदा किये जा सकते हैं, इसलिए सांप्रदायिकता से मुक़ाबले के लिए ज़रूरी है कि सामाजिक जीवन की ऐसे संरचना विकसित करने की कोशिश की जाए कि हिन्दू-मुस्लिम मेल-जोल ज़्यादा से ज़्यादा और रोज़मर्रा की बुनियाद पर हो ।

बेटों की चाहत में होती बेटियों की भ्रूण हत्याएं

■ डॉ॰ विभा सिंह

केन्द्र और राज्य सरकारें देश में बच्चियों के पक्ष में लाख गाल बजाये, पर भारतीय समात के कान पर जूं तक रेंगती नज़र नहीं आ रही है । जनगणना 2011 के आंकड़े इस सच को उजागर करते हैं । एक दशक पहले की जनगणना में भी घटते लिंगानुपात पर समाज के चिंतको ने जगह-जगह आसू बहाए थे और इसमें सुधार का वादा शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद बेटियों के प्रति नफ़रत क्यों बढ़ रही है? क्यों उनकी भ्रूण हत्या हो रही है?

जहां तक देश की कुल जनसंख्या का प्रश्न है, वह एक अरब 21 करोड़ हो गई है । जिसमें 62 करोड़ 37 लाख पुरूष तथा 58 करोड़ 65 लाख महिलाएं हैं । यद्यपि पिछले 10 वर्षों में भारत का कुल लिंगानुपात 933 से बढ़कर 940 हो गया है, लेकिन बच्चों का लिंगानुपात 927 से घटकर 914 हो गया है । यह अनुपात आज़ाद भारत का सबसे निचला स्तर है ।

देश के 27 राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों में बच्चों के लिंगानुपात में वर्ष 2001 की अपेक्षा गिरावट दर्ज की गई । छह साल तक के प्रति 1000 बच्चों में सबसे कम अनुपात हरियाणा में 830 तथा पंजाब में 846 दर्ज किया गया ।

यदि महानगरों की वात करें तो कोलकाता की आबादी में छह साल तक के बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई । 2001 की जनसंख्या में लड़कियों की संख्या जहां प्रति एक हज़ार लड़कों पर 960 थी वह 2011 में घटकर 950 रह गई । मुंबई में भी बेटों की चाहत कम नहीं हुई है । मुंबई जैसे आधुनिक सोच वाले महानगर में लिंगानुपात 837 है ।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण देश के कुछ हिस्सों में लिगानुपात गिरकर 800 से भी कम रह गया है । आंकड़े बताते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही लिंगानुपात लड़कों के पक्ष में बढ़ रहा है । शिक्षित महिलाओं में कन्या भूणहत्या का पाया जाना इस मिथक को तोड़ता है कि केवल शिक्षा के प्रसार तथा महिला जागरूकता से लिंगभेद समाप्त किया जा सकता है । गांव में अशिक्षा के बावजूद बेटियां सुरक्षित हैं, जबकि शहरों में उनके प्रति नफ़रत बढ़ रही है । कन्या भ्रूणहत्या के कारण हर साल 35 से 40 लाख लड़कियों की कमी हो रही है । अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, अमीनो सेन्टेसिस तथा विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा गर्भावस्था के दौरान लिंग पहचान की तकनीक ने इस स्थिति को और बदतर बना दिया है । उल्लेखनीय है कि 1995 में बने जन्म पूर्व नैदानिक अधिनियम प्री नेटल डॉयग्नास्टिक एक-1995 के मुताबिक बच्चे का लिंग पता लगाना गैर-क़ानूनी है जबकि उल्लंघन सवसे अधिक होता है ।

दुनिया के सबसे ख़राब लिंगानुपात वाले देशों में भारत का नाम शामिल है जो कि महिला अधिकारों के प्रति उल्लंघन के लिए भी जाना जाता है । शासन की परस्पर विरोधी विभिन्न नीतियां और महिला अधिकारों के प्रति अज्ञानता कन्या भ्रूण हत्या के लिए काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार हैं । आज भी लागों में यह पुरातन धारणा जिंदा है कि लड़का वंश चलाता है और लड़कियां पराया धन है । न केवल ग़रीब परिवारों में बल्कि संपन्न परिवारों में भी वंश चलाने के लिए लड़के की चाह में लड़कियों की भ्रूणहत्या की जा रही है।

भारत में लिंग परीक्षण की सुविधा का दुरूपयोग हो रहा हैं । एमिनी सेन्टेसिस नामक इस विधि में थैलीनुमा झिल्ली से जिसमें उदरस्थ शिशु तैरता रहता है, उपकरण की सहायता से तरल पदार्थ निकाला जाता है । इस तरल पदार्थ में अविकसित शिशु से आई सजीव कोशिकाएं होती हैं । इन कोशिकाओं पर विभिन्न परीक्षण किये जाते हैं । इनमें क्रोमोसोम परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है । चूंकि इस पद्धति से

लिंग भी ज्ञात किया जा सकता है, अत: इस पद्धति ने लोगों को अपने इस गुण के कारण अधिक आकर्पित किया है । समाज की इस कमज़ोरी का लाभ तथाकथित धनलोभी चिकित्सकों ने उठाया है । अनेक निजी चिकित्सालय यह सेवा उपलब्ध कराने में लगे हैं । ऊंची फीस लेकर लिंग पहचाने जाते हैं । डॉक्टर गर्भधारण के 15वें या 16वें सप्ताह में परीक्षण करके लिंग ज्ञात करता है । स्पष्ट है, यहां वहीं स्त्रियां जाती है जिन्हें पुत्र की आकांक्षा होती है ।

क़ानून तो एक अंधा औज़ार है, जिससे वच सकने की हज़ारों तरक़ीबें हैं । चिकित्सक अपनी रिपोर्ट में केवल भ्रूण की स्थिति व स्वास्थ्य का उल्लेख रिपोर्ट लेने-देने में चिकित्सक और दम्पत्ति दोनों ही विश्वास नहीं करते । भारतीय क़ानून के तहत 20वें सप्ताह तक गर्भपात वैध होता है और अल्ट्रा साउण्ड तकनीक से बच्चे का लिंग परीक्षण गर्भकाल के 16वें सप्ताह में संभव हैं, अतएव गर्भपात के लिए दम्पत्ति को एक माह का समय आसानी से मिल जाती हैं ।

महिलाओं की कम संख्या के संकट से जूझ रहे इस देश में बेटियों का एक नया कालित कहर ढा रहा है । मेडिकल की दुनिया मे इस क़ातिल को भले ही बेबी जेंडर-मेंटर किट का नाम दिया गया हो, लेकिन सुदूरवर्ती गांवों में यह कातिल जंतर-मंतर किट के नाम से मशहूर है । पंजाब में इसकी लोकप्रियता सर्वाधिक है । कुछ दिनों पूर्व ही चैनल-7 ने इस धंधे का भंडाफोड़ किया था । यंह एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से केवल पांच हफ़्ते की गर्भवती महिला के रक्त के नमूने के परीक्षण से यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़का है या लड़की । ख़ास बात यह है कि यह परीक्षण सात समंदर पार अमेरिका में किया जाता है । इसका नतीजा सिर्फ़ 48 घंटों के भीतर हासिल किया जा सकता है । इस किट के संबंध में यह दावा किया जात है कि इसका परीक्षण मरीज़ों की कसौटी पर 99.9 प्रतिशत खरा उतरा है । देश में सैकड़ों अल्ट्रासाउंड क्लीनिक बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं । यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसे क्लिनिकों की संख्या कम नहीं है । यद्यपि अवैध रूप से भ्रूण हत्या करने वाले लोगों, डॉक्टरों व अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टरों को दंड देने को प्रावधान है लेकिन कितने लोगों को दंड मिलता है?

कन्या भ्रूणहत्या के लिए पुत्र की चाहत के अलावा भी बहुत से कारण हैं । कन्याओं को बोझ या पराया धन मानना, बढ़ती दहेज प्रथा, धार्मिक व सामाजिक कुरीतियां, घर-परिवार का दबाव आदि भी कम ज़िम्मेदार नहीं है । कहते हैं कि कन्या के पिता का सिर ज़िंदगी भर झुका रहता है और सिर झुकाना पुरुप अहम को आहत करता है । कौन पिता लड़की होने पर अपने आपको अपमानित महसूस करना चाहेगा? महिलाओं में बेटे को जन्म न दे पाने पर अपने आपको अधूरा मानने की मानसिकता भी कम दोषी नहीं है ।

कन्या भ्रूणहत्या के दुष्परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं । जब जननी ही नहीं होगी तो पुरुष को कौन पैदा करेगा? स्त्री-पुरुष के लैंगिक अनुपात में असंतुलन की वजह से लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं । भविष्य में तो अधिकांश लड़कों को कुंआरा ही रहना पड़ेगा । कन्या भ्रूण हत्या से सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है ।

जनगणना 2011 के प्रारंभिक आंकड़ों में देश के जिन राज्यों में स्त्री-पुरुष घटा है, उन पर केन्द्र सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक़ ऐसे 17 राज्य चुने गए हैं, जहां लिंगानुपात बेहद चिंताजनक है । इन राज्यों को लिंगानुपात में ख़राब प्रदर्शन करने वाले, ज़िलों और ब्लॉक की पहचान करने को कहा जाएगा ।

सूत्रों का कहना है कि एक बार राज्य के ज़िले और ब्लॉक की निशानदेही हो जाने पर वहां पर निगरानी शुरू की जाएगी । इन स्थानों में स्थित स्थानीय नर्सिंग होम और निजी अल्ट्रासाउंड केन्द्रों में ग़ैर क़ानूनी लिंग परीक्षण करने वाले लोगों की धर-पकड़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों और मेडिकल टीम भेजी जाएगी । इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बैठक भी बुलाई है । मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि राज्यों को लिंग जांच जैसे अपराध रोकने के लिए कई अन्य निर्देश भी दिए जाएंगे । मसलन राज्यों में हर एक अल्ट्रासाउंड मशीन का पंजीकरण कर ख़रीदने वाले पर निगरानी रखी जाए ।

नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए तीन साल की कड़ी सज़ा और पचास हज़ार रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान करने को कहा जाएगा । यह भी दबाव बनाया जाएगा कि सभी नर्सिंग होम और निजी अल्ट्रासाउंड केन्द्रों में फॉर्म-एक भरवाने का चलन सख्ती से शुरू करें ।

भारत पाकिस्तान ख़राब रिश्तों का असर खेलों पर भी

■ ए॰ एन॰ शिब्ली

भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सीमा पार से जारी आतंकवाद खत्म नहीं होने तक पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर पूरी तरह से रोक लगाने का समर्थन करते हुए कहा कि भारतीयों का जीवन खेल से अधिक महत्वपूर्ण है । गंभीर ने कहा, ''मैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के बारे में सोच भी नहीं सकता । भारतीयों का जीवन खेल से अधिक महत्वपूर्ण है।'' गंभीर ने ज़ोर देकर कहा कि राजनीति और खेलों को अलग रखने की बात करने वालों को पहले खुद को सैनिकों की जगह रखकर देखना चाहिए ।

उन्होंने कहा, ''मैं पूरी तरह से इस रुख़ का समर्थन करता हूं कि जब तक सीमा पार आतंकवाद ख़त्म नहीं होता तब तक पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ते नहीं होने चाहिए। लोगों को खुद को सेना की जगह रखकर सोचना चाहिए जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं, किसी ने अपना पिता, बेटा गंवाया है ।'' गंभीर ने कहा, ''हम एसी कमरे में बैठकर यह कह सकते हैं कि क्रिकेट या बॉलीवुड की तुलना राजनीति से नहीं होनी चाहिए जब तक कि हम खुद को भारतीय मानकर नहीं सोचें या अपने देशवासियों के बारे में नहीं सोचें । इसलिए मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि जब तक कि हम अपने भारतीय लोगों, देशवासियों की सुरक्षा नहीं कर लेते तब तक सभी चीज़ों को अलग रखा जा सकता है ।

यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत पाकिस्तान के बीच ख़राब हुए रिश्ते का असर इन दोनों देशों के बीच खेल के रिश्तों पर भी पड़ा है। वैसे तो फ़िलहाल ऐसी कोई सीरीज़ नहीं होने वाली है जिसके आयोजन को रद्द करने की मांग उठे मगर भविष्य में ऐसा कई बार हो चूका है जब इन

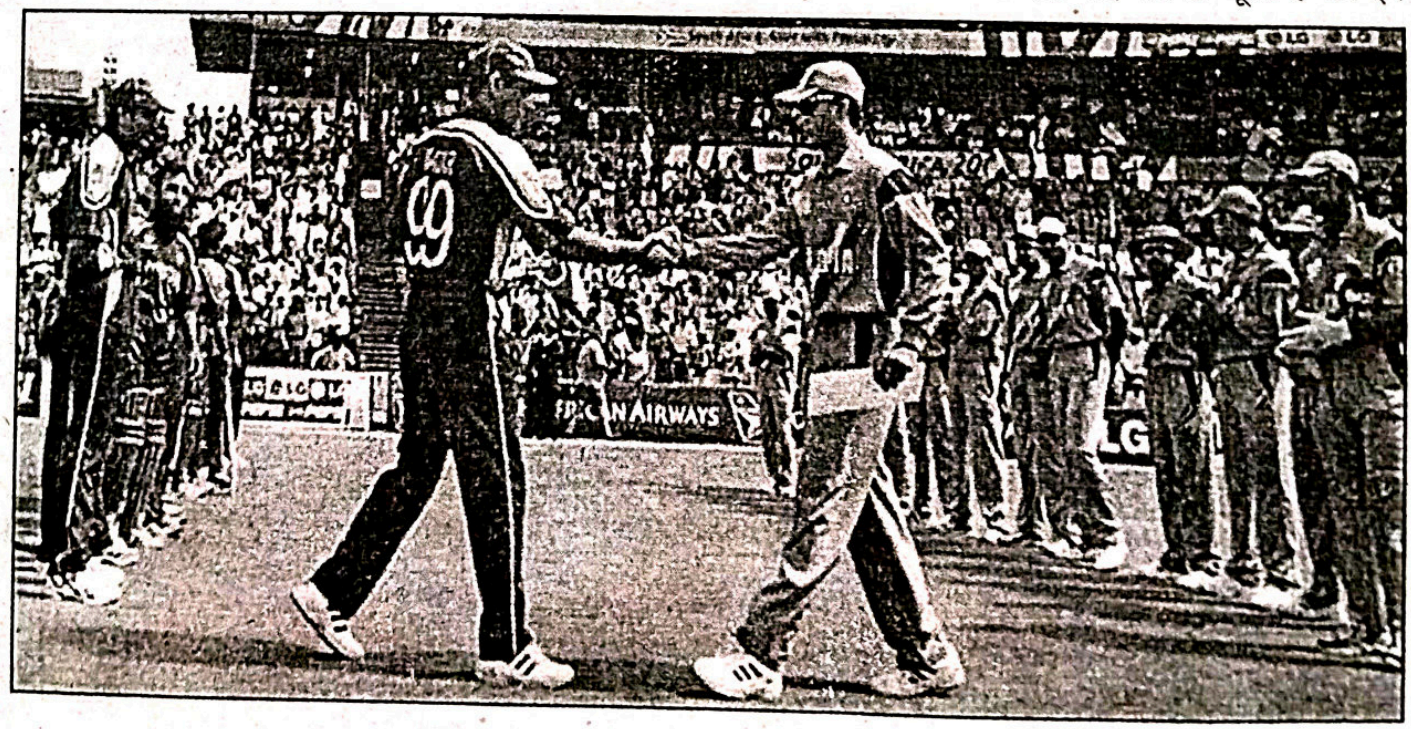

दोनों देशों के ख़राब रिश्ते के बाद इनके बीच होने वाले मैच रोके गये ।

सरकार ने अपने स्तर पर तो मैच नहीं खेलने की बात कही ही कई राजनीतिक पार्टियां ख़ास तौर पर बाल ठाकरे और उनके समर्थक हमेशा पाकिस्तान के साथ होने वाले मैचों का विरोध करते रहे । सिर्फ़ मुम्बई ही नहीं बल्कि मुम्बई के बाहर भी मैच को ख़राब करने की कोशिश की गयी । फ़िरोज़ शाह कोटला मैदान की तो एक बार भारत पाकिस्तान मैच के विरोध में पिच ही खोद दी गयी ।

बहुत से देशों के आपस में रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं होते ऐसे में बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि ख़राब रिश्तों की वजह से मैचों का आयोजन नहीं होना या उस देश से किसी भी तरह की खेल गतिविधियों में शामिल नहीं होना उचित है ?

इस सिलसिले में बहुत से लोगों की अलग अलग राय है । रिश्ते अगर किसी ख़ास कारण से ख़राब नहीं हैं और बस वैसे ही दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग यह नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच मैचों के आयोजन न हों । मगर जहां तक पकिस्तान का संबंध है उसका मामला दूसरा है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो पाकिस्तान भारत को बदनाम करता ही है वह समय समय पर भारत में कुछ ऐसी गतिविधियों को भी अंजाम देता है जिसे कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता।

पाकिस्तान हालांकि इस बात को नहीं मानता मगर पूरी दुनिया में यह मेसेज तो गया है कि उडी में पाकिस्तानियों ने ही भारतीयों जवानों को मारा । जब एक देश दूसरे देश के बिना किसी ख़ास कारण के सैनिक मार रहा हो तो भला ऐसे में उस देश से खेल संबंध कैसे संभव है । भारत ने 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय शृंखला नहीं खेली है ।

न सिर्फ़ भारत और पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे लाखों की संख्या में प्रशंसक हैं जो इन दोनों देशों के बीच मैच होता देखना चाहते हैं । मगर उन्हें मायूसी हाथ लगती है । मुम्बई हमले के बाद अभी मैच हुए भी नहीं थे कि अब उड़ी में सैनिकों पर हमला हो गया । राजनेता तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ब्यान देते ही रहते हैं बुरा तो तब हो जाता है जब दोनों देश में ऐसे खिलाड़ी या खेल से जुड़े लोग भी मौजूद हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ब्यान देने के मामले में किसी से पीछे रहना नहीं चाहते । वह एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करते हैं । ऐसे में भला ऐसी उम्मीद कैसे की जा सकती है इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुक़ाबले हों ।

बी॰सी॰सी॰आई॰ के प्रमुख अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलते हुए युद्ध भूमि तथा क्रिकेट के मैदान में भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के जीतने की असक्षमता पर टिप्पणी कर दी । मियांदाद ने इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री को अंडा और और भारतीय जनता को डरपोक कहा था । अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अहसान मानी ने अनुराग ठाकुर द्वारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिए भड़काऊ बयान से काफ़ी नाराज़गी दिखाई । उन्होंने ने अनुराग ठाकुर से जानना चाहा कि वह किस हैसियत से उन्होंने ऐसा बयान दिया है, जो खेल की छवि बिगाड़ने योग्य है । मानी ने तो पाकिस्तान को यह भी मशविरा दे दिया कि ऐसी कोशिश करो जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अलग-थलग किया जा सके । जब दोनों देशों के बीच ऐसी तकरार हो तो भला ऐसे में इस बात की उम्मीद कैसे की जा सकती है कि दोनों देश आपस में खेलें और दर्शकों का मनोरंजन होता रहे ।



वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट क्यों?

■ डॉ॰ लाल ख़ान

2008 के वित्तीय संकट को आठ साल बीत चुके है और यहां से शुरू होनेवाला आर्थिक संकट वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर अब तक एक काल की तरह मंडरा रहा है। अमेरिका सहित विभिन्न देशों में रिकवरी के तमाम दावों के बावजूद अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही नाजुक है और रिकवरी के तमाम दावों के बावजूद अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही नाजुक है और रिकवरी बहुत ही खोखली है, जो परिश्रम करनेवाले वर्गों और नवजवानों के सामाजिक और आर्थिक हालात में कोई बेहतरी लाने में असमर्थ है। उल्टा हालाते ज़िन्दगी में निरंतर कुव्यवस्था और कटौतियां ही 2008 के बाद का नियम हैं। वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक बारीक रस्सी पर लड़खड़ाते और डूबते हुए चल रही है। कहीं गहरा संकट, कहीं अर्थव्यवस्था की मंदगति, कहीं कम, लेकिन कमज़ोर रिकवरी और सामूहिक रूप से लगातार अस्थिरिता और नाजुक कैफ़ियत, वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौजूदा सूरतेहाल को इसी तरह बयान किया जा सकता है। पूंजीवाद के अपने अर्थशास्त्री 2008 ईसवी के बाद के दौर को लम्बी अवधि तक चलनेवाली मंदगति पर आधारित ठहराते हैं और पाल क्रूगमैन जैसे नोबल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री एक से अधिक बाद आनेवाली लम्बी अवधि में लगातार गिरावट का परिप्रेक्ष्य पेश कर चुके हैं।

अर्थव्यवस्था जब स्वस्थ्य आधारों पर आधारित होती है, तो क़र्ज़ों और आय के बीच संतुलन होता है और आय से क़र्ज़ों का भुगतान कम-अधिक हो जाता है, लेकिन जब लाभ में कमी होती है और संकट दिखाई देने लगता है, तो ज़्यादा जोख़िम वाली पूंजी निवेश होने लगती है। इसे अटकलबाज़ी या सटट्बाज़ी का नाम दिया जाता है। अगर सट्टेबाज़ी में लगायी गयी पूंजी लाभ न दे सकें या दूसरे शब्दों में जूए में हार हो जाए, तो फिर क़र्ज़े डूब जाते हैं और बैंक घाटे में चले जाते हैं। इस प्रवृत्ति की बहुत ही ख़तरनाक वित्त पोषण और क़र्ज़ों पर आधारित पूंजी निवेश को आजकल बोर्सवा अर्थव्यवस्था की भाषा में पूंजी, वित्त पोषण भी कहा जाता है।

2008 ईसवी के संकट का कारण सट्टेबाज़ी पर आधारित बुलबुलों का फटना था। बैंक अपने लाभ के चक्कर में क़र्ज़ देते ही चले जा रहे थे, जिसका परिणाम दीवालियों की सूरत में निकला। ऐसे में रियासतें मैदान में कूद पड़ीं और बैंकों को सैकड़ों अबर डालर के बेल आउट दिए गए, लेकिन यह बेल आउट देते-देते रिसायतें ख़ुद दीवालिया होने लगीं। ओबामा ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिकी पूंजीवाद को बचाने के लिए राज्यकीय कोष लगभग ख़ाली कर दिया और अमेरिका दुनिया के क़र्ज़दार देशों में सम्मिलित हो गया। यही कुछ यूरोप और दुनिया भर की पूंजीपति रियासतें आज तक कर रही हैं। यह पूंजीवादी व्यवस्था के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि मौनीहरिज़्म की नीति को बचाने और चलाने के लिए कौशियनिज़्म की प्रकियाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि अतीत की सारी उत्तम श्रेणी की प्रक्रियाएं संकट से निकालने में असफ़ल हो चुकी हैं और 10 जुलाई 2016 ईसवी को शंघाई में आयोजित होने वाले जी-20 (विश्व की बीस बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की संस्था) के सम्मलेन को संबोधित करते हुए चीन के वाणिज्य मंत्री

गावहूचिंग ने कहा कि "विश्व व्यापार हिचकिचाहट का शिकार है, अंतर्राष्ट्रीय पूंजीनिवेश अभी तक वित्तीय संकट से पहले के स्तर पर बहाल नहीं हो पायी है । वेश्विक अर्थव्यवस्था को अभी तक मज़बूत और स्थिर विकार की तलाश है ।"

इससे पहले अप्रैल में इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड ने 2016 ईसवी में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर की भविष्यवाणी एक साल में चौथी बार कम करते हुए 3.4 प्रतिशत से 3.2 प्रतिशत कर दी थी । इसकी वजह कमज़ोर वैश्विक मांग और राजनीतिक अस्थिरता को ठहराया गया था । इसके बाद पांचवीं बार वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास की भविष्यवाणी को कम किया जाना भी कमोबेश यक़ीनी है । विश्व व्यापार संस्था का विचार है कि 2016 ईसवी अनवरत पांचवां साल होगा, जिसमें विश्व व्यापार 3 प्रतिशत से कम की दर से बढ़ेगा । आई॰एम॰एफ॰ के अनुसार 2016 ईसवी में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 3 प्रतिशत से ऊपर रहेगी, फिर भी जे॰पी॰मार्गन, और विश्व बैंक का अनुमान केवल 2.4 प्रतिशत का है । अधिकतर बोर्सवा अर्थशास्त्रियों के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर इस वक़्त 2.5 प्रतिशत है, जो कि "नीचे गिरा देनेवाली रफ़्तार" स्टाल गति की श्रेणी में आती है । अर्थात यह विकास दर इतनी कम है कि यहां से वैश्विक अर्थव्यवस्था वापस मंदी में चली जाएगी, क्योंकि पूंजीनिवेश और खपत ध्वस्त हो जायेगी । वैश्विक अर्थव्यवस्था की 2. 5 प्रतिशत से कम विकास दर को आधुनिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सरकारी तौर पर मंदी की कैफ़ियत ठहरायी जाती है ।

आई॰एम॰एफ॰ ने जनवरी 2016 ईसवी में वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की थी उसका शीर्षक ही 'कमज़ोर मांग' 'कम संभावनाएं' था । रिपोर्ट के अनुसार 2015 ईसवी में वैश्विक आर्थिक गतिविधियां धीमी रहीं । उभरती हुई या प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास, जो कि वैश्विक विकास कां 70 प्रतिशत है । लगातार पांचवें वर्ष भी गिरावट का शिकार रही, जब कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संतुलित बहाली जारी रही । चीन का विकास 2016 ईसवी में 6.3 प्रतिशत और 2017 में 6.0 प्रतिशत जाने की उम्मीद है । लातीनी अमेरिका अर्थात नकारात्मक जीडीपी विकास । इसका कारण ब्राज़ील में मंदी और दूसरे देशों में दुखदायी आर्थिक स्थिति है । आई॰एम॰एफ॰ के अनुसार 2016 ईसवी अनवरत पांचवां साल होगा, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 1990 ईसवी से 2007 तक की 3.7 प्रतिशत की औसत विकास दर से कम स्तर पर रहेगी ।

सामूहिक रूप से आर्थिक गिरावट के लिए लम्बी अवधि में सामयिक बहाली के संक्षिप्त दौर भी आ सकते हैं । फिर भी यह बहाली 'U' या 'V' शक्ल की बजाय 'L' शक्ल की हो सकती है । अर्थात पूंजी निवेश संकट से पहले के स्तर पर नहीं पहुंच सकती । पूंजी निवेश जिस कमज़ोर स्थिति से गुज़र रही है, ऐसे में आनेवाले समय में कोई भी झटका वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक गहरे संकट में डाल सकती है । विशेष रूप से अमेरिका की विशालकाय अर्थव्यवस्था की गिरावट योग्य उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था को धड़ाम कर सकती है, लेकिन पूंजीवाद का संकट स्पष्ट और अंतिम संकट नहीं होता । यह व्यवस्था स्वंय अपने आप ख़त्म नहीं हो सकती । लेकिन के शब्दों में "पूंजीवाद किसी अंत के बिना वहशत है" और इस वहशत से मुक्ति विवेकशील क्रांतिकारी सोच व फ़िक्र के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती ।

M/s. ABBAS SOAP FACTORY

77/2, Topsia Road (South)
KOLKATA - 700 046

अगर कोई अपने ब्रांड के नाम से माल बनवाना चाहते हैं तो भी राबिता क़ायम करें।

PRODUCTS

- ✓ WASHING POWDER
- ✓ TOILET SOAP
- ✓ WASHING SOAP
- ✓ DETERGENT POWDER
- ✓ BATH SOAP

Contact For Business
For
Agency & Distributor Ship

M : 08100226137 (Mohd. Abbas)
M : 09831496237 (Mohd. Khalid)
M : 08981605834 (Mohd. Khalid)

पढ़ने की कला

■ मुहम्मद इलियास हुसैन

'पढ़ो तो ऐसे पढ़ो' किताब में डॉ विजय अग्रवाल ने अत्यंत रोचक ढंग से पढ़ने की कला पर प्रकाश डाला है। पढ़ना एक कला है। इसे पढ़कर आप एक हुनरमंद और कुशल पाठक बन सकते हैं और कम वक़्त में अधिक ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इस किताब को पढ़कर आप यक़ीनी तौर पर कह उठेंगे कि आपने अपने क़ीमती समय का सदुपयोग किया और आपने अच्छी-ख़ासी जानकारी हासिल की है।

पुस्तक के समान निष्ठावान और सच्चा मित्र कोई नहीं होता। पुस्तक आपका पथ-प्रदर्शन जीवन के हर क्षेत्र में कर सकती है। यह ज्ञान का भंडार होती है। पुस्तक के बारे में कहा गया है कि इसे पढ़ने से आसान है इसे ख़रीदना और पचाने से आसान है इसे पढ़ना।

हम किताब ख़रीदते भी हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन उस तरह नहीं पढ़ते हैं जिस तरह पढ़नी चाहिए। किस तरह पढ़नी चाहिए ? इसी सवाल के जवाब में यह किताब लिखी गयी है। लेखक ने लगभग छह साल के निरन्तर अध्ययन, प्रयोगों, बातचीत तथा अपने विद्यार्थी एवं अध्यापक के रूप में अब तक के गहरे अनुभवों के आधार पर यह पुस्तक तैयार की है। लेखक ने यह कोशिश की है कि इस पुस्तक ते पाठक एवं विद्यार्थी की अध्ययन से संबंधित सारी समस्याओं का समायान मिल जाए।

इस पुस्तक की विशेषता यह है कि हर अध्याय से पहले विषय के संबंध में विदेशी विद्वानों और दार्शनिकों की सूक्तियां दी गयी है, विषय को स्पष्ट तो करती ही हैं, पुस्तक को रोचक और पठनीय बना देती हैं। इस पुस्तक में नौ अध्याय हैं।

पहले अध्याय 'अध्ययन क्या है ?' में कहा गया है कि पढ़ते समय आपके दिमाग़ में यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि आप अमुक किताब क्यों पढ़ रहे हैं। हमारा कोई भी काम जिसमें हमारा दिमाग़ शामिल होता है एक प्रकार से हमारे अध्ययन की गतिविधि बन जाता हैं।

पुस्तक : पढ़ो तो ऐसे पढ़ो लेखक : डॉ विजय अग्रवाल पृष्ठ : 208, मूल्य : 145.00 प्रकाशक : बेन्तेन बुक्स, भोपाल

'अध्ययन का मनोविज्ञान' शीर्षक दूसरे अध्याय में कहा गया है कि सकारात्मक मनोभाव अध्ययन के लिए खाद का काम करता है। इसलिए आप तभी पढ़ें जब आपका मन प्रसन्न हो। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, यदि उसे याद रखना चाहते भी तो ऐसा केवल स्वीकार्य भाव के तहत ही हो सकता है।

भोर की पढ़ाई सर्वोत्तम होती है। भोर के दो घंटे शेष किसी भी समय के तीन घंटे के बराबर बैठते हैं। पढ़ाई और मनोरंजन के बीच भी गहरा संबंध है। मनोरंजन के बाद हमारा दिमाग़ ताज़ा हो जाता है और इसकी ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है।

अरुचिकर विषय को रुचिकर बनाने का बहुत सुन्दर और सटीक उपाय बताया है लेखक ने। लेखक ने कहा है कि किसी विषय के प्रति भय या उसके प्रति होने वाली चिढ़ से मुक्त होने का सरल और प्रभावकारी उपाय है उसका अभ्यास करना, निरन्तर अभ्यास करते रहना।

'हमारा मस्तिष्क' शीर्षक तीसरे अध्याय में मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता के बारे में कहा गया है कि इसकी क्षमता सीमाओं से परे है। यह कुछ भी कर सकता है, कितना भी कर सकता है। प्रकृति ने हमें मस्तष्क रूपी जो अद्भुत यंत्र दिया है, उसके जैसा विलक्षण अभी तक दूसरा कोई यंत्र नहीं बन सका है।

चौथा अध्याय है 'स्मरण-शक्ति को बढ़ाएं'। इसमें कहा गया है कि स्मृति एक अर्जित गुण है। लेखक ने इस अध्याय में स्मरण-शक्ति बढ़ाने के अनेक उपाय बताए हैं।

पांचवां अध्याय है 'मस्तिष्क का व्यायाम'। हमारा मस्तिष्क हमेशा काम करता रहता है। इसलिए इसे तन्दुरुस्त रखने के लिए कसरत ज़रूरी है। दिमाग़ के व्यायाम के

बहुत से उपाय इस अध्याय में बताए गए हैं ।

'पढ़ो तो ऐसे पढ़ो 'शीर्षक छठे अध्याय में पढ़ने की कला पर प्रकाश डाला गया है । इसमें कहा गया है कि किसी भी विषय को समझने और समझकर लम्बे समय तक याद रखने का एक अच्छा तरीक़ा यह हो सकता है कि हम उस विषय के बारे में अपने दिमाग़ में कोई मॉडल बनाएं और मॉडल के अनुसार उस विषय की व्याख्या करें और बढ़ते समय आवश्यक और महत्वपूर्ण अंशों पर पेंसिल से निशान लगाते जाएं । इससे ये महत्वपूर्ण अंश दिमाग़ में बैठते चले जाएंगे । आगे चलकर जब भी आप पुस्तक को दोहराना चाहेंगे, इससे आपको मदद मिलेगी ।

सातवें अध्याय 'परीक्षा में बैठने का मतलब' में लिखा गया है कि पढ़ने की सबसे बड़ी ज़रूरत केवल यह है कि आप सतर्क होकर पढ़ें । यह इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या बनते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोफ़ेसर द्वारा पढ़ाए जाने के बाद हम क्या पढ़ते हैं ।

परीक्षा की तैयारी के लिए ज़रूरत बहुत-सी किताबें पढ़ने की नहीं है, बल्कि कुछ ही किताबों को बार-बार बढ़ने की है । हां, यह ज़रूर है कि किताबें बहुत विश्वसनीय और अच्छे लेखकों की होनी चाहिए ।

आठवें अध्याय 'परीक्षा की तैयारी' में लेखक ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि विद्यार्थी के अपना पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए, इस बात की परवाह किए बिना कि इसमें से परीक्षा में क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं, क्योंकि पूर्ण प्रयास में पूर्ण सफलता के बीज छिपे हुए हैं । कुछ लोग सफलता का सपना भर देखते हैं, दूसरे जागकर उसमें जुटे रहते हैं और सतत् अनसॉल्वड पेपर हल करने में लगे रहते हैं । सफलता सतत् प्रयास करने वालों के ही हिस्से में आती है ।

अंतिम नौवें अध्याय 'परीक्षा के दिनों में' परीक्षा की तकनीक पर प्रकाश डाला गया है । परीक्षा में अच्छी तरह लिखने की तकनीक ही नम्बर प्राप्त करने की तकनीक है । उत्तर कैसे लिखें इसके लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्नों को समझकर ही उनके उत्तर लिखें । पर्याप्त नींद, अच्छी सेहत आदि पर भी बातें की गई हैं ।

निष्कर्ष यह है कि डॉ॰ विजय अग्रवाल ने अपनी प्रेरक पुस्तक 'पढ़ो तो ऐसे पढ़ो' में बड़े ही रोचक अन्दाज़ में पढ़ने के बहुत-से कारगर तरीक़े बताए हैं । यह पुस्तक 'परीक्षार्थियों' पर केन्द्रित है । परीक्षार्थी इससे लाभांवित हो सकते हैं । आम पाठकों के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी है ।

पुस्तक का आवरण-पृष्ठ विषयानुकूल और आकर्षक है । प्रूफ़ के भूत ने इस पुस्तक का भी पीछा नहीं छोड़ा हैं । पर संबोधन शब्द में अनुस्वार लगा है, जबकि संबोधन शब्दों में अनुस्वार नहीं लगता । 'मित्रों' नहीं, 'मित्रो' आदि सही है । इस पुस्तक में प्रयुक्त दोहा 'करत-करत अभ्यास...' महाकवि तुलसीदास का नहीं है ।

दर्पण

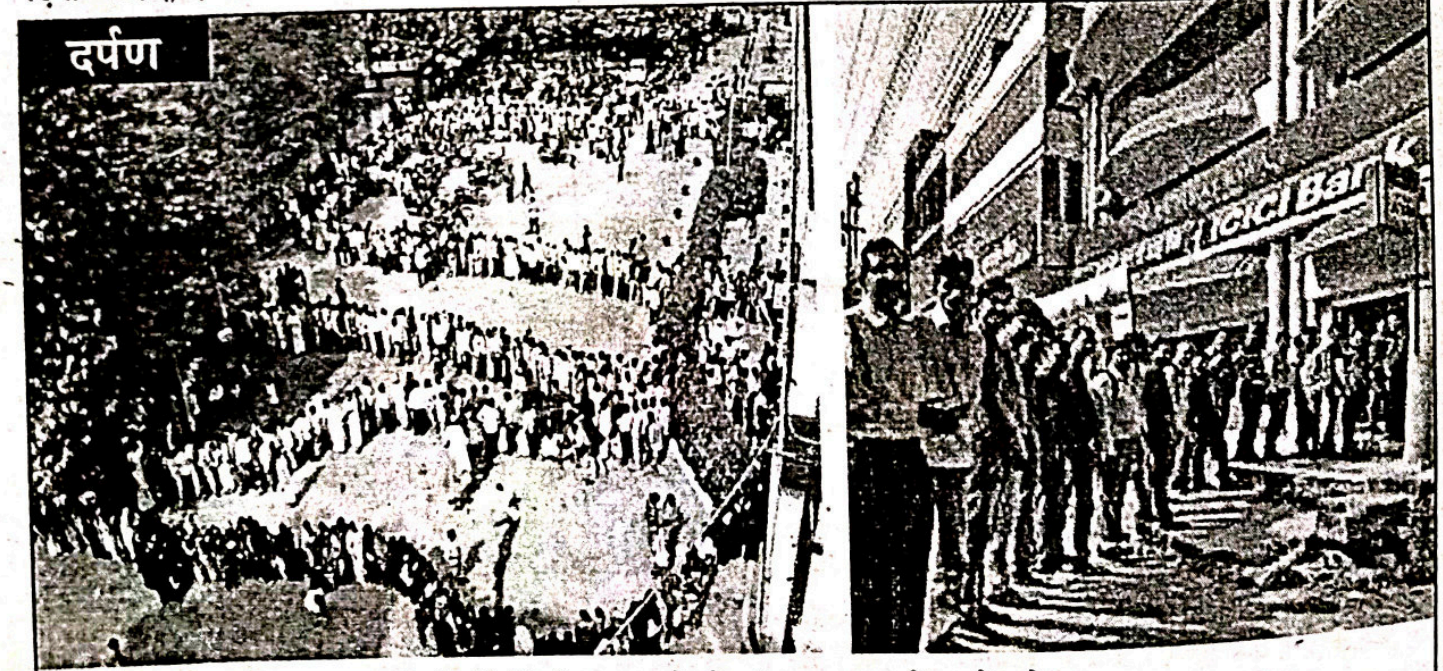

बैंकों में नोट बदलने के लिए कतार में खड़े लोग

ज़हरीली शराब का क़हर

■ महेंद्र अवधेश

साल 2016 के शुरुआती दौर में जब बिहार की नवनिर्वाचित राजद-जद (एकी) सरकार ने पहले आंशिक और फिर पूर्ण शराबबंदी के अपने इरादे ज़ाहिर किये तो बहुतों के मन में सहज ही आशंका पैदा हुई कि सूबे में नक़ली-ज़हरीली शराब का कारोबार करने वालों के दिन बहुरने वाले हैं। राजस्व के भारी नुक़सान को नज़रअंदाज़ करते हुए राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने आख़िरकार एक अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। विरोध के स्वर उठे, लेकिन उन्हें यह कहकर दबा दिया गया कि फ़ैसला जनहितकारी है और इससे ग़रीबों के घर खुशहाली आएगी।

नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी को अपनी बहुत बड़ी कामयाबी माना और वे देश के जिस हिस्से में गये, वहां उन्होंने इसके लिए खुद को भरपूर शाबाशी दी। राज्य के मुखिया के तेवर देख शासन-प्रशासन भी सख़्त हो गया। व्यापारी पुत्र को सरेआम गोली से उड़ा देने वाले जद (एकी) की महिला एम॰एल॰सी॰ के पुत्र की गिरफ़्तारी के लिए जब छापेमारी हुई, तो चंद बोतल अंग्रेज़ी शराब पाए जाने पर सख़्त कार्रवाई हुई।

अभी हाल में नालंदा ज़िले के कैलाशपुरी गांव के पचास घरों पर पांच-पांच हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन पूर्ण शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार की नानाविध सख़्ती माफ़ियाओं पर क़तई असरकारी साबित नहीं हुई। नतीजा गोपालगंज में सत्रह मौतों की शक्ल में सबके सामने है। दो दर्जन से भी ज़्यादा पुलिसकर्मियों और अन्य पर विभागीय कार्रवाई हो चुकी है। ज़हरीली-नक़ली शराब बनाने-बेचने के मुख्य आरोपी समेत तक़रीबन एक दर्जन लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। जांच टीम ने खजूरबानी इलाक़े से ज़मीन के अंदर दबी एक हज़ार लीटर देसी शराब बरामद की है। बिहार में ज़हरीली शराब पीने से लोगों के मरने की यह पहली घटना नहीं है। नवंबर-दिसंबर 2012 में भी पटना के बारह, गया के तेरह और आरा के उनतीस लोग ज़हरीली शराब के शिकार बने थे, जिनमें अधिकतर दिहाड़ी मज़दूर, रिक्शाचालक, फेरी-खोमचे वाले थे। यानी अवैध ज़हरीली शराब का कारोबार करने वाले तब भी सक्रिय थे, जब जगह-जगह सरकारी ठेके थे।

ज़ाहिर है, बिना शासन-प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण के यह संभव नहीं था। गोपालगंज कांड के मुख्य आरोपी नगीना पासी-लाल बाबू पासी पहले ताड़ी उतारते-बेचते थे। पूर्ण शराबबंदी के बाद दोनों शराब बनाने-बेचने लगे। नगीना-लाल बाबू जैसे कई लोग बिहार के विभिन्न इलाक़ों में सक्रिय हैं, जो अरसे से उत्तर प्रदेश और झारखंड के सीमावर्ती ज़िलों से अवैध शराब लाते-बेचते रहे हैं। बीती सोलह अगस्त को ही पुलिस ने पटना के हार्डिंग पार्क के समीप सात महिलाओं के क़ब्ज़े से देसी शराब के 378 पाउच बरामद किये, जो झारखंड के सीमावर्ती ज़िले से लाए गये थे।

अवैध अथवा ज़हरीली शराब के कारोबारी सिर्फ़ बिहार में नहीं, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में इंसानी जान से खेल रहे हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के अलीगंज क़स्बे में ज़हरीली शराब ने उनतालीस लोगों की जान ली। तीन लोग अपनी आंख की रोशनी गंवा बैठे, जबकि समीपवर्ती ज़िले फ़र्रूख़ाबाद के मेरापुर थाना अंतर्गत गांव देवरा मेहसोना में ज़हरीली शराब ने दस लोगों को अपना ग्रास बनाया।

2015 के मार्च महीने में सूबे की राजधानी लखनऊ के मलीहाबाद इलाक़े में पचास से ज़्यादा लोग ज़हरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा बैठे। इससे पहले उन्नाव ज़िले में ज़हरीली शराब पीने से तक़रीबन तीन दर्जन लोग मौत के मुंह में समा गये। राज्य के आज़मगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, बहराइच, ग़ाज़ीपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, भदोही, मिर्ज़ापुर व जालौन में अवैध शराब का कारोबार होली-दिवाली जैसे त्योहारों के

समय चरम पर होता है । नतीजतन, कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं अथवा आंख की रोशनी गंवा बैठते हैं । कानपुर शहर में कुछ ठेके ऐसे हैं जहां चौबीसों घंटे शराब उपलब्ध रहती है ।

महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओड़िशा में हर साल, ख़ासकर त्योहारों के अवसर पर ज़हरीली-नक़ली शराब के सेवन से बड़ी संख्या में लोग अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं । जून, 2015 में ज़हरीली शराब ने मुंबई में जमकर क़हर बरपाया, जहां मालवणी थाना अंतर्गत लक्ष्मीनगर झोंपड़पट्टी स्थित एक अनधिकृत दुकान से ख़रीदी गयी ज़हरीली शराब पीने से नब्बे लोगों की मौत हो गयी, जबकि सौ से भी ज़्यादा लोगों को गंभीर हालत में विभिन्न अस्पतालों में दाख़िल कराना पड़ा । इस मामले में पुलिस ने शराब की आपूर्ति करने वाले राजू हनुमंता पास्कर उर्फ़ राजू लंगड़ा समेत तीन लोगों को गिरफ़्तार किया था, जो उधारी पर ग्राहकों के घर जाकर अवैध शराब की सप्लाई करते थे । उक्त हादसे में मरने वालों में ज़्यादातर दिहाड़ी मज़दूर तथा रिक्शाचालक थे, जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात के बताए गये ।

इससे पहले 2004 में मुंबई के विक्रोली इलाक़े में ज़हरीली शराब पीने से सत्तासी लोगों की मौत हो गयी थी । जनवरी 2012 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले के मइलावरम व पोरत्रागनर इलाक़ों में ज़हरीली शराब पीने से अठारह लोग मारे गये । फ़रवरी 2012 में ओड़िशा के कटक ज़िले में ज़हरीली शराब पीने से बत्तीस लोगों की मौत हो गयी । 2009 में खुदरा ज़िले में तैंतीस और 1992 में कटक में दो सौ लोग ज़हरीली शराब के शिकार बनकर अपनी जान गंवा बैठे थे । दिसंबर 2011 में पश्चिम बंगाल में 171, फ़रवरी 2010 में तमिलनाडु में 10 और जुलाई 2009 में गुजरात में 107 लोग मिलावटी-ज़हरीली शराब पीने से मारे गये ।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।



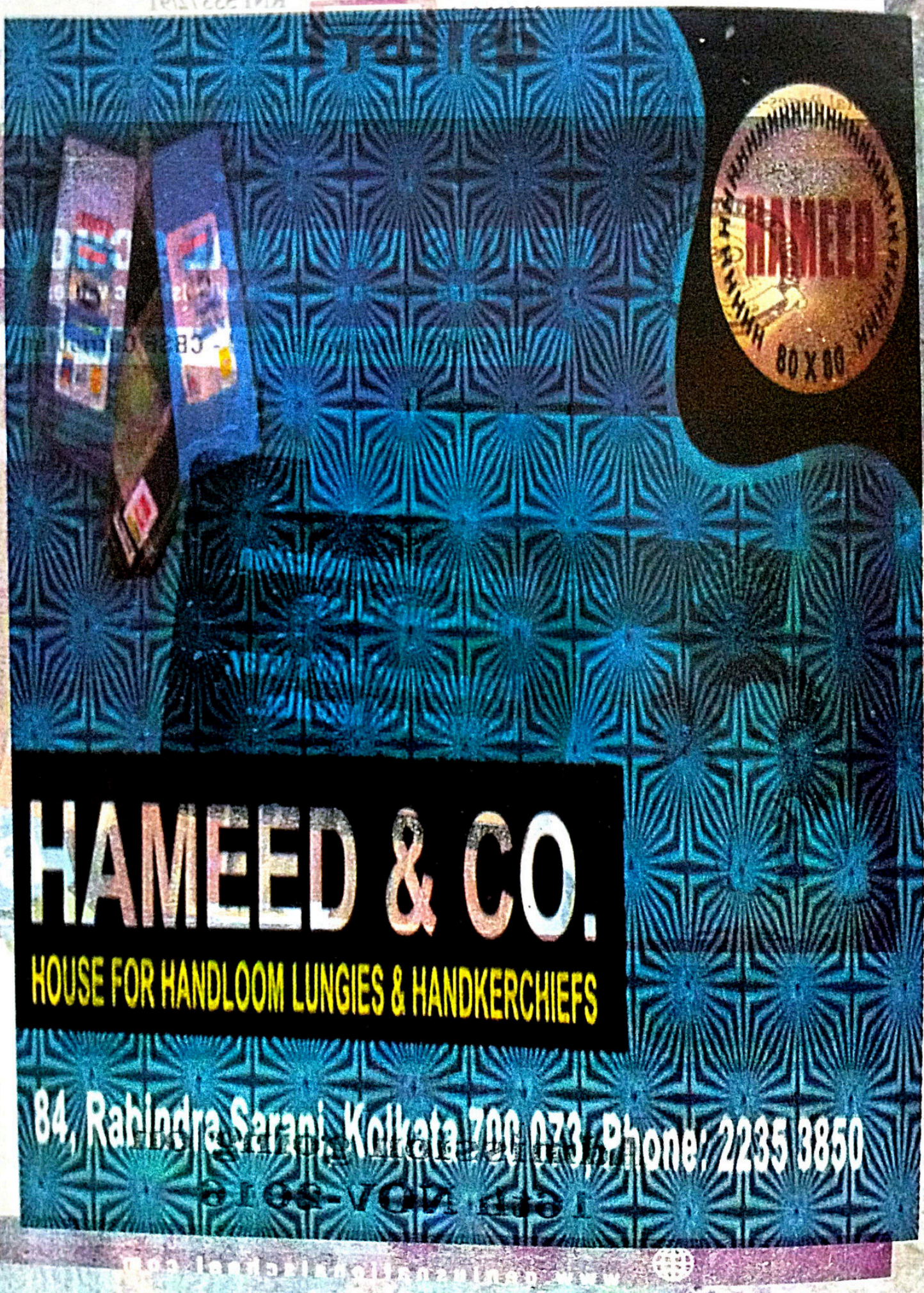
HAMEED
80 X 80
HAMEED & CO.
HOUSE FOR HANDLOOM LUNGIES & HANDKERCHIEFS
84, Rabindra Sarani, Kolkata 700 073, Phone: 2235 3850

Posted on 20-21 November 2016
December 2016
E-mail: kantibindumonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.11.2016
Total Pages-52 (With Covers)

कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2015-2017
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2015-2017
Posted in the P.S.O. (Periodical Channel, New Delhi-1

GENIUS NATIONAL SCHOOL
Imparting modern education with Islamic values
An English Medium School - CBSE Curriculum

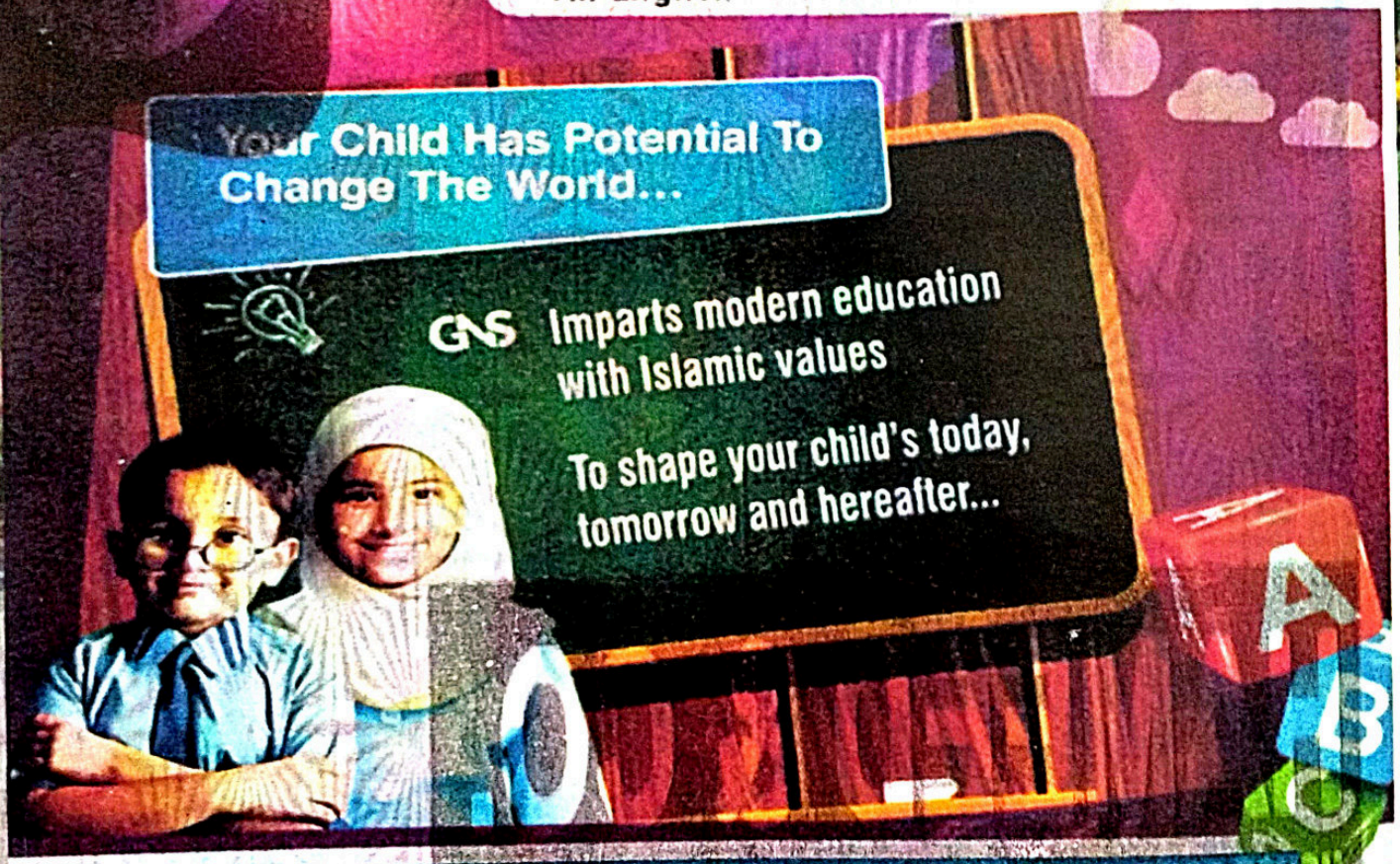

71/13, Topsia Road (South), Kolkata 700 046 (Near Indira Qadar Masjid)
Phone : 033 4005 1491, 4004 8109, 98362 80516
Email : geniusnationalschool@gmail.com • www.geniusnationalschool.com

In strategic alliance with MS Hyderabad

Admission going on
16th NOV-2016

www.geniusnationalschool.com